

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०सं०-02/रेगु०-2-700-07/2026-1829/पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

विषय: बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

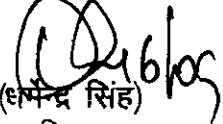
राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या-1231 दिनांक-25.06.2026 के माध्यम से बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 निर्गत किया गया है।

2. संकल्प की कंडिका-7.1.5 के आलोक में "बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026" के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न अनुसूची-1 (हिन्दी पाठ) एवं अनुसूची-2 (अंग्रेजी पाठ) को अधिसूचित किया जाता है।

3. संकल्प की कंडिका-7.1.1 के आलोक में परिस्थिति के अनुरूप कार्यकारी आदेश के माध्यम से संशोधन/विलोपन के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जा सकेगा।

4. मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

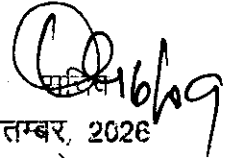
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(श्री. सिंह)

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

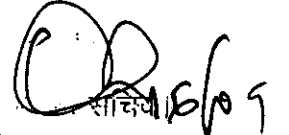
ज्ञापांक- 02/रेगु०-2-700-07/2026-1829 /पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

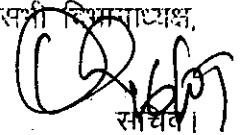
ज्ञापांक- 02/रेगु०-2-700-07/2026-1829 /पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक- 02/रेगु०-2-700-07/2026-1829 /पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

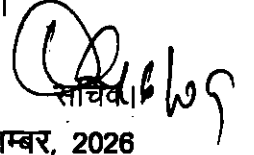
प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

कमरा...2

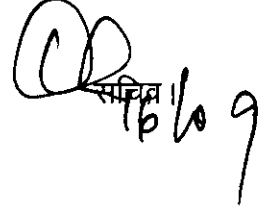
ज्ञापांक- 02/रेगु.-2-700-07/2026-1829 /पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, राज्य की कार्यरत चीनी मिलें को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक- 02/रेगु.-2-700-07/2026-1829 /पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव।

अनुसूची : 1

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026
के कार्यान्वयन हेतु

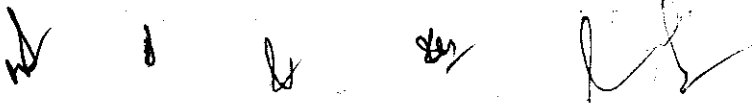
संचालन दिशानिर्देश
(भाग 1)

पटना | 2026

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

विषयसूची

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि.....
2. बीएसआईपीपी 2026 की दृष्टि, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ
3. कवरेज, पात्र श्रेणियाँ और क्षमता सीमाएँ
4. संपूर्ण अनुप्रयोग कार्यप्रवाह
5. सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एसडब्ल्यूसी) और गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पोर्टल (एसआईपीपी)
6. भूमि का आवंटन
7. प्रोत्साहन योजना
8. संस्थागत संरचना और हितधारक
9. निवेशक की पात्रता और जिम्मेदारियाँ
10. समयसीमा, अनुश्रवण और शिकायत निवारण
11. सामान्य शर्तें, दंड और वसूली
12. संक्षेपाक्षर
13. परिभाषाएँ
14. अनुलग्नक



1. परिचय एवं पृष्ठभूमि

बिहार भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, और गन्ने का इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। लगभग 53.95 लाख हेक्टेयर की कुल कृषि योग्य भूमि में से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना उगाया जाता है। गन्ना आधारित उद्योग जैसे चीनी मिलें, डिस्टिलरी और इथेनॉल इकाइयाँ, चीनी मिलों से जुड़े सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र और संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं।

1.1 इस क्षेत्र का विकास कैसे हुआ

दो पूर्व प्रोत्साहन पैकेजों ने इस क्षेत्र को आकार दिया : गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2006 और इसका संशोधित संस्करण, प्रोत्साहन पैकेज-2014। इन पैकेजों के तहत, राज्य की स्थापित पेराई क्षमता 2005 में लगभग 33,500 टन गन्ना पेराई प्रति दिन से बढ़कर लगभग 65,450 टन गन्ना पेराई प्रति दिन हो गई। डिस्टिलरी क्षमता लगभग 75 किलोलीटर प्रति दिन से बढ़कर 530 किलोलीटर प्रति दिन हो गई, और राज्य के पास अब लगभग 88.5 मेगावाट की चीनी मिलों से जुड़ी सह-उत्पादन क्षमता है जो ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करती है। इस प्रगति के बावजूद, कई चीनी मिलें अभी भी बंद हैं, और इस क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए नए पूँजी निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी और निरंतर नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

1.2 2026 की नीति

सात निश्चय-3 और 'समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहार' की थीम के अनुरूप, राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और पूरे बिहार में नई मिलें स्थापित करने का संकल्प लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इस पुनरुद्धार और विस्तार एजेंडा का मार्गदर्शन कर रही है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए, सरकार ने 25 जून 2026 के संकल्प के माध्यम से बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 ('नीति') अधिसूचित की है। यह नीति निजी, सार्वजनिक और सहकारी निवेशकों को नई चीनी मिलों, चालू मिलों की क्षमता विस्तार, डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयों, सह-उत्पादन बिजली इकाइयों और सीबीजी संयंत्रों के लिए पूँजी सब्सिडी, वित्तीय प्रोत्साहन और सुविधा सहायता प्रदान करती है।

सरकार ने बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति (बीएसआईपीपी-2026) के तहत 25 नए चीनी मिलों/एकीकृत चीनी परिसरों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इनमें से प्रत्येक परिसर में चीनी मिल के साथ डिस्टिलरी, सह-उत्पादन और/या सीबीजी क्षमता का संयोजन होगा, जिनकी औसत क्षमता 3,500 टीसीडी होगी। इस नीति के तहत नीति अवधि में लगभग 87,500 टीसीडी की पेराई क्षमता जोड़ी जाएगी। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्षों के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी।

1.3 संचालन दिशानिर्देश का प्रयोजन

यह संचालन दिशानिर्देश बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2026 को प्रभावी बनाने और इसके कार्यान्वयन को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है। तदनुसार, इसमें निम्नलिखित का वर्णन किया गया है :

- i. नीति के कार्यान्वयन के लिए गठित संस्थागत ढाँचा और समितियाँ;
- ii. संबंधित विभागों, एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ;
- iii. निवेशकों द्वारा आवेदन जमा करने और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म;
- iv. आवेदन, जाँच और अनुमोदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया;
- v. प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज;
- vi. सब्सिडी की किस्त-वार निकासी की प्रक्रिया; और
- vii. शिकायतों का अनुश्रवण, समीक्षा और निवारण के लिए तंत्र।

इन संचालन दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और आवधिक अनुश्रवण के लिए, एक परियोजना अनुश्रवण समिति सक्षम संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगी। समिति नीति, सरकारी निर्देशों, संचालन आवश्यकताओं और निवेशकों की सुविधा संबंधी जरूरतों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इन संचालन दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन या स्पष्टीकरण की सिफारिश कर सकेगी।

समिति नीति का मध्यावधि आकलन/मूल्यांकन भी कर सकेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की जाँच की जाएगी :

- i. कार्यान्वयन की प्रगति;
- ii. निवेशक की प्रतिक्रिया;

iii. इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति:

iv. संचालन संबंधी चुनौतियाँ जिनका सामना करना पड़ा; और

v. सुधारात्मक उपायों या नीति-स्तर पर परिष्करण की आवश्यकता।

नोट : यह संचालन दिशानिर्देश एक कार्यान्वयन दस्तावेज है। यह नीति का निरसन, संशोधन या उसे कमजोर नहीं करता है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, 25 जून 2026 को अधिसूचित संकल्प प्रभावी होगा और नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2. बीएसआईपीपी 2026 की दृष्टि, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएँ

2.1 दृष्टि

प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, संवर्धन और अन्य संबद्ध सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर बिहार में गन्ना क्षेत्र को बढ़ावा देना और विकसित करना, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके और अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें।

2.2 उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है :

- वित्तीय सहायता और अनुकूल वातावरण प्रदान करके बिहार के गन्ना क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाना और बढ़ावा देना।
- प्रसंस्करण के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ाना, अपव्यय को कम करना, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना और निर्यात को प्रोत्साहित करना, जिससे गन्ना क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।
- राज्य में नए एकीकृत चीनी स्थापनों— चीनी मिलों, डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयों, सह-उत्पादन बिजली संयंत्रों और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए और पहले से ही संचालन में मौजूद मिलों के तकनीकी उन्नयन और क्षमता विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उपज के बेहतर प्रसंस्करण से किसानों की आय में वृद्धि करना।
- राज्य भर में गन्ने पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- राज्य में बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को पुनर्जीवित और चालू करना तथा नई चीनी मिलें स्थापित करना।

2.3 प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना बिहार में चीनी मिलों, डिस्टिलरी, इथेनॉल इकाइयों, सह-उत्पादन बिजली संयंत्रों और संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विविधीकरण या विस्तार के लिए पात्र व्यक्तिगत निवेशकों/उद्यमियों और रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को पूँजी सब्सिडी, राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- निवेशक/उद्यमी अपनी इकाइयों को प्रोप्राइटरशिप, भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), कंपनी या सहकारी समिति के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
- यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी, अर्थात् 25 जून 2026 से, और 5 वर्षों तक, अर्थात् 24 जून 2031 तक वैध रहेगी। यह प्रोत्साहन पैकेज 31 मार्च 2029 तक एसआईपीबी द्वारा अनुमोदित मामलों पर लागू होगा।
- जिन कंपनियों को गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2014 के तहत पहले ही लाभ मिल चुका है, उन्हें उस पैकेज के तहत शेष पात्र वर्षों के लिए सब्सिडी/प्रतिपूर्ति मिलता रहेगा। हालांकि, इस नई नीति के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि इस नीति के प्रभावी होने की तारीख से ही लागू होगी।
- इस नीति के अंतर्गत पूँजीगत सब्सिडी सहायता पूर्णतः ऋण से जुड़ी होगी। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)/भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ रजिस्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, और ऐसे बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण परियोजना लागत के 20% से कम नहीं होगा।
- इस नीति के तहत पूँजीगत सब्सिडी/वित्तीय सहायता के मूल्यांकन के लिए केवल वे परियोजनाएँ पात्र होंगी जिन्हें उद्योग विभाग/एसआईपीबी के सिंगल विंडो क्लियरेंस (एसडब्ल्यूसी) पोर्टल के माध्यम से एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी प्राप्त है, जो चरण-I की मंजूरी और वैधानिक एनओसी के लिए प्राथमिक और आधिकारिक प्रणाली बनी हुई है।

- इस नीति के तहत स्वीकार्य ब्याज वित्तीय सहायता और पूँजीगत सब्सिडी का कुल योग बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत के 33% (तैंतीस प्रतिशत) तक सीमित है।
- बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी है, जो उद्योग विभाग/एसआईपीबी और इसके सिंगल विंडो क्लियरेंस (एसडब्ल्यूसी) पोर्टल के साथ घनिष्ठ संस्थागत समन्वय में काम करता है।
- गन्ना उद्योग विभाग अपना स्वयं का गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पोर्टल (एसआईपीपी) विकसित और संचालित करेगा। यह विभागीय निवेशक सहायता पोर्टल, निवेशक सुविधा डेस्क के माध्यम से संचालित होगा और इसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण, निवेशक प्रोफाइल और परियोजना प्रस्ताव के प्रारंभिक मूल्यांकन और विभाग के पूँजीगत सब्सिडी आवेदन की अनुश्रवण के लिए किया जाएगा। एसआईपीपी को भविष्य में उद्योग विभाग के एसडब्ल्यूसी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि एसआईपीबी चरण-I की स्थिति और संबंधित डेटा दोनों प्रणालियों के बीच निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके।
- गन्ना उद्योग विभाग के भीतर एक समर्पित निवेशक सुविधा डेस्क कार्यरत रहेगा, जो निवेशकों को उनके आवेदन के हर चरण में सहायता प्रदान करेगा, अर्थात् एसआईपीपी पर प्रारंभिक मूल्यांकन से लेकर, एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी, वित्तीय समापन और विभाग की अपनी पूँजीगत सब्सिडी अनुमोदन प्रक्रिया तक।
- गन्ना उद्योग विभाग के ईखायुक्त (गन्ना आयुक्त) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुश्रवण समिति (पीएमसी) पूँजीगत सब्सिडी की मंजूरी और से वितरण से संबंधित सभी निर्णय लेगी; निर्वचन या विवाद के मामलों का निर्णय बिहार सरकार के चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
- पात्रता, सहायता की मात्रा, वितरण तंत्र और अन्य शर्तें बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026, इस संचालन दिशानिर्देश और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

3. कवरेज, पात्र श्रेणियाँ और क्षमता सीमाएँ

यह नीति बिहार राज्य में लागू होती है और गन्ने से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों की चार श्रेणियों को कवर करती है।

क्र. सं.	वर्ग	योग्य गतिविधियाँ
1	चीनी मिलें	• नई चीनी मिल/बंद चीनी मिलों का पुनरुद्धार – न्यूनतम क्षमता : 3,500 टन प्रति दिन (टीसीडी) • मौजूदा चालू चीनी मिलों का विस्तार – न्यूनतम अतिरिक्त क्षमता : 1000 टीसीडी • मौजूदा चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन/चीनी विश्लेषण के एकसमान विधियों के लिए International Commission For Uniform method of sugar analysis (ICUMSA) के मानकों के अनुरूप विशेष श्रेणी की चीनी उत्पादन में रूपांतरण।
2	डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ	• चीनी मिल के साथ नए इथेनॉल इकाइयों की स्थापना (न्यूनतम 45 किलोलीटर प्रति दिन)/मौजूदा इथेनॉल इकाइयों का विस्तार (न्यूनतम 15 किलोलीटर प्रति दिन अतिरिक्त क्षमता) • एथेनॉल उत्पादन के लिए मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण, उन्नयन या रूपांतरण • ये इकाइयाँ सिंगल-फीड या मल्टी-फीड हो सकती हैं जो केवल 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हैं, जिसमें मोलासेस को फीडस्टॉक के रूप में प्राथमिकता दी जाती है।
3	सह-उत्पादन विद्युत इकाइयाँ	• चीनी मिल सहित नई सह-उत्पादन विद्युत इकाई – न्यूनतम क्षमता : 10 मेगावाट • मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाई का विस्तार – न्यूनतम क्षमता वृद्धि : 5 मेगावाट
4	संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र	• चीनी मिल में नए सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं – न्यूनतम : 5 टीपीडी (5,000 किलोग्राम/दिन)

तालिका 3.1 नीति के अंतर्गत आने वाली इकाइयों की श्रेणियाँ

4. संपूर्ण अनुप्रयोग कार्यप्रवाह

संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया को पाँच चरणों वाली निवेशक यात्रा के रूप में संरचित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को प्रारंभिक मार्गदर्शन प्राप्त हो, वैधानिक स्वीकृतियाँ एसडब्ल्यूसी (SWC) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हों, सब्सिडी मूल्यांकन से पहले वित्तीय प्रक्रिया पूरी हो जाए, और सभी सब्सिडी संबंधी निर्णय सत्यापित दस्तावेजों,

तकनीकी निरीक्षण, पीएमसी मूल्यांकन और एसआईपीबी (SIPB) अनुमोदन पर आधारित हों। यह प्रक्रिया एसआईपीपी (SIPP), एसडब्ल्यूसी (SWC पोर्टल, सुविधा डेस्क, पीएमयू तकनीकी समिति, पीएमसी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और सहयोगी विभागों को एकीकृत करती है।

4.1 चरण 1— निवेशक रजिस्ट्रीकरण और एसआईपीपी पर प्रारंभिक मूल्यांकन

- निवेशक एसआईपीपी पर रजिस्ट्रीकरण कराकर बुनियादी जानकारी, संस्था का विवरण, प्रमोटर का विवरण, परियोजना श्रेणी, प्रस्तावित क्षमता, सांकेतिक निवेश, भूमि की स्थिति और प्रस्तावित स्थान जैसी जानकारी प्रारंभिक प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।
- जहाँ निवेशक इस सुविधा का लाभ उठाता है, वहाँ सुविधा डेस्क प्रारंभिक पूर्णता और पात्रता जाँच कर सकता है और निवेशक को लागू परियोजना श्रेणी, क्षमता सीमा, प्रोत्साहन प्रावधान, दस्तावेज, अनुमोदन और अगले चरणों के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है।
- यह एक वैकल्पिक सुविधा चरण है और एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर आवेदन करने या सब्सिडी का दावा करने के लिए अनिवार्य नहीं है। इसे परियोजना की स्वीकृति, पात्रता की पुष्टि या सब्सिडी की गारंटी नहीं माना जाएगा।

4.2 चरण 2 – एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन और एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से वैधानिक स्वीकृतियाँ

- एसआईपीपी (SIPP) एसआईपीपी पर प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, निवेशक एसआईपीबी चरण-I मंजूरी के लिए एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर आवेदन करेगा।
- निवेशक को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-II में संलग्न है।
- जहाँ भी लागू हो, एसआईपीबी निवेशकों को व्यवहार्यता अध्ययन और आवश्यक अनुमोदन जारी करने हेतु संबंधित आवेदन तक पहुंचने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करेगा। पीएमयू एसआईपीबी के चरण-I अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों का जाँच करेगा, जिसकी पुनः सत्यापन पीएमसी के सदस्य सचिव या पीएमसी द्वारा नामित किसी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा की जाएगी। पीएमयू और पुनः जाँच प्राधिकार,

चरण-I अनुमोदन के लिए दस्तावेजों की जांच करते समय एसआईपीबी द्वारा अपनाए गए उचित सावधानी मानकों का ही पालन करेंगे।

- यदि कोई खामी पाई जाती है, तो उसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी और आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे दूर करेगा। आवेदक को (यदि आवश्यकता हो) प्रश्न या उसके किसी भी घटक से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकेगा।
- यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है, या आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आवेदन अस्वीकृत/बंद किया जा सकेगा।

- चरण-I की मंजूरी निम्नलिखित प्रकार से जारी की जाएगी :

क. 5 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव – ऐसे प्रस्ताव पीएमसी के समक्ष रखे जाएंगे, जिसका निर्धारण बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव द्वारा किया जाएगा।

ख. 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव – ऐसे प्रस्तावों को विचार और अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखा जाएगा।

- आवेदन पर लिए गए निर्णय के आधार पर, आवेदक को एक सूचना भेजी जाएगी और यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को चरण-I का मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा।
- इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी/वित्तीय सहायता पर विचार करने के लिए एसआईपीबी चरण-I की स्वीकृति अनिवार्य होगी। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, निवेशक को एसआईपीबी पर एसडब्ल्यूसी संदर्भ संख्या, स्वीकृति तिथि और मंजूरी की स्थिति को अद्यतन करना होगा।

4.3 चरण 3 – वित्तीय मंजूरी दस्तावेज की तैयारी

- निवेशक को नीति के तहत आवश्यक तकनीकी रूप से सुदृढ़ डीपीआर तैयार करना होगा, बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल्यांकन प्राप्त करना होगा और सावधि ऋण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

- निवेशक को वित्तीय मंजूरी संबंधी सभी दस्तावेज पूर्ण करने होंगे, जिनमें प्रमोटर का अंशदान, स्वीकृत सावधि ऋण, वित्तपोषण के साधन, बैंक/वित्तीय संस्थान संबंधी रिकॉर्ड और अन्य परियोजना वित्तपोषण दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-III में संलग्न है।
- सुविधा डेस्क तीसरे चरण के दस्तावेजीकरण को पूरा करने के लिए निवेशक के साथ समन्वय करेगा और एसआईपीपी पर वित्तीय मंजूरी दस्तावेज की स्थिति को अद्यतन करेगा।
- वैधानिक एनओसी और उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियों की प्रक्रिया एसडब्ल्यूसी पोर्टल या संबंधित प्राधिकार के माध्यम से समानांतर रूप से पूरी की जाएगी ताकि सब्सिडी आवेदन के मूल्यांकन चरण में देरी न हो।

4.4 चरण 4- वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी

- वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी से तात्पर्य 'प्रथम चरण मंजूरी' प्राप्त होने पर निवेशक को वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए दी जाने वाली मंजूरी से है। इस चरण में नीति के अनुसार दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की राशि तय की जाएगी।
- निवेशक को निम्नलिखित दोनों तिथियों में से जो भी बाद की हो, उस तिथि से छह माह के भीतर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति प्राप्त करनी होगी: (i) SIPB चरण-I स्वीकृति की तिथि, अथवा (ii) यदि परियोजना हेतु विभागीय भूमि की मांग की गई हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि आवंटन की स्वीकृति की तिथि। वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति प्रत्येक स्थिति में नीति की समाप्ति तिथि से पूर्व प्राप्त करनी होगी। यदि विभागीय भूमि की मांग नहीं की गई हो, तो छह माह की अवधि SIPB चरण-I स्वीकृति की तिथि से प्रारंभ होगी। निवेशक निर्धारित प्रारूप से SIPB पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन प्रस्तुत करेगा, SWC संदर्भ संख्या का उल्लेख करेगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा। प्रक्रिया निम्न चरणों के अनुसार आगे बढ़ेगी

कदम	कार्रवाई	जिम्मेदारी/समयसीमा
1	आवेदन एसआईपीपी पर एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, और इसमें अनुलग्नक - III में निर्धारित दस्तावेज शामिल होंगे।	एसआईपीपी के माध्यम से निवेशक।
2	पूर्णता की जाँच की जाती है यदि कोई खामी पाई जाती है, तो उसकी जानकारी निवेशक को दी जाएगी।	पीएमयू/विभाग को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर।

4/ 6 8 4 8/ 1

3	निवेशक संशोधित/अधूरे दस्तावेज जमा करना होगा। आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर ही पूर्ण माना जाएगा।	निवेशक, अधिमानतः संसूचन के 1 महीने के भीतर।						
4	पीएमयू मूल्यांकन, सब्सिडी गणना, पात्रता नोट, स्कोर मैट्रिक्स इनपुट और कार्यसूची तैयार करने में सहायता करेगी।	पीएमयू/सदस्य सचिव।						
5	तकनीकी समिति स्थल का निरीक्षण/सत्यापन करेगी है और परियोजना की स्थिति, क्षमता, अनुपालन और वाणिज्यिक उत्पादन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जहाँ भी लागू हो।	तकनीकी समिति; विभाग पीएमसी से पूर्ण आवेदन/निरीक्षण अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।						
6	संपूर्ण प्रस्ताव को अंतिम मूल्यांकन और स्वीकार्य सब्सिडी/वित्तीय सहायता के निर्धारण हेतु पीएमसी के समक्ष रखा जाएगा। निर्णय खंड 7.13 में उल्लिखित स्कोर मैट्रिक्स के आधार पर लिया जाएगा। स्कोर मैट्रिक्स अनिवार्य पात्रता शर्तों का स्थान नहीं लेगा, जिनमें एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, अंतिम सावधि ऋण स्वीकृति, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति, भूमि स्वामित्व/रजिस्ट्रीकृत पट्टा और वैधानिक स्वीकृतियाँ शामिल हैं। पीएमसी प्रत्येक अनुशंसा के लिए कारण दर्ज करेगा।	पीएमसी; सामान्यतः अंतिम पूर्ण प्रस्तुति के 45 दिनों के भीतर।						
7	पीएमसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाएगा : क. 5 करोड़ रुपये या उससे कम की स्वीकृत परियोजना लागत के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी मंजूरी बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के समक्ष रखी जाएगी। ख. 5 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत परियोजना लागत के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी मंजूरी को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।	विभाग/एसआईपीबी						
8	एसआईपीबी द्वारा अनुमोदित परियोजना को प्रोत्साहनों पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निम्नानुसार रखा जाएगा : <table><tr><th>पात्र प्रोत्साहन राशि का आकार</th><th>सक्षम प्राधिकारी</th></tr><tr><td>5 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।</td><td>मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग</td></tr><tr><td>15 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।</td><td>गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री और वित्त विभाग के मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से</td></tr></table>	पात्र प्रोत्साहन राशि का आकार	सक्षम प्राधिकारी	5 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।	मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग	15 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।	गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री और वित्त विभाग के मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से	एफसी प्राधिकार
पात्र प्रोत्साहन राशि का आकार	सक्षम प्राधिकारी							
5 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।	मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग							
15 करोड़ रुपये से अधिक और अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की सीमा तक।	गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री और वित्त विभाग के मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से							

	30 करोड़ रुपये से अधिक।	राज्य सरकार (मंत्रिमंडल)	
9	अनुमोदन के बाद एक सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसमें अनुमोदित परियोजना लागत, श्रेणी, स्वीकृत सहायता, शर्तें और राशि जारी करने का कार्यक्रम उल्लिखित होगा।		विभाग; एफसी प्राधिकार की कार्यवाही जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर।

तालिका 4.1 सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया के चरण और समयसीमा

4.5 चरण 5— पात्रता प्रमाण पत्र, दावे, लक्ष्य सत्यापन और सब्सिडी का वितरण

- सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने पर, निवेशक को अनुलग्नक IV में यथाविहित किस्तवार दस्तावेज जमा करने होंगे।
- बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 और सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार, पूँजीगत सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत, क्षमता प्राप्ति और सत्यापित वार्षिक लक्ष्यों से जुड़ी किस्तों में जारी की जाएगी।
- सुविधा डेस्क एसआईपीपी पर दावों की स्थिति, महत्वपूर्ण अपडेट और निवेशकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर नज़र रखेगा, जबकि पीएमयू विभाग/पीएमसी के लिए दावों के मूल्यांकन, सब्सिडी की गणना और दावा नोट्स तैयार करने में सहायता करेगा।
- तकनीकी समिति प्रत्येक पात्र राशि जारी करने से पहले भौतिक प्रगति, वाणिज्यिक उत्पादन, क्षमता प्राप्ति, पूर्व किस्तों के उपयोग और निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन की निश्चित रूप से जाँच करेगी।
- पीएमसी दस्तावेजों की पूर्णता, तकनीकी समिति के निष्कर्षों, पीएमयू की गणना, लागू नीतिगत सीमाओं और अनुमोदन शर्तों के अनुपालन की उचित जाँच के बाद पात्र सब्सिडी किस्त/दावे की राशि जारी करने के लिए जाँच करेगी और अनुशंसा करेगी। इसके बाद राशि जारी करने के लिए अंतिम अनुमोदन गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा दिया जाएगा और बाद में संबंधित मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- पूँजीगत सब्सिडी सीधे ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान को जारी की जाएगी और जहाँ लागू हो, उसे केवल सावधि ऋण के मूलधन घटक के विरुद्ध ही समायोजित किया जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इस समायोजन की पुष्टि को आगे की किस्तों की प्रक्रिया से पहले आधिकारिक परियोजना फाइल में रखा जाएगा।

44

8

6

5

4

3

इस नीति के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया दो परस्पर जुड़े डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित की जाएगी। उद्योग विभाग/एसआईपीबी का सिंगल विंडो क्लियरेंस (एसडब्ल्यूसी) पोर्टल एसआईपीबी के चरण-1 अनुमोदन, वैधानिक एनओसी और उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियों के लिए उपयोग किया जाएगा। वित्तीय स्वीकृति/वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति आवेदनों के प्रस्तुतीकरण स्व प्रसंस्करण हेतु SIPB पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग का गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पोर्टल (एसआईपीपी) निवेशक रजिस्ट्रीकरण, प्रारंभिक मूल्यांकन, वित्तीय समापन दस्तावेजीकरण सहायता, सब्सिडी/वित्तीय सहायता आवेदन, लक्ष्य ट्रेकिंग, डैशबोर्ड अपडेट और किस्त-वार दावों के लिए उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया एसआईपीपी रजिस्ट्रीकरण से शुरू होकर एसडब्ल्यूसी अनुमोदन और स्वीकृतियों तक जाएगी, और उसके बाद विभागीय मूल्यांकन, पीएमसी मूल्यांकन और एसआईपीबी अनुमोदन,

पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और सब्सिडी रिलीज ट्रेकिंग के लिए वापस एसआईपीपी पर जाएगी।

चरण	प्राथमिक गतिविधि	पोर्टल/समर्थन जिम्मेदारी
चरण 1	निवेशक रजिस्ट्रीकरण और प्रारंभिक परियोजना मूल्यांकन	- एसआईपीपी में निवेशक रजिस्ट्रीकरण और परियोजना के बुनियादी विवरण शामिल होंगे। - सुविधा डेस्क प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा और निवेशक को पात्रता, दस्तावेजों और अगले चरणों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
चरण 2	एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियाँ	- एसडब्ल्यूसी पोर्टल एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियों की प्रक्रिया करेगा। - SIPP विभागीय ट्रेकिंग के लिए एसडब्ल्यूसी संदर्भ संख्या, अनुमोदन स्थिति और मंजूरी स्थिति को रिकॉर्ड करेगा। - जहाँ भी लागू हो, एसआईपीबी लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करेगा। एसआईपीबी के प्रथम चरण की मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जाँच पीएमयू जिसकी पुनः जाँच पीएमसी सदस्य सचिव या पीएमसी द्वारा नामित पदाधिकारी/सदस्य द्वारा एसआईपीबी स्तर की जाँच-पड़ताल उचित तत्परता से की जाएगी।
चरण 3	वित्तीय समापन और दस्तावेजीकरण पूरा करना	- निवेशक, बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया पूरी करेगा। - सुविधा डेस्क निवेशक के साथ समन्वय करेगा, वित्तीय समापन दस्तावेजों को पूरा करने में सहायता करेगा और SIPB की स्थिति के बारे में अपडेट देगा।
चरण 4	सब्सिडी आवेदन, मूल्यांकन, स्थल (साइट) सत्यापन, पीएमसी मूल्यांकन और एसआईपीबी अनुमोदन	- SIPB पोर्टल पर वित्तीय स्वीकृति वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति आवेदन सहायक दस्तावेज सहित प्राप्त किए जाएंगे। - सुविधा प्रदान करने वाला डेस्क/विभाग पूर्णता की जाँच करेगा, पीएमयू मूल्यांकन और गणना में सहायता करेगा, तकनीकी समिति परियोजना का सत्यापन करेगी, और पीएमसी परियोजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करेगी।

✓ 8 6 4 2 1

चरण 5	पात्रता प्रमाण पत्र, किस्त दावों और सब्सिडी जारी होने की जानकारी की अनुश्रवण	• एसआईपीबी की मंजूरी के बाद विभाग सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा। • एसआईपीबी किस्त दावों, महत्वपूर्ण अपडेट, तकनीकी समिति सत्यापन, पीएमसी रिलीज निर्णयों और बैंक/वित्तीय संस्थान की सब्सिडी समायोजन स्थिति पर नजर रखेगा।
-------	--	---

तालिका 5.1 आवेदन की चरण-वार प्रक्रिया और समयसीमा

5.1 सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एसडब्ल्यूसी) पोर्टल – एसआईपीबी प्राथमिक प्रणाली

आवेदन प्रक्रिया के दूसरे चरण में, परियोजना के लिए आवश्यक एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन और वैधानिक/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए एसडब्ल्यूसी पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। निवेशक को एसआईपीबी पर प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण और मूल्यांकन पूरा करने के बाद एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर मौजूद अनुमोदन विजार्ड परियोजना श्रेणी, निवेश राशि, भूमि की स्थिति, प्रस्तावित क्षमता और उपयोगिता आवश्यकताओं के आधार पर लागू लाइसेंस, एनओसी और स्वीकृतियों की पहचान करेगा। निवेशक एसआईपीबी चरण-I आवेदन जमा करेगा और जहाँ भी उपलब्ध हो, उसी पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्वीकृतियों के लिए आवेदन करेगा। अनुमोदन प्राप्त होने पर, एसडब्ल्यूसी पोर्टल एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन प्रमाणपत्र/संदर्भ संख्या जारी करेगा और वैधानिक/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियों की स्थिति प्रदर्शित करेगा। वित्तीय समापन/ वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति SWC पोर्टल के माध्यम से SIPB प्रणाली द्वारा पूर्ण की जाएगी। निवेशक को सब्सिडी आवेदन, पीएमसी/विभागीय मूल्यांकन और एसआईपीबी अनुमोदन की आगे की प्रक्रिया के लिए एसआईपीबी पर एसडब्ल्यूसी संदर्भ संख्या, अनुमोदन स्थिति और स्वीकृति विवरण को अद्यतन करना होगा। एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन अनिवार्य रहेगा और इस नीति के अंतर्गत इसे आधिकारिक अनुमोदन अभिलेख माना जाएगा।

5.2 गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पोर्टल (एसआईपीबी)

गन्ना उद्योग विभाग, गन्ना क्षेत्र के लिए निवेशकों के लिए बने पोर्टल के रूप में एसआईपीबी का संचालन करेगा। एसआईपीबी का उपयोग प्रथम चरण के रजिस्ट्रीकरण और प्रारंभिक मूल्यांकन, चतुर्थ चरण के सब्सिडी आवेदन और मूल्यांकन की अनुश्रवण, और पंचम चरण के महत्वपूर्ण पड़ावों, दावों और सब्सिडी जारी करने की अनुश्रवण के लिए किया जाएगा।

एसआईपीपी में निवेशक रजिस्ट्रीकरण, परियोजना प्रोफाइल, भूमि की स्थिति, प्रस्तावित क्षमता और सांकेतिक निवेश जैसी जानकारी शामिल होगी। इसमें आवेदन की स्थिति, कमी की स्थिति, तकनीकी समिति सत्यापन की स्थिति, पीएमसी निर्णय की स्थिति, अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र की स्थिति, लक्ष्य की प्रगति और किस्त-वार दावे की स्थिति भी प्रदर्शित की जाएगी।

एसआईपीपी निवेशकों की प्रगति में सहयोग और अनुश्रवण करेगा; हालांकि, यह एसआईपीबी चरण-I एवम् वित्तीय समापन/वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति की मंजूरी की प्रक्रिया नहीं करेगा या वैधानिक एनओसी/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियाँ जारी नहीं करेगा। ऐसी स्वीकृतियाँ एसडब्ल्यूसी पोर्टल या संबंधित सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जानी जारी रहेंगी, जहाँ लागू हो।

5.3 मानित अनुमोदन और समयसीमा अनुपालन

- यह प्रावधान केवल वहीं लागू होगा जहाँ कोई विशिष्ट अनुमोदन, लाइसेंस, एनओसी या सेवा एसडब्ल्यूसी पोर्टल, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, या किसी लागू सरकारी अधिसूचित समयसीमा के अंतर्गत आती हो।
- जहाँ इस प्रकार की स्वीकृति या सेवा किसी मानित-स्वीकृति प्रावधान के अधीन है, वहाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान न होने का प्रभाव सुसंगत कानून, नियम, पोर्टल प्रावधान या सरकारी निर्देश द्वारा नियंत्रित होगा।
- सुविधा डेस्क, एसडब्ल्यूसी पोर्टल, निवेशक या संबंधित प्राधिकार से उपलब्ध जानकारी के आधार पर एसआईपीपी पर ऐसे अनुमोदनों/सेवाओं की स्थिति पर नज़र रखेगा।
- जहाँ निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली है या बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई है, वहाँ सुविधा डेस्क निवेशक से संपर्क करेगा और संबंधित प्राधिकार एस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा।
- सुविधा डेस्क किसी भी स्वीकृति को स्वतः मानित स्वीकृत घोषित नहीं करेगा। यदि कोई मानित स्वीकृति लागू होती है, तो उसे केवल सुसंगत वैधानिक/पोर्टल तंत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही मान्यता दी जाएगी।

6. भूमि का आवंटन

यह अध्याय उन मामलों में लागू होता है जहाँ किसी निवेशक को गन्ना उद्योग विभाग से भूमि की आवश्यकता होती है। संभावित निवेशकों को एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय एसआईपीपी पर अपनी भूमि वरीयता भी प्रस्तुत करनी होगी, ताकि लागू भूमि शर्तों को बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जा सके।

6.1 भूमि अनुप्रयोग की प्रयोज्यता और समय

निवेशक भूमि के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनके पास उपयुक्त भूमि पहले से उपलब्ध न हो, या जहाँ पहले से उपलब्ध भूमि अपर्याप्त हो और स्वीकृत परियोजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो। भूमि की अनुशंसा/आवंटन भूमि की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्तता, लागू भूमि नीति और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन रहेगा। उपलब्ध विभागीय भूखंड की पूरी सूची निवेशकों की जानकारी और आवेदन के प्रयोजन के लिए एसआईपीपी पर वास्तविक समय के आधार पर अपलोड की जाएगी।

6.2 भूमि के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- भूमि संबंधी अनुरोध केवल विभाग के स्वामित्व/अधिपत्य वाली भूमि के मूल्यांकन और आवंटन/सिफारिश से संबंधित है; यह सब्सिडी की मंजूरी, वित्तीय समापन या वैधानिक मंजूरी नहीं है।
- चरण 1— आवेदन करें : निवेशक को (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) पोर्टल पर एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय ही एसआईपीपी पर भूमि आवश्यकता अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसमें परियोजना विवरण, प्रस्तावित भूमि आवश्यकता और बुनियादी सहायक दस्तावेज शामिल होंगे। भूमि आवंटन के उद्देश्य से केवल इस संचालन दिशानिर्देश में उल्लिखित पूर्ण विवरणों वाले ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
- चरण 2 — पूर्णता की जाँच : पीएमयू यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण और सही रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी दस्तावेज के गुम होने, अपूर्ण होने या अपर्याप्त होने की स्थिति में, पीएमयू विभाग के माध्यम से निवेशक को सूचित करेगा और आगे की प्रक्रिया से पहले सुधार का अनुरोध करेगा।
- चरण 3 — भूमि की जाँच : विभाग, प्रत्यक्ष रूप से या संबंधित भूमि प्राधिकार के माध्यम से, भूमि की उपलब्धता, प्रस्तावित परियोजना के लिए स्थल की उपयुक्तता,

भूमि उपयोग की अनुमति, स्थल तक पहुँच/संपर्कता और लागू भूमि आवंटन नीति, शर्तों और प्रक्रियाओं का सत्यापन और पुष्टि करेगा।

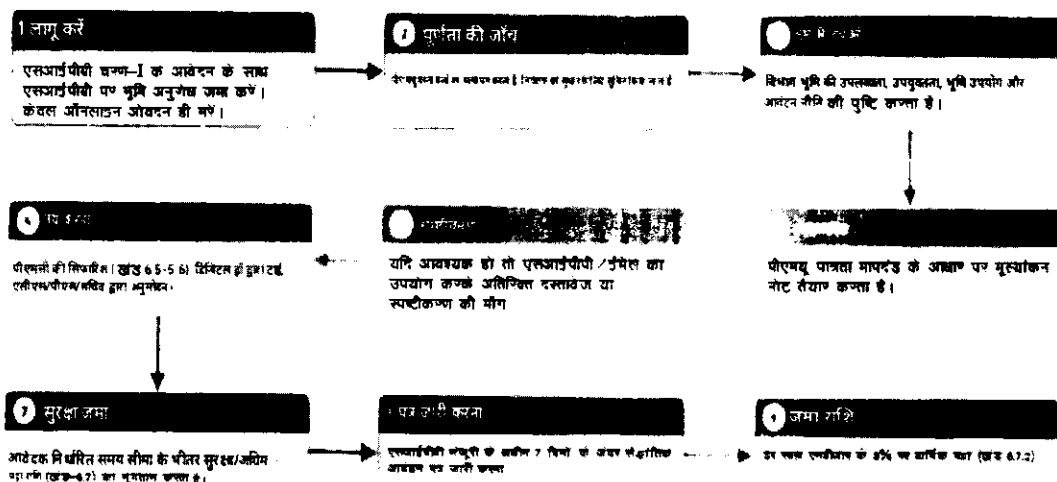
- **चरण 4 – मूल्यांकन :** पीएमयू नीति/संचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और मापदंडों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करने के बाद मूल्यांकन नोट तैयार करेगा।
- **चरण 5 – स्पष्टीकरण :** आवेदन की उचित जाँच के लिए, यदि आवश्यक हो, तो पीएमयू विभाग/पीएमसी के माध्यम से आवेदक से एसआईपीपी/ई-मेल के माध्यम से कोई अतिरिक्त दस्तावेज, जानकारी या स्पष्टीकरण माँग सकता है।
- **चरण 6 – निर्णय :** पीएमसी अनुरोध की जाँच करेगा और खंड 6.5 और 6.6 में परिभाषित विभागीय प्रक्रिया/कार्यविधि के अनुसार अपनी सिफारिश देगा। यदि किसी विशेष भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदक आवेदन करते हैं, तो इन संचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और मापदंडों के आधार पर आवेदनों की जाँच की जाएगी और तदनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। ऐसी जाँच के बाद बराबर (टाई) होने की स्थिति में, आवंटन पारदर्शी डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। पीएमसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और अंतिम अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिश अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार के समक्ष रखेगा।
- **चरण 7 – सुरक्षा जमा :** चयनित आवेदक को खंड 6.7 में विनिर्दिष्ट लागू सुरक्षा जमा/अग्रिम लीज राशि, सैद्धांतिक आवंटन सूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर और तरीके से जमा करनी होगी। उक्त जमा राशि का निपटान खंड 6.7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जिसमें जहाँ लागू हो, इसे अग्रिम लीज राशि अथवा सुरक्षा जमा के रूप में माना जाना शामिल होगा।
- **चरण 8 – पत्र जारी करना :** पीएमसी कार्यवाही की स्वीकृति और सुरक्षा जमा राशि के भुगतान के बाद, चयनित आवेदक को 7 दिनों के भीतर सैद्धांतिक भूमि आवंटन पत्र प्राप्त होगा। अंतिम आवंटन एसआईपीबी की वित्तीय मंजूरी और पत्र में उल्लिखित भुगतान, लीज, समयसीमा और अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

- ### कार्यप्रवाह-भूमि आवंटन

■ आवेदन

१. मृत्यांशज & निर्जय

अव्यंजन एव भुगतान



भूमि की सिफारिश/आवंटन निम्नलिखित के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा :

- परियोजना पात्रता और एसआईपीबी चरण-I आवेदन ;
- प्रस्तावित गतिविधि के लिए भूमि की उपयुक्तता ;
- लेआउट और क्षमता के आधार पर उचित भूमि की आवश्यकता ;
- भूमि प्रभार का भुगतान करने और परियोजना को लागू करने की वित्तीय क्षमता;



✓ 2 8

✓

- 36 माह की विश्वसनीय कार्यान्वयन योजना;
- क्षेत्र पर प्रभाव, किसानों से जुड़ाव और रोजगार की संभावनाएँ;
- अनुपालन रिकॉर्ड,

6.4 भूमि आवंटन के लिए पीएमसी अनुमोदन प्रक्रिया

- पीएमसी केवल एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी प्राप्त पूर्ण भूमि अनुरोधों की ही जाँच करेगी।
- पीएमसी अनुरोध की जाँच करेगी और विभागीय प्रक्रिया/कार्यविधि के अनुसार अपनी अनुशंसा देगी। विभाग/सक्षम प्राधिकारी अनुरोध को स्वीकृत, स्थगित या अस्वीकृत करेगा।
- निर्णय प्रक्रिया : सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन → आकलन → अनुमोदन/सिफारिश/स्थगन/अस्वीकृति, आवंटन।
- प्रत्येक निर्णय में कारणों और लंबित आवश्यकताओं (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाएगा; भूमि की सिफारिश केवल पहले आवेदन की तिथि के आधार पर नहीं की जाएगी।

6.5 भूमि आवंटन स्कोर मैट्रिक्स

भूमि आवंटन स्कोर मैट्रिक्स को प्रत्येक भूमि आवेदन पर लागू किया जाएगा ताकि एकसमान मूल्यांकन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और निवेशकों की तत्परता की वस्तुनिष्ठ तुलना सुनिश्चित हो सके। यदि एक से अधिक पात्र निवेशक एक ही भूखंड के लिए आवेदन करते हैं, तो तुलनात्मक प्राथमिकता निर्धारण के लिए समान मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। कुल अंक 100 होंगे, और सामान्यतः अनुशंसा के लिए कम से कम 60 अंक आवश्यक होंगे, यह अनिवार्य पात्रता, भूमि की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्तता, वैध भूमि उपयोग और सक्षम भूमि स्वामी/आवंटनकर्ता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

क्र० सं०	मूल्यांकन मानदंड	दस्तावेज़/साक्ष्य	अंक कैसे दिए जाते हैं	अधिकतम अंक
1	चीनी क्षेत्र में उद्योग का अनुभव	- निगमन प्रमाणपत्र और व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट	0 अंक : चीनी/चीनी कॉम्प्लेक्स में पूर्व अनुभव नहीं है।	20

		चीनी मिल/चीनी कॉम्प्लेक्स के संचालन का प्रमाण जैसे कि कारखाना लाइसेंस, गन्ना पेराई की अनुमति/चीनी मिल रजिस्ट्रीकरण, डिस्टिलरी लाइसेंस, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की स्वीकृति।	8 अंक : चीनी और चीनी कॉम्प्लेक्स में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम तक का पूर्व हैं। 15 अंक : चीनी मिल और चीनी कॉम्प्लेक्स के संचालन सहित 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से कम तक का पूर्व अनुभव। 20 अंक : चीनी मिल और चीनी कॉम्प्लेक्स के सफल संचालन सहित 10 वर्ष या उससे अधिक का पूर्व अनुभव।	
2	व्यवसाय से शुद्ध संपत्ति	- चार्टर्ड अकाउंटेंट से शुद्ध प्राप्त संपत्ति (नेट वर्थ) प्रमाणपत्र - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण - जहां भी लागू हो, चीनी मिल/चीनी कॉम्प्लेक्स व्यवसाय से संबंधित शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) दर्शाने वाला खंडवार प्रमाण पत्र/वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र।	0 अंक : स्थापित न किए गए व्यवसाय से प्राप्त सकारात्मक कुल संपत्ति। 8 अंक : व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध संपत्ति प्रस्तावित परियोजना लागत का कम से कम 10% है। 15 अंक : व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध संपत्ति प्रस्तावित परियोजना लागत का कम से कम 20% है। 20 अंक : व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध संपत्ति प्रस्तावित परियोजना लागत का कम से कम 30% है।	20
3	प्रस्तावित चीनी कॉम्प्लेक्स के प्रकार	- डीपीआर/परियोजना अवधारणा नोट्स - चीनी मिल, इथेनॉल, सह-उत्पादन और/या सीबीजी घटकों की क्षमता संबंधी विवरण - बैंक मूल्यांकन/वित्तीय योजना	20 अंक : केवल चीनी मिल, जो न्यूनतम नीतिगत क्षमता को पूरा करती हो। 25 अंक : चीनी मिल जिसमें एथेनॉल, सह-उत्पादन या सीबीजी जैसे एक संबद्ध घटक शामिल हों। 30 अंक : चीनी मिल जिसमें इथेनॉल, सह-उत्पादन या सीबीजी जैसे दो संबद्ध घटक हों। 35 अंक : चीनी मिल, इथेनॉल, सह-उत्पादन और सीबीजी/समतुल्य मूल्यवर्धित	35

			घटक सहित पूर्णतः एकीकृत चीनी कॉम्प्लेक्स।	
4	एकीकृत चीनी कॉम्प्लेक्स सहित नई चीनी मिलों के लिए निवेश राशि	• डीपीआर ; • बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट ; • घटक-वार अनुमोदित परियोजना लागत/एफसीआई विवरण; • चीनी मिल, डिस्टिलरी/इथेनॉल, सह-उत्पादन और/या सीबीजी के लिए क्षमता विवरण; • वित्त के साधन	• 0 अंक : स्वीकृत परियोजना लागत/एफसीआई का विवरण डीपीआर या बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, या प्रस्ताव नई चीनी मिल के लिए न्यूनतम नीतिगत क्षमता 3,500 टीसीडी को पूरा नहीं करता है। • 5 अंक : स्वीकृत परियोजना लागत/एफसीआई केवल न्यूनतम नीति-अनुरूप 3,500 टीसीडी की नई चीनी मिल का समर्थन करती है, जिसमें कोई एकीकृत घटक शामिल नहीं है। • 10 अंक : स्वीकृत परियोजना लागत/एफसीआई 3,500 टीसीडी की एक नई चीनी मिल का समर्थन करती है जिसमें कम से कम एक नीति-योग्य एकीकृत घटक हो, जैसे कि न्यूनतम 45 केएलपीडी की इथेनॉल/डिस्टिलरी, न्यूनतम 10 मेगावाट का सह-उत्पादन, या न्यूनतम 5 टीपीडी का सीबीजी। • 15 अंक : स्वीकृत परियोजना लागत/एफसीआई 3,500 टीसीडी या उससे अधिक क्षमता वाली एक नई चीनी मिल का समर्थन करती है जिसमें कम से कम दो नीति-योग्य एकीकृत घटक हों, और कुल निवेश बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमाणित न्यूनतम क्षमता वाले स्वतंत्र चीनी मिल निवेश से अधिक हो। • 20 अंक : स्वीकृत परियोजना लागत/एफसीआई 5,000 टीसीडी या उससे अधिक क्षमता वाली नई चीनी मिल का	20

			समर्थन करती है जिसमें कम से कम दो या अधिक नीति-योग्य एकीकृत घटक हों, और प्रस्ताव न्यूनतम नीति-अनुरूप परियोजना की तुलना में काफी अधिक निवेश प्रदर्शित करता है, जैसा कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमाणित है।	
5	बिहार-मूल का प्रमुख प्रवर्तक (promoter)	- संस्था के गठन से संबंधी दस्तावेज, प्रवर्तक संबंधी अभिलेख, साझेदारी विलेख/एलएलपी समझौता, कंपनी अभिलेख, सहकारी संस्था के अभिलेख अथवा प्रमुख प्रवर्तक की पहचान करने वाला विधिवत प्राधिकृत संकल्प। - प्रमुख प्रवर्तक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बिहार निवास प्रमाण-पत्र।	0अंक: प्रमुख प्रवर्तक बिहार का निवासी नहीं है अथवा निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 5 अंक: एकल स्वामिल वाली इकाई का स्वामी बिहार-मूल का हो; अथवा बिहार-मूल का प्रमुख प्रवर्तक आवेदक संस्था में कम-सेकम 51% स्वामित्व/लाभांश हिस्सेदारी तथा मतदान अधिकार रखता हो, अथवा संस्था पर विधिसम्मत रूप से अभिलिखित प्रबंधकीय नियंत्रण रखता हो; सहकारी संस्था के मामले में, बिहार-मूल का प्रमुख प्रवर्तक निर्वाचित अध्यक्ष/मुख्य प्रवर्तक हो।	5
उप-योग - वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंड				100
6	पीएमसी के समक्ष प्रस्तुति	- आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव, आवेदन में उल्लिखित विवरण तथा सहायक दस्तावेज - पीएमसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा विवरण।	आवेदक पीएमसी के समक्ष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत विवरणों दावों, प्रतिबद्धताओं एवं दस्तावेजों का औचित्य स्पष्ट करेगा। प्रस्तुतीकरण का उपयोग केवल पीएमसी को आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ दस्तावेजों की संगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। इन परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार पृथक रूप से प्रस्तुत और	0

			सत्यापित किए किसी नए दावे अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।	
--	--	--	--	--

तालिका 6.1 पीएमसी मूल्यांकन और आयरंड आवंटन की सिफारिश के लिए स्कोर मैट्रिक्स

स्कोरिंग व्याख्या	
75+ अंक	उच्च प्राथमिकता वाला प्रस्ताव
60-74 अंक	सत्यापन/शर्तों के अधीन स्वीकार्य
50-59 अंक	मजबूत करने की आवश्यकता है या स्थगन
50 अंक से नीचे	इस स्तर पर उपयुक्त नहीं है

6.6 भूमि आवंटन सुरक्षा उपाय

- अनिवार्य पात्रता : स्कोर मैट्रिक्स एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन, भूमि उपलब्धता, वैध भूमि उपयोग, परियोजना पात्रता, क्षमता सीमा, वित्तीय क्षमता, वैधानिक अनुपालन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को निरस्त नहीं करेगा।
- स्वतः आवंटन नहीं : यदि अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो केवल उच्चतम स्कोर के आधार पर भूमि की अनुशंसा करना उचित नहीं होगा।
- टाई-ब्रेकर : समान/लगभग समान अंकों की स्थिति में, पीएमसी नीति के प्रभाव, वित्तीय तत्परता, भूमि उपयोग दक्षता, कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, किसान संपर्क, अनुपालन रिकॉर्ड और कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण पर विचार कर सकेगी।
- सशर्त अनुशंसा : लंबित दस्तावेज, स्वीकृतियाँ, भुगतान दायित्व, पट्टे की शर्तें, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और अनुपालन समयसीमा स्पष्ट रूप से अभिलिखित की जानी चाहिए।
- अंतिम आवंटन : फाइनल जमीन का अलॉटमेंट तभी किया जाएगा जब एप्लिकेंट इनमें से किसी एक तारीख से 6 महीने के अंदर जरूरी फाइनैशियल क्लीयरेंस जमा कर देगा (i) SIPB स्टेज-1 क्लीयरेंस की तारीख या (ii) सक्षम प्राधिकार से जमीन आलॉटमेंट के अप्रूवल की तारीख, और किसी भी हालत में डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई किसी भी दूसरी लिमिट के अंदर, यदि कोई हो। यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, आवंटन पत्र जारी करने, लागू शुल्कों के भुगतान, पट्टा विलेख के निष्पादन, कब्जे की औपचारिकताओं के पूर्ण होने और आवंटन की शर्तों के निरंतर अनुपालन के अधीन रहेगा।
- अनुपालन न करना : गलत विवरण प्रस्तुत करना, भुगतान न करना, भूमि का दुरुपयोग, देरी या उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवंटन रद्द करना, वसूली, ज़ब्ती या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

nl

R

20

2

2

2

6.7 राशि जमा करना

6.7.1 सुरक्षा जमा/वार्षिक पट्टा

पट्टे की अवधि/ स्थिति	लागू प्रावधान	प्रतिभूति राशी
रियायती सीमा के भीतर भूमि	5,000 टीसीडी चीनी मिल के लिए अधिकतम 40 एकड़ और 3,500 टीसीडी चीनी मिल के लिए अधिकतम 25 एकड़ भूमि एक रुपये के सांकेतिक पट्टे की राशि पर पट्टे पर दी जा सकेगी जो नीति के शर्तों के अधीन होगी।	तीन साल के वार्षिक पट्टे के बराबर राशि, जो लागू एमवीआर के 3% की दर से गणना की गई है, पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले सुरक्षा के रूप में जमा की जाएगी, जो बाद में स्वीकृत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के अनुपालन के अधीन वापस कर दी जाएगी।
रियायती सीमा से अधिक भूमि	40 एकड़/25 एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष लागू एमवीआर का 3% प्रभार लिया जाएगा।	अतिरिक्त भूमि से संबंधित 3 साल की जमा राशि को ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिए देय पट्टे की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
प्रारंभिक 3 वर्षों के बाद भुगतान	जहाँ भी वार्षिक पट्टा राशि देय हो, उसकी गणना लागू एमवीआर के 3% प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से की जाती रहेगी।	वार्षिक पट्टे की राशि आबंटिती द्वारा विभाग द्वारा अनुमोदित तरीके से जमा की जाएगी।

तालिका 6.2 | सुरक्षा जमा/वार्षिक पट्टा भुगतान

चित्रण	भूमि और एमवीआर मान लिया गया	जमा गणना	व्यवहार
उदाहरण 1 : 5,000 टीसीडी मिल सीमा के भीतर	40 एकड़; एमवीआर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ माना गया।	वार्षिक राशि = ₹10 लाख का 3% x 40 एकड़ = ₹12 लाख। तीन साल की जमा राशि = ₹12 लाख x 3 = ₹36 लाख।	अनुमोदित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, इसे वापसी योग्य प्रतिभूति राशि के रूप में माना जाता है।
उदाहरण 2 : अतिरिक्त भूमि सहित 5,000 टीसीडी क्षमता वाली मिल	50 एकड़; सीमा के भीतर 40 एकड़ और अतिरिक्त 10 एकड़; एमवीआर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ माना गया।	अतिरिक्त 10 एकड़ के लिए : वार्षिक राशि = ₹10 लाख का 3% x 10 एकड़ = ₹3 लाख। तीन साल की जमा राशि = 3 लाख x 3 = ₹9 लाख।	अतिरिक्त भूमि के लिए जमा राशि को ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिए देय पट्टे की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा; रियायती सीमा के भीतर की भूमि के लिए जमा राशि को सुरक्षा के रूप में माना जाएगा।
उदाहरण 3 : 3,500 टीसीडी मिल सीमा के भीतर	25 एकड़; एमवीआर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ माना गया।	वार्षिक राशि = 10 लाख का 3% x 25 एकड़ = ₹7.50 लाख। तीन साल की जमा	अनुमोदित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, अनुपालन के अधीन, इसे

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

		राशि = ₹7.50 लाख × 3 = ₹22.50 लाख।	वापसी योग्य सुरक्षा राशि के रूप में माना जाता है।
--	--	------------------------------------	---

तालिका 6.3 | सुरक्षा जमा/वार्षिक पट्टा भुगतान के उदाहरण

6.7.2 भुगतान विधि

इस प्रकार गणना की गई प्रतिभूति राशि/वार्षिक पट्टा राशि आबंटिती द्वारा बिहार सरकार के खजाने में जमा की जाएगी। भुगतान बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के पक्ष में चालान के माध्यम से किया जाएगा।

6.8 आवंटन के बाद के दायित्व

- **भुगतान एवं समझौता :** निवेशक सभी लागू प्रभारों का भुगतान करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर पट्टा/भूमि करारों पर हस्ताक्षर करेगा।
- **स्वामित्व एवं उपयोग :** भूमि का अधिग्रहण विधिवत औपचारिकताओं के बाद ही किया जाएगा और इसका उपयोग केवल अनुमोदित गन्ना-आधारित परियोजना के लिए ही किया जाएगा।
- **निर्माण और स्वीकृतियाँ :** भवन योजना, पर्यावरण, कारखाना, श्रम, अग्नि, विद्युत और अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ कार्यान्वयन से पहले या उसके दौरान प्राप्त की जानी चाहिए।
- **परियोजना की समयसीमा :** सिविल कार्य और वाणिज्यिक उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों और कार्यान्वयन समयसीमा के भीतर प्रारंभ सुनिश्चित करना होगा।
- **रिपोर्टिंग :** निवेशक को एसआईपीपी/सुसंगत पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट, महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी, तस्वीरें, व्यय रिकॉर्ड और अनुपालन दस्तावेज जमा करने होंगे।
- **अनधिकृत हस्तांतरण निषेध :** भूमि, पट्टा अधिकार, परियोजना का दायरा या स्वामित्व संरचना को आवश्यक अनुमोदन के बिना हस्तांतरित, गिरवी या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- **निरंतर अनुपालन :** निवेशक को संचालन बनाए रखना होगा, बकाया राशि का भुगतान करना होगा, भूमि की जमाखोरी से बचना होगा और आवंटन/पट्टे की सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।

14 B J C Q

- **उल्लंघन के परिणाम :** अनुपालन न करने पर दंड, रद्दकरण, ज़ब्ती, वसूली, भूमि की वापसी या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- **उल्लंघन :** इस आवंटन के निबंधन और शर्तों का कोई भी उल्लंघन भूमि आवंटन और पट्टा विलेख को रद्द करने का कारण बनेगा।
- **रद्दकरण :** यदि आवंटिती निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक वित्तीय मंजूरी दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो सैद्धांतिक भूमि आवंटन अनुमोदन रद्द हो जाएगा या विभाग द्वारा रद्द किए जाने के योग्य होगा, और उसके बाद भूमि को लागू प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य पात्र संभावित निवेशक को आवंटित किया जा सकेगा।

7. प्रोत्साहन योजना

7.1 मार्गदर्शक सिद्धांत

- **अनुप्रयोज्यता :** ये प्रावधान नीति के अंतर्गत सभी पात्र परियोजनाओं और मिलों पर लागू होते हैं (जैसा कि तालिका 7.1 में दिया गया है)। एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी अनिवार्य है। केवल वे परियोजनाएं जिन्होंने एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी प्राप्त कर ली है, इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी। ऐसे निवेशक आवश्यक दस्तावेजों के साथ गन्ना उद्योग विभाग को करना होगा।
- **सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाता है :** पूंजीगत सब्सिडी, क्रेडिट से जुड़ी होगी और इसे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने और वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर किस्तों पर जारी किया जाएगा। सब्सिडी की राशि सीधे उस बैंक/वित्तीय संस्थान को जारी की जाएगी जिसने निवेशक को सावधि ऋण प्रदान किया है। बैंक/वित्तीय संस्थान सब्सिडी की राशि निवेशक के सावधि ऋण खाते में जमा करेगा और इसे केवल ऋण की मूल राशि के विरुद्ध समायोजित करेगा।
बैंक/वित्तीय संस्था को विभाग को यह पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी कि सब्सिडी को सावधि ऋण के मूलधन में समायोजित कर दिया गया है। यह पुष्टि स्वीकृति/ऋण जारी करने के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसे परियोजना फाइल में रखा जाएगा और ऐसी पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही अगली किस्त पर विचार किया जाएगा।

12

- **गणना का आधार :** स्थायी पूंजी निवेश (एफसीआई) का अर्थ है नए प्लांट श्वम मशीनरी में निवेश और उत्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी और संबंधित अचल परिसंपत्तियाँ, जैसा कि डीपीआर (अध्याय 13 देखें) में परिभाषित है। बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार एफसीआई/अनुमोदित परियोजना लागत पर सहायता की गणना की जाएगी।
- **परियोजना पूर्ण होने की समयसीमा :** एसआईपीबी द्वारा परियोजना की मंजूरी की तारीख से अधिकतम 36 महीनों के भीतर परियोजना पूर्ण और संचालित हो जानी चाहिए।
- **स्वामित्व परिवर्तन :** किसी इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन होने की स्थिति में, इकाई गन्ना उद्योग विभाग को सूचित करेगी; शेष प्रोत्साहन राशि के लिए नए स्वामी के नाम पर एक संशोधित पात्रता पत्र जारी किया जा सकेगा। पात्रता अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी।
प्रोत्साहन अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजना के स्वामित्व, शेरधारिता नियंत्रण, संरचना, प्रबंधन या हस्तांतरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना घटना के 30 दिनों के भीतर गन्ना उद्योग विभाग को दी जाएगी, साथ ही नए मालिकों और प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जायेंगे। विभाग पात्रता की निरंतरता, देनदारियों, परियोजना परिसंपत्तियों और अनुपालन इतिहास की गहन जांच करेगा, आवश्यकता पड़ने पर मामले को सक्षम प्राधिकारी/पीएमसी के समक्ष रखेगा और अनुमोदन के बाद ही शेष प्रोत्साहन अवधि के लिए संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा। मूल पात्रता अवधि का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।
- **झूठी घोषणा :** प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए झूठी घोषणा करने, या अपात्र इकाई द्वारा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने, या नीति की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल की जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार ब्याज सहित बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी।

- **निर्वचन एवं विवाद समाधान :** निर्वचन और विवादों से संबंधित सभी मामलों का निर्णय बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
- **संयंत्र एवं मशीनरी की पात्रता एवं तकनीकी प्रमाणीकरण :** इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली किसी भी परियोजना के तहत प्रस्तावित प्लांट एवं मशीनरी की पात्रता एवं स्वीकार्यता का निर्धारण अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुमोदित परियोजना क्षमता और तकनीकी संरचना के संदर्भ में परियोजना-विशिष्ट आधार पर किया जाएगा।

पात्र अचल पूंजी निवेश में शामिल किए जाने वाले प्लांट और मशीनरी को विधिवत योग्य विशेषज्ञ या मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान, जिसमें वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई), राष्ट्रीय सर्करा संस्थान (एनएसआई), या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान, संगठन या अभिकरण शामिल है, द्वारा तकनीकी रूप से आवश्यक और अनुमोदित परियोजना से सीधे संबंधित होने के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार के प्रमाणन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की पुष्टि की जाएगी :

- (क) कि प्लांट एवं मशीनरी अनुमोदित परियोजना के लिए आवश्यक है तथा अनुमोदित क्षमता एवं उत्पाद विन्यास के अनुरूप है;
- (ख) कि प्लांट एवं मशीनरी अनुमोदित परियोजना की विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपयोगिता, ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण, स्वचालन, गुणवत्ता नियंत्रण या अन्य उत्पादन-संबंधी प्रणालियों का अभिन्न अंग है;
- (ग) कि प्लांट एवं मशीनरी नई है तथा अनुमोदित परियोजना के लिए खरीदी, स्थापित और चालू की गई है;
- (घ) कि अनुमोदित परियोजना के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्लांट एवं मशीनरी का प्रस्तावित विन्यास और लागत तकनीकी रूप से उचित है; और
- (ङ) कि प्लांट एवं मशीनरी उस प्रकार की नहीं है जिसे नीति या इन संचालन दिशानिर्देशों के तहत स्पष्ट रूप से बहिष्कृत किया गया हो।

पीएमसी मूल्यांकन, सत्यापन, निरीक्षण, माइलस्टोन के मूल्यांकन या सब्सिडी जारी करने के किसी भी चरण में ऐसे तकनीकी प्रमाणन, स्पष्टीकरण या राय की मांग कर

✓ 8 ✓ 4 ✓

✓

सकेगा जहां किसी भी संयंत्र और मशीनरी की स्वीकार्यता, आवश्यकता, विन्यास, क्षमता या लागत के लिए तकनीकी सत्यापन की आवश्यकता होती है।

प्राप्त तकनीकी प्रमाणन और सिफारिशों के आधार पर संयंत्र एवं मशीनरी की स्वीकार्यता के संबंध में सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।

7.2 चीनी मिलों के लिए सहयोग

इस नीति के अंतर्गत सहयोग निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र चीनी मिल परियोजनाओं को दी जाएगी :

1. नई चीनी मिलें/बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार; और
2. मौजूदा/संचालित चीनी मिलें, जिनमें क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन और विशेष श्रेणी की चीनी उत्पादन में रूपांतरण शामिल हैं।

7.2.1 नई चीनी मिलें/बंद चीनी मिलों का पुनरुद्धार

इस नीति के तहत सहायता के लिए एक नई चीनी मिल या बंद पड़ी चीनी मिल का पुनरुद्धार पात्र होगा, बशर्ते कि प्रस्तावित इकाई की न्यूनतम पेराई क्षमता 3,500 टीसीडी हो।

निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य होंगे :

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	• कम से कम 3,500 टीसीडी की क्षमता वाली नई चीनी मिल की स्थापना या बंद पड़ी चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए, ₹70.00 करोड़ की पूंजी सब्सिडी 5 वर्षों में 5 समान किस्तों में देय होगी। सब्सिडी का भुगतान वाणिज्यिक उत्पादन के एक महीने बाद माइलस्टानों की जाँच तथा नीति के अनुपालन के अध्याधीन किया जाएगा। • जहां स्थापित क्षमता 3,500 टीसीडी से अधिक है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त 100 टीसीडी क्षमता के लिए 2.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अधीन होगी।
2	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	• सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन और लागू कर कानूनों के अनुपालन के अधीन, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पात्र इकाई द्वारा उत्पादित चीनी पर भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	चीनी मिल की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की खरीद पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति पंजीकृत दस्तावेजों, भुगतान के प्रमाण और संबंधित प्राधिकार द्वारा सत्यापन प्रस्तुत करने के अधीन है।
4	विभागीय/बीएसएससी भूमि के आवंटन पर विशेष छूट	- जहां बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग या बिहार राज्य चीनी निगम से संबंधित भूमि उपलब्ध है और उसे नई चीनी मिल की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है, ऐसी भूमि को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित किया जा सकेगा। 5,000 टीसीडी क्षमता वाली एक नई चीनी मिल के लिए, 40.00 एकड़ तक की भूमि 1.00 रुपये (एक रुपये) के सांकेतिक पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। 3,500 टीसीडी क्षमता वाली एक नई चीनी मिल के लिए, 25.00 एकड़ तक की भूमि 1.00 रुपये (एक रुपये) के सांकेतिक पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। - उपरोक्त सीमा से अधिक आवश्यक भूमि प्रति एकड़ प्रति वर्ष बाजार मूल्य (एमवीआर) के 3% की दर से आवंटित की जाएगी। रियायती भूमि का उपयोग केवल चीनी मिल चलाने और जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया है, उसी के लिए किया जाएगा। पट्टे का नवीकरण, यदि कोई हो, तो प्रचलित एमवीआर और नवीकरण के समय लागू सरकारी निर्णय के अधीन होगा। - जहां भी लागू हो, लागू बाजार मूल्य (एमवीआर) के 3% की दर से परिकल्पित वार्षिक पट्टा राशि, आवंटिती द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में बिहार सरकार के कोषागार में जमा की जाएगी। भुगतान बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के नाम चालान के माध्यम से किया जा सकेगा।

तालिका 7.1 चीनी मिलों के नए/पुनरुद्धार के लिए प्रोत्साहन

नोट :

- रियायती भूमि का उपयोग केवल चीनी मिल चलाने और उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

2. पट्टा अवधि समाप्त होने पर, पट्टे का नवीकरण उसी या उससे कम क्षेत्र के लिए उस समय लागू प्रचलित बाजार मूल्य दर (एमवीआर) के 3% पर किया जा सकता है, जो लागू सरकारी निर्णय के अधीन होगा।
3. यदि एक ही भूखंड के लिए एक से अधिक पात्र निवेशक आवेदन करते हैं, तो आवंटन का निर्णय केवल आवेदन की तिथि के आधार पर नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी/पीएमसी धारा 6.5 में उल्लिखित निर्धारित स्कोर मैट्रिक्स, दस्तावेज सत्यापन, वित्तीय और तकनीकी क्षमता तथा परियोजना के समय पर निष्पादन की व्यवहार्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। समान स्कोर या असाधारण परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकार/पीएमसी अंतिम निर्णय लेगा। सक्षम प्राधिकारी/पीएमसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.2.2 मौजूदा/संचालित चीनी मिलें

इस नीति के तहत क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या विशेष श्रेणी की चीनी उत्पादन में रूपांतरण के लिए मौजूदा या कार्यरत चीनी मिलें निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन सहायता के लिए पात्र होंगी।

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	• किसी कार्यरत चीनी मिल की क्षमता में कम से कम 1,000 टीसीडी की वृद्धि के लिए, ₹15.00 करोड़ की पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी। • विस्तारित क्षमता के सफल प्रदर्शन और सत्यापन के एक महीने बाद सब्सिडी जारी की जाएगी, बशर्ते इस नीति के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाए। • जहां क्षमता विस्तार 1,000 टीसीडी से अधिक हो, वहां प्रत्येक अतिरिक्त 100 टीसीडी क्षमता के लिए 1.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अधीन होगी।
2	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	• क्षमता विस्तार के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी पर भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।

3	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक भूमि की खरीद पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी, बशर्ते पंजीकृत दस्तावेज, भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए और संबंधित प्राधिकार द्वारा इसका सत्यापन किया जाए।
---	---	---

तालिका 7.2 चीनी मिलों के अस्तित्व के लिए प्रोत्साहन

7.2.3 आधुनिकीकरण/उन्नयन/विशेष श्रेणी की चीनी में रूपांतरण

यदि कोई कार्यरत मिल आधुनिकीकरण/उन्नयन करती है या इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस (आईसीयूएमएसए) मानकों के अनुसार विशेष श्रेणी की चीनी का उत्पादन करने वाली रिफाइनरी में परिवर्तित होती है, तो वह इकाई पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होगी।

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	विशेष श्रेणी की चीनी के लिए आधुनिकीकरण उन्नयन/ परिवर्तन	- स्वीकार्य सब्सिडी पात्र अचल पूंजी निवेश का 20% होगी, जो अधिकतम ₹5.00 करोड़ की सीमा के अधीन होगी, इनमें से जो भी कम हो। - ऐसी सब्सिडी पात्र निवेश के सत्यापन, अनुमोदित आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण कार्य के पूर्ण होने और इस नीति के प्रावधानों के अनुपालन के बाद ही प्रदान की जाएगी।

तालिका 7.3 मौजूदा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए प्रोत्साहन

7.2.4 पूंजीगत सब्सिडी वितरण – चरणबद्ध लक्ष्यों से जुड़ा हुआ

7.2.5 चीनी मिलें

चीनी मिलों के लिए, पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत सब्सिडी राशि, परियोजना के महत्वपूर्ण पड़ाव, तकनीकी समिति के सत्यापन और एसआईपीबी की मंजूरी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक किस्त कब दी जाएगी, समयसीमा और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई है।

परियोजना/ भुगतान चरण	उपलब्धि/जब प्रोत्साहन दिया जाता है	समय	प्रोत्साहन विमोचन	आवश्यक मुख्य दस्तावेज
क. नए/पुनर्जीवित चीनी मिलें				

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

पहली किस्त	• उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर गन्ना पदाधिकारी/अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत को प्रमाणित किया जाएगा; • संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए न्यूनतम 3,500 टीसीडी क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पेराई अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता होगी। 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए प्रदर्शन किया जाएगा; और यदि पेराई अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए प्रदर्शित की जाएगी, न कि 14.5 दिनों के लिए; • प्रमोटर का अंशदान/इक्विटी और सावधि ऋण का उपयोग कम से कम उतनी ही प्रतिशत में होना चाहिए जितनी कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्त साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी की किस्त है। इस उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, और उपयोग की गई कुल धनराशि कम से कम दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होनी चाहिए। • संयंत्र और मशीनरी की स्थापना को तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	व्यावसायिक उत्पादन के एक महीने बाद।	स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 20%।	अनुलग्नक IV
------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	-------------

दूसरी किस्त	● संबंधित पेराई सत्र के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन की निरंतरता को गन्ना पदाधिकारी/अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा; ● संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए न्यूनतम अनुमोदित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पेराई अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए किया जाना चाहिए; और यदि पेराई अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए किया जाना चाहिए और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। ● बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्त साधनों के अनुसार, प्रमोटर अंशदान/इक्विटी और सावधि ऋण के पूर्ण उपयोग का सत्यापन सब्सिडी की किस्त जारी करने से पहले किया जाएगा। इस उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ● सावधि ऋण के मूलधन घटक के विरुद्ध पिछली सब्सिडी किस्त का समायोजन ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा संपुष्टि के पश्चात किया जाएगा।	पहली किस्त के लगभग 12 महीने बाद।	स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का अगला 20%	अनुलग्नक IV
-------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------

✓ 8 ✓ ✓ ✓

✓

तीसरी किस्त	• सावधि ऋण की मूल राशि के मुकाबले दूसरी किस्त का उपयोग/समायोजन ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा पुष्टि किया जाएगा : • संबंधित पेराई सत्र के दौरान मिल के निरंतर संचालन को गन्ना पदाधिकारी /अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा; • संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए न्यूनतम अनुमोदित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पेराई अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए किया जाना चाहिए; और यदि पेराई अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए किया जाना चाहिए, न कि 14.5 दिनों के लिए, और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। • नीति की शर्तों के निरंतर अनुपालन का सत्यापन तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा और इसे पीएमसी के समक्ष रखा जाएगा।	दूसरी किस्त के लगभग 12 महीने बाद।	स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का अगला 20%	अनुलग्नक IV
चौथी किस्त	• सावधि ऋण के मूलधन के मुकाबले तीसरी किस्त का उपयोग/समायोजन ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा पुष्टि की जाएगी; • संबंधित पेराई सत्र के दौरान निरंतर वाणिज्यिक संचालन को गन्ना	तीसरी किस्त के लगभग 12 महीने बाद	स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का अगला 20%	अनुलग्नक IV

	पदाधिकारी /अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा; - संयंत्र और मशीनरी केवल तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित अनुमोदित परियोजना के लिए ही स्थापित, चालू और उपयोग में रहेंगी; - लागू नीति की शर्तों और परिसंपत्ति-उपयोग संबंधी प्रतिबंधों के अनुपालन का सत्यापन तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा।			
5वीं/अंतिम किस्त	- सावधि ऋण की मूल राशि के मुकाबले चौथी किस्त का उपयोग/समायोजन ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सत्यापित किया जाएगा : - अंतिम वर्ष के वाणिज्यिक संचालन और निरंतर उत्पादन को गन्ना पदाधिकारी/अधिकृत उत्पादन अभिलेख पदाधिकारी और स्थल विभागीय पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा; - अंतिम लक्ष्य प्राप्ति, क्षमता प्रदर्शन और संयंत्र एवं मशीनरी की निरंतर स्थापना का सत्यापन तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा : - नीति की शर्तों, सब्सिडी जारी करने की शर्तों और पिछली किस्तों की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन के लिए पीएमसी के समक्ष रखा जाएगा।	चौथी किस्त के लगभग 12 महीने बाद	स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का अंतिम 20%	अनुलग्नक IV
ख. मौजूदा/संचालित चीनी मिल की क्षमता विस्तार				

✓ 8 2 2 ✓

1

मौजूदा/संचालित चीनी मिल की क्षमता विस्तार	● प्रमाणित पूर्व-विस्तार क्षमता के अतिरिक्त कम से कम 1,000 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता प्राप्त की जानी चाहिए और संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए, जैसा कि तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि पेराई अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए; और यदि पेराई अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए, न कि 14 दिनों के लिए। ● स्वीकृत विस्तार के लिए स्थापित किए गए नए संयंत्र और मशीनरी का संचालन और प्रमाणीकरण तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा; ● स्वीकृत विस्तार के लिए प्रमोटर का अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग कम से कम उतनी ही प्रतिशत में होना चाहिए जितनी कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत है। ऐसे उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और उपयोग की गई कुल धनराशि दावा की गयी/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होगी। ● विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत को गन्ना	चालू होने के बाद, तकनीकी समिति सत्यापन, क्षमता प्रदर्शन और विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ।	न्यूनतम 1,000 टीसीडी के विस्तार के लिए ₹15.00 करोड़ और अतिरिक्त 100 टीसीडी के लिए ₹1.50 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी, ये सभी नीतिगत सीमा, सत्यापन और अनुमोदन के अधीन हैं।	अनुलग्नक IV
--	--	---	---	--------------------

	पदाधिकारी/अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा।			
--	--	--	--	--

तालिका 7.4 | चीनी मिलों के लिए पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के महत्वपूर्ण चरण, समयसीमा और दस्तावेज

7.3 डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ

इस नीति के अंतर्गत सहायता निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत चीनी मिलों से जुड़े डिस्टिलरी/इथेनॉल परियोजनाओं को दी जाएगी :

1. चीनी मिल से जुड़ी एक नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना, जिसकी न्यूनतम क्षमता 45 किलोलीटर प्रति दिन हो; और
2. चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई का विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण, जिसकी न्यूनतम अतिरिक्त क्षमता 15 किलोलीटर प्रति दिन हो।

7.3.1 नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ

चीनी मिल से जुड़ी नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई इस नीति के तहत सहायता के लिए पात्र होगी, बशर्ते प्रस्तावित इकाई की न्यूनतम क्षमता 45 किलोलीटर प्रति दिन हो। ऐसी इकाई एकल-फीड या बहु-फीड इकाई हो सकेगी। जो केवल 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हो, जिसमें मोलासेस को फीडस्टॉक के रूप में प्राथमिकता दी जाती हो।

निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य होंगे :

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	• कम से कम 45 किलोलीटर प्रति दिन की क्षमता वाली चीनी मिल से जुड़ी नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए, निश्चित पूंजी निवेश के 15% की पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी, जो अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी, जो भी कम हो।
2	ब्याज वित्तीय सहायता	• परियोजना के सावधि ऋण पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए 10% या वास्तविक बैंक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से ब्याज वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि पात्र ऋण राशि परियोजना

		लागत के 50% तक सीमित हो और अधिकतम सीमा ₹20.00 करोड़ हो।
3	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	पात्र इकाई द्वारा उत्पादित इथेनॉल पर भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।
4	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।

तालिका 7.5 नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन

7.3.2 मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ - विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण

चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई, इस नीति के तहत विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या इथेनॉल उत्पादन के लिए रूपांतरण हेतु सहायता के लिए पात्र होगी, बशर्ते प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता 15 किलोलीटर प्रति दिन से कम न हो। ऐसी इकाई एकल-फीड या बहु-फीड इकाई हो सकती है जो केवल 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हो, जिसमें मोलासेस को फीडस्टॉक के रूप में प्राथमिकता दी जाती हो।

निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य होंगे :

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	किसी चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई के कम से कम 15 किलोलीटर प्रति दिन के विस्तार के लिए, निश्चित पूंजी निवेश के 15% की पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी, जो अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी, जो भी कम हो।
2	ब्याज वित्तीय सहायता	परियोजना के सावधि ऋण पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए 10% या वास्तविक बैंक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से ब्याज वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि पात्र ऋण राशि परियोजना लागत के 50% तक सीमित हो और अधिकतम सीमा ₹20.00 करोड़ हो।
3	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	क्षमता विस्तार के कारण उत्पादित अतिरिक्त इथेनॉल पर भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।

4	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।
---	---	--

तालिका 7.6 | मौजूदा डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ-विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या रूपांतरण प्रोत्साहन

नोट : पात्र इथेनॉल इकाइयों को भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के तहत अपने उत्पादन का 100% तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को आपूर्ति करना अनिवार्य है। आवेदक किसी अन्य नीति (उदाहरण के लिए, बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2023) के तहत एक ही घटक के लिए दोहरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

7.3.3 डिस्टिलरी/एथेनॉल इकाइयाँ

डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयों के लिए, चालू होने, क्षमता सत्यापन और पात्र इथेनॉल उत्पादन शुरू होने के बाद पूंजी सब्सिडी जारी की जाएगी। नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी जारी करने के चरण और आवश्यक दस्तावेज़ बताए गए हैं।

परियोजना/ भुगतान चरण	महत्वपूर्ण उपलब्धि/प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है	समय	प्रोत्साहन विमोचन	आवश्यक मुख्य दस्तावेज़
नई डिस्टिलरी /इथेनॉल इकाई	चीनी मिल से जुड़ी न्यूनतम 45 किलोलीटर प्रति लीटर डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई स्थापित और चालू की जानी चाहिए, और तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किए गए संबंधित उत्पादन दिनों के कम से कम 10% दिनों के लिए न्यूनतम अनुमोदित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन अवधि 30 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 30 दिनों के 10% यानी 3 दिनों के लिए किया जाना चाहिए; और यदि उत्पादन अवधि 45 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 45 दिनों के 10% यानी	चालू करने, उत्पादन शुरू करने और क्षमता सत्यापन के बाद,	पात्र एफसीआई का 15%, अधिकतम 25 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।	अनुलग्नक V

	5 दिनों के लिए किया जाना चाहिए, न कि 4 दिनों के लिए। • अनुमोदित इकाई के लिए प्रवर्तक का अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग कम से कम इतना होना चाहिए कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्त साधनों के अनुसार, दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी के समान प्रतिशत में निधि का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार के उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और उपयोग की गई कुल धनराशि कम से कम दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होगी। • 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा और उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर उत्पाद शुल्क पदाधिकारी /अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा; • इस नीति के तहत 100% ईंधन-ग्रेड इथेनॉल के उत्पादन की आवश्यकता और लागू फीडस्टॉक/आपूर्ति शर्तों का अनुपालन करना होगा।			
मौजूदा इथेनॉल इकाई-विस्तार आधुनिकीकरण/रूपांतरण	• प्रमाणित पूर्व-विस्तार क्षमता से कम से कम 15 किलोलीटर प्रति दिन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की जानी चाहिए, या अनुमोदित आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण कार्य अनुमोदित डीपीआर/परियोजना के दायरे के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए, और	कार्य पूरा होने के बाद, उत्पादन शुरू होगा और क्षमता का सत्यापन	पात्र एफसीआई का 15%, अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।	अनुलग्नक IV

	अतिरिक्त/अनुमोदित क्षमता को तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किए गए संबंधित उत्पादन दिनों के कम से कम 10% के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन अवधि 30 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए; और यदि उत्पादन अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए, न कि 14 दिनों के लिए। • अनुमोदित विस्तार/आधुनिकीकरण /रूपांतरण के लिए प्रमोटर का अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग कम से कम उतनी ही प्रतिशत में होना चाहिए जितनी कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत है। इस प्रकार के उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उपयोग की गई कुल धनराशि कम से कम दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होनी चाहिए; • अनुमोदित विस्तार/आधुनिकीकरण /रूपांतरण के लिए स्थापित किए गए नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे; • विस्तारित/आधुनिकीकृत/ परिवर्तित इथेनॉल इकाई से	किया जाएगा।		
--	---	--------------------	--	--

✓

8

✓

✓

✓

✓

	वाणिज्यिक उत्पादन को उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर उत्पाद शुल्क पदाधिकारी /अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।			
--	---	--	--	--

तालिका 7.7 डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के महत्वपूर्ण चरण, समयसीमा और दस्तावेज

7.4 सह-उत्पादन विद्युत इकाइयाँ

7.4.1 नई सह-उत्पादन विद्युत इकाइयाँ

चीनी मिल से जुड़ी नई सह-उत्पादन विद्युत इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि प्रस्तावित इकाई की न्यूनतम क्षमता 10 मेगावाट हो। निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य होंगे :

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	चीनी मिल से जुड़ी न्यूनतम 10 मेगावाट क्षमता वाली नई सह-उत्पादन विद्युत इकाई की स्थापना के लिए, निश्चित पूंजी निवेश के 20% के बराबर पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य होगी, जो अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी।
2	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	नई सह-उत्पादन विद्युत इकाई के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।

तालिका 7.8 नए सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन

7.4.2 मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाइयाँ – क्षमता विस्तार

चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाई इस नीति के तहत क्षमता विस्तार हेतु सहायता के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता 5 मेगावाट से कम न हो। निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य होंगे :

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	किसी चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाई के कम से कम 5 मेगावाट के विस्तार के लिए, निश्चित पूंजी निवेश के 20% के बराबर पूंजी सब्सिडी

		स्वीकार्य होगी, जो अधिकतम ₹15.00 करोड़ की सीमा के अधीन होगी।
2	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाई के विस्तार के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।

तालिका 7.9 मौजूदा सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों की पूंजी सब्सिडी और राजकोषीय प्रोत्साहन सह-उत्पादन इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान :

- उत्पादित अतिरिक्त बिजली के लिए बिहार वितरण कंपनी (डीआईएसकॉम) के साथ एक विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया जाएगा; सह-उत्पादन संयंत्र से 10 किलोमीटर तक की पारेषण लाइन के निर्माण की लागत संबंधित डीआईएसकॉम द्वारा वहन की जाएगी।
- अतिरिक्त बिजली की खरीद डिस्कॉम द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय/ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ नीति-2016 के अनुसार की जाएगी।
- नए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए), उनके नवीनीकरण, विस्तार और शुल्क निर्धारण का कार्य बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा, पटना स्थित ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों और मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

7.4.3 सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों

सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों के लिए, स्थापना, चालू करने, क्षमता सत्यापन और बिजली संबंधी अनुमोदन/व्यवस्थाओं के बाद पूंजी सब्सिडी जारी की जाती है।

परियोजना/भुगतान चरण	महत्वपूर्ण उपलब्धि/प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है	समय	प्रोत्साहन विमोचन	मुख्य दस्तावेज आवश्यक
नई सह-उत्पादन विद्युत इकाई	चीनी मिल से जुड़ी न्यूनतम 10 मेगावाट की सह-उत्पादन विद्युत इकाई स्थापित और चालू की जानी चाहिए, और तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित प्रासंगिक संचालन दिनों के कम से कम 10% दिनों के लिए न्यूनतम अनुमोदित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि संचालन अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन	चालू करने, क्षमता सत्यापन और बिजली संबंधी अनुमोदन के बाद।	पात्र लोगों में से 20% एफसीआई द्वारा अधिकतम 15 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।	अनुलग्नक V

✓ 8 ✓ ✓ ✓

✓

	130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए किया जाना चाहिए; और यदि संचालन अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए किया जाना चाहिए, न कि 14 दिनों के लिए। • अनुमोदित सह-उत्पादन विद्युत इकाई के लिए प्रवर्तक अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी के समान प्रतिशत में होना चाहिए। ऐसे उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, और उपयोग की गई कुल धनराशि दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के कम से कम बराबर होनी चाहिए। • अनुमोदित सह-उत्पादन विद्युत इकाई के लिए स्थापित किए गए नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। • पीपीए/डिस्कॉम लिंकेज/बिजली निकासी अनुमोदन सहित अतिरिक्त बिजली व्यवस्था, जैसा लागू हो, का सत्यापन अधिकृत विभागीय पदाधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।			
--	--	--	--	--

मौजूदा सह-उत्पादन इकाई-विस्तार	• प्रमाणित पूर्व-विस्तार क्षमता के अतिरिक्त न्यूनतम 5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित और चालू की जानी चाहिए, और तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किए जाने पर, अतिरिक्त अनुमोदित क्षमता को संबंधित संचालन दिनों के कम से कम 10% दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि संचालन अवधि 130 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता को 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए; और यदि संचालन अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता को 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, न कि 14 दिनों के लिए। • अनुमोदित सह-उत्पादन विद्युत इकाई विस्तार के लिए प्रवर्तक अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग कम से कम उतनी ही प्रतिशत में होना चाहिए जितनी कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत है। ऐसे उपयोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और उपयोग की गई कुल धनराशि कम से कम दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होनी चाहिए। • अनुमोदित सह-उत्पादन विद्युत इकाई विस्तार के लिए स्थापित किए गए नए संयंत्र, मशीनरी और	विस्तार के चालू होने और क्षमता सत्यापन के बाद।	पात्र एफसीआई का 20%, अधिकतम 15 करोड़ रुपये के अधीन।	अनुलग्नक IV
---	--	---	--	--------------------

	उपकरण तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे; पीपीए/डिस्कॉम लिंकेज/बिजली निकासी अनुमोदन सहित अतिरिक्त बिजली व्यवस्था, जैसा लागू हो, का सत्यापन अधिकृत विभागीय पदाधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।			
--	---	--	--	--

तालिका 7.10 | सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के महत्वपूर्ण चरण, समयसीमा और दस्तावेज

7.5 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र

इस नीति के अंतर्गत सहायता चीनी मिलों से जुड़े पात्र नए संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को दी जाएगी, जिनकी न्यूनतम क्षमता 5 टीपीडी या 5,000 किलोग्राम प्रति दिन हो।

क्र० सं०	शीर्षक	प्रोत्साहन की मात्रा
1	स्थिर पूंजी निवेश पर पूंजी सब्सिडी	कम से कम 5 टीपीडी या 5,000 किलोग्राम प्रति दिन की क्षमता वाली चीनी मिल से जुड़े नए सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए 15% की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। स्थिर पूंजी निवेश की स्वीकार्य सीमा ₹5.00 करोड़ होगी, जो भी कम हो।
2	ब्याज वित्तीय सहायता	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण पर 10% या बैंक की वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से ब्याज वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह लाभ परियोजना लागत के 30% तक के ऋण पर उपलब्ध होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये है।
3	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	पात्र संयंत्र द्वारा उत्पादित सीबीजी पर भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक स्वीकार्य होगी।
4	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	नए सीबीजी संयंत्र के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।

तालिका 7.11 | नए संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों के लिए पूंजीगत सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन

7.5.1 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र

✓ 8

✓

✓

सीबीजी संयंत्रों के लिए, पूंजी सब्सिडी चालू होने, क्षमता सत्यापन और वाणिज्यिक उत्पादन/बिक्री या खरीद शुरू होने के बाद जारी की जाएगी।

परियोजना/भुगतान चरण	उपलब्धि/जब प्रोत्साहन दिया जाता है	समय	प्रोत्साहन विमोचन	मुख्य दस्तावेज़ आवश्यक
नया सीबीजी संयंत्र	- चीनी मिल से जुड़ा न्यूनतम 5 टीपीडी/5,000 किलोग्राम प्रति दिन की क्षमता वाला सीबीजी संयंत्र स्थापित और चालू किया जाना चाहिए, और तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किए जाने पर संबंधित उत्पादन दिनों के कम से कम 10% दिनों के लिए न्यूनतम अनुमोदित क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन अवधि 30 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 130 दिनों के 10% यानी 13 दिनों के लिए किया जाना चाहिए; और यदि उत्पादन अवधि 145 दिन है, तो न्यूनतम क्षमता का प्रदर्शन 145 दिनों के 10% यानी 15 दिनों के लिए किया जाना चाहिए, न कि 14 दिनों के लिए। - अनुमोदित सीबीजी संयंत्र के लिए प्रमोटर का अंशदान/इक्विटी और/या सावधि ऋण का उपयोग कम से कम उतनी ही प्रतिशत में होना चाहिए जितनी कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार दावा की गई/स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत है। ऐसे उपयोग को	चालू करने, उत्पादन शुरू करने और क्षमता सत्यापन के बाद।	पात्र एफसीआई का 15%, अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन।	अनुलग्नक V

	चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान (जैसा लागू हो) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और उपयोग की गई कुल धनराशि कम से कम दावा की गई/स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर होनी चाहिए। • अनुमोदित सीबीजी संयंत्र के लिए स्थापित किए गए नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे; • सीबीजी संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन को उत्पादन अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर अधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।			
--	--	--	--	--

तालिका 7.12 सीबीजी संयंत्रों के लिए पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के महत्वपूर्ण चरण, समयसीमा और दस्तावेज

7.6 कुल प्रोत्साहन की सीमा निर्धारण

इस नीति के अंतर्गत ब्याज वित्तीय सहायता और पूंजी सब्सिडी की कुल राशि, ऋणदाता बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के 33% तक सीमित रहेगी, जैसा कि बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट/ऋण देने वाले बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत में बताया गया है। यदि बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत निवेशक द्वारा दावा की गई लागत से कम है, तो प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए कम राशि का उपयोग किया जाएगा।

7.7 केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के सामंजस्य स्थापित करना

केंद्र सरकार की योजनाएँ – इस नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों का समन्वय अनुमत होगा। यद्यपि, किसी निवेशक को एक ही परियोजना लागत, घटक, गतिविधि या उद्देश्य के लिए दोहरी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी निवेशक को केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत कोई अनुदान, सब्सिडी, प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है या वह इसके लिए पात्र है, तो इस नीति के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ की गणना करते समय संबंधित राशि को समायोजित किया जाएगा।



यदि ऐसे केंद्र सरकार के लाभ में राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है या यह राज्य सरकार की किसी योजना से जुड़ा है, तो इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों की गणना के लिए अनुमोदित परियोजना लागत को उस सीमा तक कम किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक को केंद्र सरकार की योजना के तहत 6% ब्याज सब्सिडी मिलती है और सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर 10% है, तो इस नीति के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन केवल शेष 4% ब्याज सहायता ही स्वीकार्य होगी।

राज्य सरकार की योजनाएँ – इस नीति के तहत अन्य राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों का समन्वय अनुमत होगा। हालांकि, निवेशक एक ही घटक, उद्देश्य, गतिविधि या लक्ष्य के लिए एक से अधिक राज्य सरकार की योजना से सब्सिडी, अनुदान, प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता का दावा नहीं कर सकता है। यदि बिहार सरकार की किसी योजना के तहत कोई अनुदान या प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है या प्राप्त होना है, तो इस नीति के तहत प्रोत्साहनों की गणना के लिए अनुमोदित परियोजना लागत में संबंधित राशि का आनुपातिक रूप से अपवर्जन किया जाएगा। निवेशक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने इस समन्वय प्रावधान के तहत अनुमत मामलों को छोड़कर, किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सरकारी योजना या एजेंसी से उसी घटक, उद्देश्य या गतिविधि के लिए सब्सिडी/वित्तीय सहायता/अनुदान/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और न ही करेंगे।

7.8 एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दावे

दावा/भुगतान चरण	महत्वपूर्ण उपलब्धि/प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है	समय	प्रोत्साहन जारी करना	आवश्यक मुख्य दस्तावेज़
वार्षिक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दावा	- पात्र इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। - पात्र चीनी/इथेनॉल/सीबीजी की बिक्री पर शुद्ध एसजीएसटी का भुगतान किया गया है। - एसजीएसटी प्रतिपूर्ति केवल इस नीति के लागू होने की तारीख से इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध आईजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद देय शुद्ध कर पर ही लागू होगी।	तिमाही के अंत में, तिमाही के बाद वाले महीने के अंत तक, तिमाही आधार पर दाखिल किया जाता है।	पॉलिसी की शर्तों और सत्यापन के अधीन, पात्र नेट एसजीएसटी का पांच वर्षों तक 100% जारी करना।	अनुलग्नक VI

	● पात्र इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान की गई कर राशि को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दाखिल किए गए विवरणों और भुगतान रसीदों के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा। ● दावे पर अंतिम निर्णय पीएमसी द्वारा लिया जाएगा। ● यदि पात्र वस्तुओं को बिहार से बाहर बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग की गई एसजीएसटी की राशि इकाई से वसूल की जाएगी। यदि स्वीकार्य हो, तो ऐसी वसूली अगली प्रतिपूर्ति किस्त से समायोजित की जाएगी। यदि कोई और किस्त स्वीकार्य न हो, तो प्रमोटर राशि को सरकारी खजाने में जमा करेगा; ऐसा न करने पर, इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।			
--	---	--	--	--

तालिका 7.13 एसजीएसटी प्रतिपूर्ति – दावे की अवस्था, समयसीमा और दस्तावेज़

7.9 ब्याज वित्तीय सहायता दावे (डिस्टिलरी/सीबीजी)

दावा/भुगतान चरण	महत्वपूर्ण उपलब्धि / प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है	समय	प्रोत्साहन जारी करना	आवश्यक मुख्य दस्तावेज़
डिस्टिलरी/एथेनॉल इकाई-ब्याज सहायता दावा	● ब्याज संबंधी वित्तीय सहायता केवल बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा डिस्टिलरी/इथेनॉल परियोजना के पात्र अनुमोदित परियोजना घटकों के लिए स्वीकृत और वितरित सावधि ऋण पर ही स्वीकार्य होगी। ● यह सहायता केवल इकाई द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान को वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज के लिए ही	तिमाही आधार पर, पिछली तिमाही के तुरंत बाद वाले महीने के अंत तक दाखिल किया जाता है।	परियोजना लागत के 50% तक के पात्र सावधि ऋण पर 10% या वास्तविक बैंक ब्याज दर, जो भी कम हो, अधिकतम 20	अनुलग्नक VI

	विचारणीय होगी, जिसके समर्थन में बैंक प्रमाणपत्र/विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। • दावा पात्र अवधि, निर्धारित ऋण सीमा, लागू सहायता दर और अनुमोदित परियोजना लागत के 33% की कुल सीमा तक ही सीमित रहेगा, जिसमें उसी घटक के लिए प्राप्त किसी भी केंद्रीय/राज्य सहायता को समायोजित किया जाएगा। • उपरोक्त विवरणों का सत्यापन और प्रमाणीकरण ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाएगा। • पीएमसी प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा।		करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।	
सीबीजी प्लांट – ब्याज सहायता दावा	• ब्याज संबंधी वित्तीय सहायता केवल बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सीबीजी परियोजना के पात्र अनुमोदित परियोजना घटकों के लिए स्वीकृत और वितरित सावधि ऋण पर ही स्वीकार्य होगी। • यह सहायता केवल इकाई द्वारा बैंक/एफएल को वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज के लिए ही विचारणीय होगी, जिसका समर्थन बैंक प्रमाणपत्र/विवरण द्वारा किया जाना चाहिए। • दावा पात्र अवधि, निर्धारित ऋण सीमा, लागू सहायता दर और स्वीकृत परियोजना लागत के 33% की कुल सीमा तक ही सीमित रहेगा, जिसमें केंद्र/राज्य द्वारा	विभाग द्वारा यथा निर्धारित त्रैमासिक या वार्षिक रूप से, अधिकतम पाँच वर्षों तक पात्र।	परियोजना लागत के 30% तक के पात्र सावधि ऋण पर 10% या वास्तविक बैंक ब्याज दर, जो भी कम हो, लागू होगी। अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक सीमित।	अनुलग्नक VI

	प्राप्त किसी भी सहायता को समायोजित किया जाएगा। - उपरोक्त विवरणों का सत्यापन और प्रमाणीकरण ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाएगा। - पीएमसी प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।			
--	---	--	--	--

तालिका 7.14 | ब्याज वित्तीय सहायता दावे की अवस्था, समयसीमा और दस्तावेज़

7.10 स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रतिपूर्ति

दावा/भुगतान चरण	महत्वपूर्ण उपलब्धि / प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है	समय	प्रोत्साहन जारी करना	आवश्यक मुख्य दस्तावेज़
स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रतिपूर्ति दावा	- पात्र परियोजना के लिए भूमि खरीदी/पंजीकृत की जा चुकी है। - स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। - रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का सत्यापन रजिस्ट्रीकरण विभाग/आईजीआर द्वारा किया जाएगा।	भूमि रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान के बाद, विभाग द्वारा निर्धारित दावा समय सीमा के भीतर।	पात्र इकाई के लिए खरीदी गई भूमि पर भुगतान किए गए पात्र स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।	अनुलग्नक VI

तालिका 7.15 | स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रतिपूर्ति दावा चरण, समयसीमा और दस्तावेज़।

7.11 दस्तावेजों की जांच और सब्सिडी का वितरण

सब्सिडी जारी करने हेतु प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच पीएमसी द्वारा की जाएगी। भुगतान तभी किया जाएगा जब पीएमसी संतुष्ट हो जाए कि दावा पूर्ण, पात्र और आवश्यक दस्तावेजों एवं सत्यापन रिपोर्टों द्वारा समर्थित है। सब्सिडी का भुगतान बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं गन्ना उद्योग विभाग के माननीय मंत्री की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।

पूंजी सब्सिडी सीधे ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान को जारी की जाएगी और इसे केवल सावधि ऋण के मूलधन घटक के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अन्य स्वीकार्य प्रोत्साहन, जिनमें शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, ब्याज वित्तीय सहायता, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है, सत्यापन, एसआईपीबी अनुमोदन और नीति तथा इस संचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन पात्र मिल/इकाई के बैंक खाते में जारी किए जाएंगे।

7.12 प्रोत्साहन दावों के लिए विस्तार की गणना

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत विस्तार परियोजनाओं के लिए, स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि की गणना केवल स्वीकृत विस्तार के कारण उत्पन्न अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त उत्पादन या अतिरिक्त पात्र स्थिर पूंजी निवेश पर ही की जाएगी। मौजूदा क्षमता, पुराने संयंत्र और मशीनरी, विस्तार से पहले का सामान्य उत्पादन और पुरानी क्षमता का बेहतर उपयोग दोबारा नहीं गिना जाएगा। गणना नीचे दिए गए सूत्रों और नीति सीमाओं के अनुसार की जाएगी।

विस्तार का मामला	गणना का सूत्र/विधि	2026 नीति प्रोत्साहन सीमा	आवश्यक दस्तावेज
चीनी मिल क्षमता विस्तार	- विस्तार-पूर्व टीसीडी = अनुमोदित विस्तार शुरू करने से पहले स्थापित पेराई क्षमता, जो मौजूदा संयंत्र और मशीनरी, विशिष्टताओं और प्रमाणित क्षमता अभिलेखों पर आधारित है। - विस्तार के बाद प्राप्त कुल क्षमता (टीसीडी) = नवनिर्मित संयंत्र और मशीनरी की स्थापना, निर्माण, चालू करने और प्रदर्शन के बाद प्राप्त क्षमता। - वृद्धिशील टीसीडी = प्रमाणित विस्तारोत्तर टीसीडी - प्रमाणित विस्तारपूर्व टीसीडी। - स्वीकार्य सब्सिडी = पहले पात्र 1,000 टीसीडी के लिए 15.00	- न्यूनतम पात्र विस्तार : 1,000 टीसीडी। 1,000 टीसीडी के विस्तार के लिए 15.00 करोड़ रुपये। 1,000 टीसीडी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100 टीसीडी के लिए 1.50 करोड़ रुपये।	- विस्तार प्रमाणपत्र से पहले स्थापित क्षमता - मौजूदा संयंत्र और मशीनरी की, विशिष्टताओं सहित सूची। - नए जोड़े गए संयंत्रों और मशीनरी की विशिष्टताओं सहित सूची। - बिल/नकद रसीदें और स्थापना प्रमाण - नई जोड़ी गई संपत्तियों के लिए सीए प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा रिपोर्ट। - चार्टर्ड इंजीनियर/तकनीकी समिति क्षमता सत्यापन रिपोर्ट

	करोड़ रुपये + 1,000 टीसीडी से परे प्रत्येक अतिरिक्त 100 टीसीडी ब्लॉक के लिए 1.50 करोड़ रुपये, प्रमाणीकरण और अनुमोदन के अधीन।		एनएसआई या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।
चीनी मिल विस्तार का चित्रण	- यदि प्रमाणित क्षमता 3,500 टीसीडी से बढ़कर 5,000 टीसीडी हो जाती है, तो वृद्धिशील क्षमता = $5,000 - 3,500 = 1,500$ टीसीडी होगी। - पहले 1,000 टीसीडी के लिए 15.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी + 1.50 करोड़ रुपये x 5 अतिरिक्त 100 टीसीडी ब्लॉक = 22.50 करोड़ रुपये।	पीएमसी की मंजूरी और लागू समग्र सीमा तकनीकी समिति के प्रमाणीकरण के अधीन।	- विस्तार से पहले और बाद में क्षमता प्रमाण पत्र - तकनीकी समिति की रिपोर्ट में 1,500 टीसीडी की अतिरिक्त क्षमता की पुष्टि की गई है। - पीएमसी द्वारा अनुमोदित सब्सिडी गणना पत्रक
चीनी मिल का आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण	- वृद्धिशील पात्र एफसीआई = अनुमोदित आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण के लिए विशेष रूप से जोड़े गए नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और पात्र अचल संपत्तियों की लागत। - मरम्मत, नियमित रखरखाव, पुरानी मशीनरी आदि जैसे अपात्र खर्च कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी और असंबंधित सिविल कार्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। - स्वीकार्य सब्सिडी = वृद्धिशील पात्र एफसीआई x 20%, नीति की अधिकतम सीमा के अधीन।	पात्र एफसीआई का 20%, अधिकतम ₹5.00 करोड़ की सीमा के अधीन।	- स्वीकृत डीपीआर/परियोजना का दायरा - जोड़ी गई मशीनरी और उपकरणों की सूची - बिल और भुगतान का प्रमाण - स्थापना और कमीशनिंग प्रमाणपत्र - सीए प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षित व्यय रिपोर्ट - चार्टर्ड इंजीनियर और तकनीकी समिति सत्यापन - प्रतिवेदन - एनएसआई या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।

डिस्टिलरी/इथेनॉल का विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या रूपांतरण	• पूर्व-विस्तार के तहत, केएलपीडी स्वीकृत परियोजना से पहले ही मौजूदा मशीनरी, वैधानिक अनुमोदनों और क्षमता अभिलेखों के समर्थन से स्थापित इथेनॉल/ डिस्टिलरी क्षमता • विस्तार के बाद प्राप्त केएलपीडी = विस्तारित/परिवर्तित इकाई से स्थापना, निर्माण, चालू करने और वाणिज्यिक उत्पादन के बाद प्राप्त क्षमता। • अतिरिक्त केएलपीडी = प्रमाणित पोस्ट-एक्सपेंशन केएलपीडी प्रमाणित प्री-एक्सपेंशन केएलपीडी। • प्रवेश्य पूंजी सब्सिडी = अतिरिक्त/परिवर्तित इथेनॉल क्षमता X 15% नीतिगत सीमा के अधीन	• न्यूनतम अतिरिक्त क्षमता: 15 केएलपीडी। • पूंजी सब्सिडी : पात्र एफसीआई का 15%, अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये। • ब्याज सहायता : 10% या वास्तविक बैंक ब्याज दर, जो भी कम हो, पांच वर्षों के लिए परियोजना लागत के 50% तक के पात्र सावधि ऋण पर, अधिकतम 20.00 करोड़	• मौजूदा क्षमता प्रमाण पत्र और वैधानिक स्वीकृतियाँ • मौजूदा पूंजी प्रमाणपत्र तथा वैधानिक अनुमोदन। • इनवॉइस/भुगतान। प्रमाण/इंस्टॉलेशन। प्रमाण • ओएमसी समझौता/खरीद आदेश • उत्पादन रिकॉर्ड और क्षमता प्रदर्शन रिकॉर्ड • सीए प्रमाणपत्र, बैंक प्रमाणपत्र और तकनीकी समिति की रिपोर्ट • प्रतिवेदन • एनएसआई से प्रमाण पत्र या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।
सह-उत्पादन विद्युत इकाई विस्तार	• विस्तार-पूर्व मेगावाट = टरबाइन/बॉयलर/जनरेटर रिकॉर्ड, बिजली अनुमोदन और पीपीए/डिस्कॉम रिकॉर्ड के आधार पर, विस्तार से पहले स्थापित सह-उत्पादन क्षमता। • विस्तार के बाद प्राप्त मेगावाट (एमडब्ल्यू) = अतिरिक्त सह-उत्पादन उपकरणों की स्थापना, चालू करने और बिजली निकासी व्यवस्था के बाद प्राप्त क्षमता।	• न्यूनतम अतिरिक्त क्षमता : 5 मेगावाट। • पूंजी सब्सिडी : पात्र एफसीआई का 20%, अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये।	• मौजूदा मेगावाट क्षमता प्रमाणपत्र • टरबाइन/बॉयलर/जनरेटर रिकॉर्ड • बिल, भुगतान का प्रमाण और इंस्टॉलेशन का प्रमाण • बिजली निकासी की मंजूरी • पीपीए/डिस्कॉम रिकॉर्ड और कमीशनिंग प्रमाणपत्र • सीए प्रमाणपत्र और तकनीकी समिति की रिपोर्ट

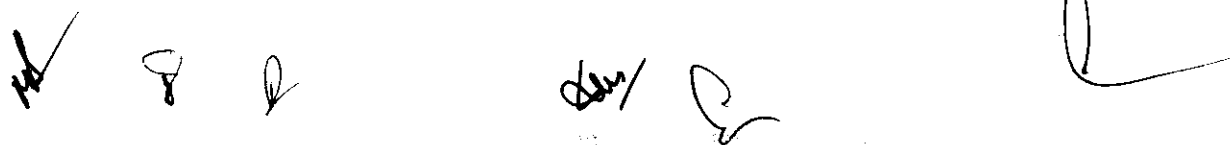
8 ✓ ✓ ✓ ✓

	• अतिरिक्त मेगावाट = प्रमाणित विस्तारोत्तर मेगावाट – प्रमाणित विस्तारपूर्व मेगावाट। • स्वीकार्य सब्सिडी = अतिरिक्त सह-उत्पादन क्षमता के लिए पात्र एफसीआई को 20% तक सब्सिडी नीतिगत सीमा के अधीन		• एनएसआई या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार/मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।
अतिरिक्त उत्पादन पर एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	• विस्तार से पूर्व का औसत उत्पादन = संबंधित पिछले वर्षों/सीज़नों का औसत प्रमाणित वास्तविक उत्पादन। • विस्तार पश्चात उत्पादन = प्रभावित वास्तविक उत्पादन तथा बिक्री/विस्तारित क्षमता स्टार्टस से प्रेषण पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन • अतिरिक्त उत्पादन = प्रमाणित विस्तारोत्तर उत्पादन/प्रमाणित विस्तारपूर्व औसत उत्पादन • प्रतिपूर्ति = विस्तार के परिणामस्वरूप हुए अतिरिक्त उत्पादन पर वास्तव में भुगतान किया गया पात्र शुद्ध एसजीएसटी।	• राज्य कर सत्यापन और नीति की शर्तों के अधीन, पात्र नेट एसजीएसटी का पांच वर्षों तक 100% प्रतिपूर्ति।	• विस्तार से पहले प्रमाणित उत्पादन रिकॉर्ड, • विस्तार के बाद प्रमाणित उत्पादन, बिक्री और प्रेषण रिकॉर्ड • जीएसटी रिटर्न और एसजीएसटी भुगतान चालान • बिक्री चालान/ई-वे बिल • नेट एसजीएसटी गणना के लिए सीए प्रमाणपत्र • राज्य कर सत्यापन रिपोर्ट

तालिका 7.16 विस्तार-आधारित प्रोत्साहन दावों की गणना करने की विधि

7.13 निवेश योजनाओं के पीएमसी मूल्यांकन के लिए स्कोर मैट्रिक्स

निवेश आयोग (पीएमसी) पात्र निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए निम्नलिखित स्कोर मैट्रिक्स का उपयोग करेगा। प्रस्ताव का मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा, जिसमें 80 अंक वस्तुनिष्ठ तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन मानदंडों के लिए और 20 अंक पीएमसी के समक्ष प्रस्तुति के लिए होंगे। सभी अनिवार्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन, पीएमसी की अनुशंसा के लिए प्रस्ताव को कम से कम 60 अंक प्राप्त करने होंगे।



क्र० सं०	मूल्यांकन मानदंड	दस्तावेज/सबूत	अंक कैसे दिए जाते हैं	अधिकतम अंक
1	परियोजना पात्रता, 1 एसआईपीबी अनुमोदन और क्षमता सीमा	- एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन/एसडब्ल्यूसी स्थिति - डीपीआर और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट - नीति श्रेणी के अनुसार क्षमता सीमा प्रमाण	0 अंक : एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। 3 अंक : एसआईपीबी चरण-1 की मंजूरी प्राप्त हो गई है, लेकिन डीपीआर/बैंक मूल्यांकन न्यूनतम पात्र क्षमता सीमा की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करता है। 5 अंक : एसआईपीबी की मंजूरी, पात्रता श्रेणी, न्यूनतम क्षमता सीमा और परियोजना का दायरा डीपीआर और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं।	5
2	भूमि की उपलब्धता और स्थल की तैयारी	- स्वामित्व विलेख/पंजीकृत पट्टा/आवंटन पत्र - स्वामित्व/परिवर्तन/राजस्व अभिलेख - पहुँच मार्ग, जल, बिजली और भूमि उपयोग संबंधी प्रमाण	0 अंक : भूमि संबंधी कोई दस्तावेज या वैध कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। 10 अंक : आवश्यक भूमि का कम से कम 50% लेकिन 100% से कम भाग स्वामित्व/पट्टा /आवंटन दस्तावेजों द्वारा समर्थित है। 15 अंक : 100% आवश्यक भूमि वैध स्वामित्व/रजिस्ट्रीकृत पट्टा/वैध आवंटन, कब्जे, भूमि उपयोग की अनुमति, पहुँच मार्ग, पानी और बिजली की उपलब्धता द्वारा समर्थित है।	15
3	वित्तीय समापन, सावधि ऋण और ऋण-इक्विटी अनुपात	- अंतिम सावधि ऋण स्वीकृति पत्र - बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और वित्त के साधन - बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित ऋण-इक्विटी अनुपात	0 अंक : अंतिम सावधि ऋण स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। 10 अंक : अंतिम सावधि ऋण स्वीकृत हो गया है, लेकिन सावधि ऋण स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक है या ऋण-इक्विटी अनुपात प्रमाणित नहीं है।	15

			15 अंक : पात्र घटकों के लिए अंतिम सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है, सावधि ऋण स्वीकृत परियोजना लागत के 20% से अधिक है, वित्त के 100% साधन सुरक्षित हैं और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय संस्थान/ऋणदाता संस्था द्वारा व्यवहार्य प्रमाणित हैं।	
4	प्रमोटर की कुल संपत्ति और इक्विटी निवेश	- सीए-प्रमाणित नेट वर्थ प्रमाणपत्र - इक्विटी निवेश के लिए बैंक स्टेटमेंट और सीए प्रमाणपत्र - एमसीए फाइलिंग/फॉर्म, जहां लागू हो	0 अंक : नेटवर्थ प्रमाणपत्र या इक्विटी निवेश का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। 10 अंक : शुद्ध संपत्ति कम से कम मांगी गई स्वीकार्य सब्सिडी के बराबर है, लेकिन आवश्यक प्रमोटर योगदान का 75% से कम निवेश किया गया है। 15 अंक : कुल संपत्ति, मांगी गई स्वीकार्य सब्सिडी से अधिक है और स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार 100% आवश्यक प्रमोटर अंशदान किया गया है, जिसकी पुष्टि सीए प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेंट और एमसीए फाइलिंग/फॉर्म (जहां लागू हो) के माध्यम से की गई है।	15
5	वित्तीय व्यवहार्यता, आईआरआर और डीएससीआर	- बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट - सब्सिडी/अनुदान के साथ और बिना सब्सिडी/अनुदान के आईआरआर - बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित औसत डीएससीआर	0 अंक : बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में आईआरआर/डीएससीआर प्रमाणित नहीं है या डीएससीआर 1.10 से कम है। 10 अंक : आईआरआर 17% से कम है या औसत डीएससीआर कम से कम 1.10 है लेकिन 1.25 से कम है। 15 अंक : बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, आईआरआर 17: या उससे	15

			अधिक है और औसत डीएससीआर कम से कम 1.25 है।	
6	वित्तीय व्यवहार्यता बीईपी और चुकौती क्षमता	• बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट • ब्रेक ईवन प्वाइंट प्रतिशत • अनुमानित नकदी प्रवाह और पुनर्भुगतान अनुसूची	• 0 अंक : बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में बीईपी/नकदी प्रवाह/पुनर्भुगतान अनुसूची प्रमाणित नहीं है। • 3 अंक : बीईपी क्षमता उपयोग/अनुमानित बिक्री स्तर के 80% से ऊपर है या अनुमानित नकदी प्रवाह नहीं है किसी भी पुनर्भुगतान वर्ष में वार्षिक ऋण सेवा को पूरी तरह से कवर नहीं करता। • 5 अंक : बीईपी क्षमता उपयोग/अनुमानित बिक्री स्तर का 80% या उससे कम है और अनुमानित नकदी प्रवाह बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सभी पुनर्भुगतान वर्षों में वार्षिक ऋण सेवा को कवर करता है।	5
7	गन्ना/चारा उपलब्धता और लिकेज	• गन्ने की उपलब्धता/चारा मूल्यांकन • जल संग्रहण क्षेत्र और पेराई/उत्पादन दिवस योजना • किसान/गन्ना उत्पादक/पशु आहार संबंध दस्तावेज	• 0 अंक : गन्ना/चारा सामग्री की उपलब्धता से संबंधित कोई डेटा, जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा या लिकेज दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। • 4 अंक : दस्तावेज इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रस्तावित क्षमता के लिए वार्षिक गन्ना/चारा सामग्री की आवश्यकता का 75% से कम या चीनी मिलों के लिए अपेक्षित पेराई/उत्पादन के दिन 120 दिनों से कम / इथेनॉल, सह-उत्पादन या सीबीजी इकाइयों के लिए 240 दिनों से कम हैं। • 10 अंक : प्रस्तावित क्षमता के लिए वार्षिक गन्ना/चारा सामग्री की आवश्यकता के कम से कम 75% का समर्थन करने वाले दस्तावेज,	10

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

			जलग्रहण क्षेत्र का मानचित्रण, किसान/आपूर्तिकर्ता संपर्क दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और चीनी मिलों के लिए अपेक्षित पेराई/उत्पादन दिवस कम से कम 120 दिन / इथेनॉल, सह-उत्पादन या सीबीजी इकाइयों के लिए 240 दिन है।	
8	कार्यान्वयन समयसीमा और निष्पादन तत्परता	- कार्यान्वयन अनुसूची और चालू करने की योजना - ईपीसी/विक्रेता आदेश/कार्य आदेश - सीटीई/सीटीओ/फैक्ट्र/अग्नि/श्रम/विद्युत संबंधी अनुमोदन, जहां लागू हो	0 अंक : कार्यान्वयन अनुसूची प्रस्तुत नहीं की गई है या प्रस्तावित समापन तिथि अनुमोदन से 36 महीने से अधिक है। 5 अंक : परियोजना 25-36 महीनों के भीतर पूरी होने का प्रस्ताव है और कम से कम 50% लागू अनुमोदन/ईपीसी/विक्रेता तत्परता दस्तावेज जमा किए गए हैं। 10 अंक : कार्य 24 महीनों के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव है और कम से कम 75% लागू अनुमोदन/ईपीसी/विक्रेता तत्परता दस्तावेज जमा किए गए हैं।	10
9	प्रौद्योगिकी दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा उपाय	- डीपीआर/बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी संबंधी नोट्स - ऊर्जा/भाप/जल दक्षता विवरण - ईटीपी/जेडएलडी/उत्सर्जन नियंत्रण/स्वचालन योजना - आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 50001, आईएससीसी में से किसी एक का प्रमाणन साथ ही, बोनसुक्रो प्रमाणन	0 अंक : प्रौद्योगिकी दक्षता/पर्यावरण सुरक्षा संबंधी दस्तावेज जमा नहीं किए गए। 4 अंक : ऊर्जा/जल/ उत्सर्जन नियंत्रण उपायों का प्रस्ताव तो किया गया है, लेकिन दक्षता मापदंड या अनुमोदन स्थिति का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। 8 अंक : डीपीआर /बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन में यह पुष्टि की गई है कि परियोजना में आधुनिक प्रौद्योगिकी, स्वचालन अथवा प्रक्रिया-नियंत्रण प्रणाली, ऊर्जा, भाप/ जल दक्षता	10

✓ 8 R ✗ R ✓

			संबंधी उपाय तथा ईटीपी/जेडएलडी/उत्सर्जन नियंत्रण मानको के अनुपालन की कार्य योजना सम्मिलित है। अतिरिक्त 2 अंकों के लिए, आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक के तहत वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा : आईएसओ 14001 : 2015, आईएसओ 50001, आईएससीसी प्लस या बॉसुक्रो प्रमाणन।	
कुल अधिकतम अंक				80
10	पीएमसी के समक्ष प्रस्तुति	- आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव, आवेदन में उल्लिखित विवरण तथा सहायक दस्तावेज - पीएमसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा विवरण।	आवेदक पीएमसी के समक्ष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत विवरणों दावों, प्रतिबद्धताओं एवं दस्तावेजों का औचित्य स्पष्ट करेगा। प्रस्तुतीकरण का उपयोग केवल पीएमसी को आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ दस्तावेजों की संगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। इन परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार पृथक रूप से प्रस्तुत और सत्यापित किए किसी नए दावे अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।	0
				100

तालिका 7.16 | निवेश योजनाओं के पीएमसी मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए स्कोर मैट्रिक्स

स्कोरिंग व्याख्या	
75+ अंक	उच्च प्राथमिकता वाला प्रस्ताव
60-74 अंक	सत्यापन/शर्तों के अधीन स्वीकार्य।
50-59 अंक	मजबूत करने की या स्थगन की आवश्यकता है
50 अंक से नीचे	इस स्तर पर उपयुक्त नहीं है

8 8 8 8

8

भूमि संबंधी स्कोरिंग की प्रयोज्यता : यदि आवेदक को विभाग/बीएसएससी की भूमि की आवश्यकता नहीं है और वह निजी भूमि, पट्टे पर ली गई भूमि या पहले से उपलब्ध वैध भूमि पर परियोजना को कार्यान्वित करना चाहता है, तो इस स्कोर मैट्रिक्स में भूमि संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन भूमि स्वामित्व, पंजीकृत पट्टा विलेख, वैध कब्ज़ा, भूमि उपयोग की अनुमति, स्थल की उपयुक्तता, पहुंच, लेआउट की तैयारी और परियोजना कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा। ऐसे आवेदक को अध्याय 6 के अंतर्गत भूमि आवंटन स्कोर मैट्रिक्स से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि वह विभाग/बीएसएससी से भूमि का अनुरोध न करे।

स्कोरिंग की व्याख्या : 75 अंक और उससे अधिक को एक मजबूत प्रस्ताव माना जाएगा; 60-74 अंक सत्यापन या अतिरिक्त शर्तों के अधीन स्वीकार्य माने जाएंगे; 50-59 अंक के लिए सुदृढ़ीकरण या स्थगन की आवश्यकता होगी; और 50 अंक से कम को वर्तमान चरण में अनुपयुक्त माना जाएगा।

स्कोर मैट्रिक्स अनिवार्य पात्रता आवश्यकताओं का स्थान नहीं लेगा, जिनमें एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, अंतिम सावधि ऋण स्वीकृति, न्यूनतम निवल संपत्ति, भूमि स्वामित्व/रजिस्ट्रीकृत पट्टा, वैधानिक स्वीकृतियाँ और नीति का अनुपालन शामिल हैं। पीएमसी प्रत्येक अनुशंसा, स्थगन या अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करेगा।

नोट : विशेष श्रेणी की चीनी के रूपांतरण के लिए पूंजी सब्सिडी हेतु विस्तृत वितरण प्रक्रिया, पात्रता शर्तें, सत्यापन तंत्र, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ और समयसीमाएँ संचालन दिशा-निर्देशों के दूसरे चरण में अलग से जारी की जाएंगी। जब तक ये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाते, उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी का वितरण नीति प्रावधानों, तकनीकी सत्यापन, पीएमसी अनुमोदन और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य शर्तों के अधीन रहेगा।

8. संस्थागत संरचना और हितधारक

नीति का प्रभावी क्रियान्वयन गन्ना उद्योग विभाग और उसके गन्ना निवेश प्रोत्साहन पोर्टल (एसआईपीबी), उद्योग विभाग/एसआईपीबी और उसके एकल विंडो क्लियरेंस (एसडब्ल्यूसी) पोर्टल, ऋण देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान, वैधानिक/नियामक निकाय और संबद्ध राज्य एजेंसियों सहित संस्थागत हितधारकों के एक परिभाषित समूह के बीच घनिष्ठ समन्वय

पर निर्भर करता है। प्रत्येक हितधारक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं; इस अध्याय के अंत में एक संस्थागत संरचना आरेख दिया गया है।

8.1 गन्ना उद्योग विभाग – नोडल एजेंसी

- राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए गन्ना उद्योग विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल एजेंसी के रूप में, यह नीति के दायरे में कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संचालन प्रावधानों को संशोधित कर सकता है और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
- गन्ना उद्योग विभाग निवेशक सुविधा डेस्क और अपने स्वयं के गन्ना उद्योग संवर्धन पोर्टल (एसआईपीपी) का संचालन करेगा और उद्योग विभाग के एसडब्ल्यूसी पोर्टल के साथ इंटरफेस करेगा, ताकि निवेशक को पूछताछ से लेकर अंतिम संवितरण तक एक एकल, निर्बाध यात्रा का अनुभव हो (अध्याय 8 देखें)।
- विभाग परियोजना अनुश्रवण समिति के माध्यम से समय-समय पर परियोजना-वार प्रगति की समीक्षा करेगा, पूर्व और पश्चात स्वीकृति निरीक्षण (तकनीकी समिति के माध्यम से) करेगा और चार पात्र श्रेणियों में निवेश प्रस्तावों की वास्तविक समय की पाइपलाइन बनाए रखेगा।

8.2 परियोजना अनुश्रवण समिति (पीएमसी)

पीएमसी की संरचना नीचे दी गई है :

क्र० सं०	पद का नाम	स्थिति
1	गन्ना आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग के प्रतिनिधि, बिहार सरकार	सदस्य
4	संयुक्त गन्ना आयुक्त/सहायक गन्ना आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
5	निदेशक (एमएसएमई निदेशालय), उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6	संयुक्त निदेशक (गन्ना विकास), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

तालिका 8.1 परियोजना अनुश्रवण समिति (पीएमसी) की संरचना

8.3 पीएमसी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- पीएमसी के अध्यक्ष बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के गन्ना आयुक्त होंगे।
- पीएमसी इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी/वित्तीय सहायता का आकलन, अनुमोदन, अनुश्रवण और अनुशंसा करेगा।
- पीएमसी जहां भी आवश्यक हो, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगी जिन्हें एसआईपीबी चरण-I की मंजूरी और वित्तीय समापन प्राप्त हो।
- पीएमसी, पीएमयू के सहयोग से आवेदनों, पात्रता, डीपीआर, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, वैधानिक स्वीकृतियों और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा।
- पीएमसी किसी भी परियोजना या सब्सिडी की किस्त को मंजूरी देने से पहले तकनीकी समिति की रिपोर्टों की समीक्षा करेगी।
- पीएमसी, पीएमयू के सहयोग से, विभागीय/बीएसएससी भूमि मामलों सहित तुलनात्मक चयन के लिए निर्धारित स्कोर मैट्रिक्स का उपयोग करेगा।
- पीएमसी पात्र परियोजनाओं को मंजूरी देगा और नीतिगत सीमाओं के अनुसार स्वीकार्य सब्सिडी/वित्तीय सहायता निर्धारित करेगा।
- पीएमसी, पीएमयू के सहयोग से, एसआईपीपी, एमआईएस, प्रगति रिपोर्ट, निरीक्षण और माइलस्टोन के अभिलेख के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं की अनुश्रवण करेगा।
- पीएमसी प्रगति, उत्पादन, क्षमता, माइलस्टोन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किस्तवार सब्सिडी जारी करने की मंजूरी देगा।
- पीएमसी उचित सत्यापन के बाद एसजीएसटी, ब्याज, स्टांप शुल्क और अन्य दावों को जारी करने की सिफारिश करेगा।
- पीएमसी विलंब, कमी, गैर-अनुपालन, स्वामित्व परिवर्तन, वापसी या गैर-कार्यान्वयन के मामलों की समीक्षा करेगा और कार्रवाई की सिफारिश करेगा।
- पीएमसी नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और निवेशकों को तेजी से सुविधा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देगा।
- पीएमसी मूल्यांकन, अनुमोदन, अनुश्रवण और सब्सिडी जारी करने संबंधी निर्णयों के लिए मासिक रूप से या आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

- सदस्य सचिव कार्यसूची टिप्पणियाँ, आवेदन, रिपोर्ट और सब्सिडी की गणना को पीएमसी के समक्ष रखेंगे और उसके बाद प्रत्येक बैठक की कार्यवाही सभी सदस्यों को वितरित करेंगे।
- पीएमसी के सदस्य सचिव या पीएमसी द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी/सदस्य, एसआईपीबी स्तर-1 की उचित सावधानी बरतते हुए, एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के पीएमयू सत्यापन की दोबारा जांच करेगा।

8.4 तकनीकी समिति

तकनीकी समिति स्वीकृति-पूर्व और माइलस्टोन संबंधी निरीक्षण करेगी और पीएमसी के स्वीकार्य किस्तों की सिफारिशें करेगी। इसमें शामिल हैं :

क्र.सं.	सदस्य/पदनाम	स्थिति
1	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	सहायक निदेशक/सहायक गन्ना आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3	परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) प्रमुख	सदस्य
4	पीएमसी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किसी भी तकनीकी संस्थान, उद्योग संघ या पेशेवर निकाय से नामित प्रतिनिधि/विशेषज्ञ, जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल हो सकेंगे। गन्ना, चीनी, इथेनॉल, सह-उत्पादन, सीबीजी, औद्योगिक, तकनीकी, वित्तीय या संबद्ध क्षेत्र से जुड़े किसी संस्थान, संगठन या निकाय में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले या उससे सेवानिवृत्त हो चुके पेशेवर।	सदस्य

तालिका 8.2 तकनीकी समिति की संरचना

तकनीकी समिति की भूमिका और जिम्मेदारियाँ :

- तकनीकी समिति परियोजना की पूर्व-मंजूरी निरीक्षण, माइलस्टोन का सत्यापन, वाणिज्यिक उत्पादन सत्यापन और क्षमता प्रदर्शन का संचालन करेगी।
- यह इकाई द्वारा प्राप्त भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना, सिविल कार्यों, वैधानिक अनुपालन, संचालन तत्परता और क्षमता का सत्यापन करेगा।
- यह संबंधित अनुलग्नकों में निर्धारित सहायक दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेगा।
- इसमें अनुलग्नक VIII में दिए गए निर्धारित निरीक्षण और सत्यापन प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा।

- यह परियोजना की प्रगति, क्षमता, अनुपालन, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत (जहां लागू हो) पर स्पष्ट निष्कर्षों के साथ एक स्थल निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा।
- यह पीएमसी को अवलोकन करेगा कि सत्यापित माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर परियोजना की मंजूरी या सब्सिडी की संबंधित किस्त जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

8.5 परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू)

पीएमयू एक सहायक इकाई है जिसे गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नीति के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और मूल्यांकन संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा। पीएमयू विभाग, पीएमसी और तकनीकी समिति के लिए तकनीकी सहायता समूह के रूप में कार्य करेगा।

पीएमयू की भूमिका और जिम्मेदारियाँ :

- पीएमयू विभाग, पीएमसी, तकनीकी समिति और निवेशक सुविधा डेस्क को तकनीकी, वित्तीय, मूल्यांकन, प्रलेखन और अनुश्रवण संबंधी सहायता प्रदान करके उनकी मदद करेगा।
- पीएमयू निवेशक प्रोफाइल, परियोजना श्रेणी, क्षमता, निवेश, भूमि की स्थिति और बुनियादी पात्रता के प्रारंभिक मूल्यांकन में सहायता करेगा और एसआईपीपी और एसडब्ल्यूसी आवेदनों के लिए मार्गदर्शन नोट्स, दस्तावेज़ जाँच सूची और चरण-वार आवश्यकताओं की तैयारी में सहयोग करेगा।
- पीएमयू जहाँ भी लागू हो, एसआईपीबी द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल/पहुँच के माध्यम से एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का जाँच करेगा और ऐसे अभिलेख की जाँच करते समय एसआईपीबी-स्तर की उचित सावधानी बरतेगा।
- पीएमयू डीपीआर, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, सावधि ऋण स्वीकृति, वित्त के साधन, परियोजना लागत, पात्र घटक, निश्चित पूंजी निवेश और लागू क्षमता सीमा की जाँच में सहायता करेगा।

- पीएमयू सब्सिडी/वित्तीय सहायता आवेदनों के डेस्क मूल्यांकन, अतिरिक्त आवश्यक जानकारी की पहचान, निर्धारित स्कोर मैट्रिक्स के अनुसार प्रस्ताव के मूल्यांकन, नीतिगत सीमाओं के अनुसार स्वीकार्य प्रोत्साहनों की गणना और विभाग/पीएमसी के लिए मूल्यांकन सारांश, सब्सिडी शीट और विचारणीय बिंदुओं की तैयारी में सहायता करेगा।
- पीएमयू तकनीकी समिति और पीएमसी को आवेदन अभिलेख, डीपीआर के अंश, निरीक्षण प्रारूप, माइलस्टोन का विवरण, तुलनात्मक मूल्यांकन पत्रक, स्कोर मैट्रिक्स इनपुट, दावा सारांश और निर्णय लेने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनका समर्थन करेगा।
- एसआईपीबी की मंजूरी के बाद, पीएमयू अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र तैयार करने, किस्तवार दावा दस्तावेजों की समीक्षा करने और ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान को सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में सहायता करेगा, जिसमें जहां भी लागू हो, सावधि ऋण मूलधन के विरुद्ध समायोजन की अनुश्रवण करना शामिल है।
- पीएमयू परियोजना-वार एसआईपीपी पर एमआईएस बनाए रखने में सहायता करेगा, प्रगति, विलंब, कमी, दावा-स्थिति और माइलस्टोन की रिपोर्ट तैयार करेगा, और विभाग/पीएमसी को गैर-अनुपालन, स्वामित्व परिवर्तन, वापसी, गैर-कार्यान्वयन या सब्सिडी पात्रता जोखिमों के बारे में सूचित करेगा। पीएमयू सत्यापन और समय पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुविधा डेस्क, तकनीकी समिति, बैंकों/वित्तीय संस्थानों, एसआईपीबी, वाणिज्यिक कर विभाग, निषेध उत्पाद शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी), वितरण कंपनी (डीआईएसकॉम) और अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकारों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगा। पीएमयू प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करेगा, सब्सिडी स्वीकृत नहीं करेगा या भुगतान जारी नहीं करेगा।

8.6 निवेशक सुविधा डेस्क

गन्ना उद्योग विभाग के भीतर एक समर्पित निवेशक सुविधा डेस्क कार्यरत रहेगा, जो निवेशकों को उनकी आवेदन प्रक्रिया के हर चरण में सहायता प्रदान करेगा, जिसमें एसआईपीपी पर प्रारंभिक मूल्यांकन से लेकर एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर एसआईपीबी चरण-1 की मंजूरी, वित्तीय समापन और विभाग की ई-पूंजी सब्सिडी अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है।

18 3 2 4

निवेशक सुविधा डेस्क की भूमिका और जिम्मेदारियाँ :

- सुविधा डेस्क निवेशकों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा और निवेशक पहचान, रजिस्ट्रीकरण, प्रारंभिक मूल्यांकन और आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए एसआईपीपी के सहायक अंग के रूप में कार्य करेगा।
- यह निवेशकों को प्रारंभिक पूछताछ से लेकर एसआईपीपी रजिस्ट्रीकरण, एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन, चरण 3 वित्तीय समापन और प्रलेखन, वैधानिक मंजूरी, सब्सिडी आवेदन और किस्त-वार दावों तक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- इससे निवेशकों को पात्रता की शर्तें, परियोजना श्रेणियाँ, क्षमता सीमाएँ, प्रोत्साहन प्रावधान, समयसीमा, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।
- यह निवेशकों को एसआईपीपी रजिस्ट्रीकरण, बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करने, परियोजना प्रोफाइल, भूमि की स्थिति, सांकेतिक निवेश और प्रस्तावित क्षमता में सहायता करेगा, और प्रारंभिक पूर्णता जांच करेगा।
- यह निवेशकों को एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र/उपयोगिताओं की मंजूरी के लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करेगा और एसआईपीपी पर एसआईपीबी संदर्भ संख्या और समाशोधन स्थिति को अभिलेख करने में सहायता करेगा।
- यह तीसरे चरण के दौरान निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि वित्तीय समापन, सावधि ऋण दस्तावेजीकरण, बैंक/वित्तीय निधि अभिलेख और एसआईपीपी पर आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने में सहायता मिल सके।
- यह आवेदनों पर नज़र रखेगा, कमियों, अपडेट और अगले कदमों के बारे में जानकारी देगा, समय पर जवाब पाने के लिए निवेशकों से संपर्क करेगा और चरण 4 मूल्यांकन और चरण 5 अनुमोदन/पात्रता प्रमाण पत्र के बीच एसआईपीपी डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति/माइलस्टोन की प्रगति को अपडेट करेगा।
- इससे निवेशकों को प्रस्ताव प्रक्रिया, निरीक्षण, मंजूरी, सब्सिडी दावों और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभाग, पीएमयू, तकनीकी समिति, एसआईपीबी, बैंकों/एफएल और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने में मदद मिलेगी।

✓

✓

✓

✓

✓

- इससे तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ स्थल निरीक्षण का समन्वय करने और संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- यह निवेशकों को पीएमसी के निर्णयों, अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र की स्थिति, दावा संबंधी आवश्यकताओं और किस्तवार सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करेगा।
- यह विभाग/पीएमसी द्वारा अनुश्रवण के लिए निवेशकों की पूछताछ, सेवा अनुरोध, कमियों, उत्तरों, शिकायतों के समाधान और आवेदन की स्थिति का अभिलेख रखेगा।
- समय-समय पर तय किए गए नोडल सुगमता पदाधिकारी के नेतृत्व में यह डेस्क निवेशकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन, ईमेल सुविधा और डिजिटल पूछताछ की अनुश्रवण पंजी बनाएगा।
- सुविधा डेस्क केवल प्रारंभिक जांच, निवेशक मार्गदर्शन, समन्वय, संचार, अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता करेगा; यह अंतिम मूल्यांकन नहीं करेगा, प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करेगा, सब्सिडी निर्धारित नहीं करेगा, कमियों का निर्णय नहीं करेगा, सब्सिडी जारी करने की अवलोकन नहीं करेगा, वैधानिक मंजूरी जारी नहीं करेगा या एसआईपीबी, तकनीकी समिति, पीएमसी या किसी भी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को रद्द नहीं करेगा।

सेवा मानक

सुविधा डेस्क सेवा	अनुमानित समयावधि
निवेशक की पूछताछ/सेवा अनुरोध का जवाब	3 कार्य दिवसों के भीतर
एसआईपीपी पर निवेशक प्रोफाइल और परियोजना का प्रारंभिक मूल्यांकन	एसआईपीपी रजिस्ट्रीकरण के 7 कार्य दिवसों के भीतर
तीसरे चरण की वित्तीय प्रक्रिया को पूरा करने और दस्तावेजीकरण में सहायता, जिसमें सावधि ऋण स्वीकृति, बैंक/वित्तीय संस्थान के रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।	यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक निवेशक वित्तीय समापन प्राप्त नहीं कर लेता और एसआईपीपी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर देता।
निवेशक द्वारा कमियों के निवारण हेतु अनुवर्ती कार्रवाई	कमी की सूचना मिलने के 1 महीने के भीतर

तकनीकी समिति के स्थल भ्रमण की सुविधा प्रदान करना और संपूर्ण अभिलेखों को अग्रेषित करना।	अंतिम पूर्ण समर्पण के 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया के भाग के रूप में
पीएमसी के निर्णय/परिणाम पर निवेशक को अद्यतन करना	सैद्धांतिक स्वीकृति/मंजूरी पत्र जारी होने के 2 दिनों के भीतर
प्रक्रिया संबंधी अनसुलझे मुद्दों/विलंब का बढ़ना	यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है।

तालिका 8.3 निवेशक सुविधा डेस्क के सांकेतिक सेवा मानक

मैट्रिक्स वृद्धि

यदि किसी निवेशक की शिकायत या प्रश्न का समाधान सहायता केन्द्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो मामले को निम्नलिखित क्रम में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

स्तर 1 – नोडल सुविधा पदाधिकारी;

स्तर 2 – सदस्य सचिव, पीएमसी;

स्तर 3– गन्ना आयुक्त सह अध्यक्ष, पीएमसी;

स्तर 4 – बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

8.7 भागीदार विभाग और एजेंसियाँ

हितधारक	नीति के अंतर्गत संक्षिप्त भूमिका
उद्योग विभाग/एसआईपीबी	एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करेगा।
वित्त विभाग	यह बजट प्रावधान, वित्तीय सहमति और स्वीकृत सहायता जारी करने में सहयोग करेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	जहां भी लागू हो, सीएलयू जारी करेगा/सत्यापित करेगा है और भूमि संबंधी अनुमोदनों का समर्थन करेगा।
मद्यनिषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग	प्रतिपूर्ति दावों के लिए स्टॉप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क के अभिलेख का सत्यापन करता है।
वाणिज्यिक कर विभाग	एसजीएसटी विवरण, भुगतान और पात्र नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दावों का सत्यापन करता है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	स्थापना/संचालन के लिए सहमति जारी करना और प्रदूषण/भूजल संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त करना।
पावर होल्डिंग कंपनी/डीआईएससीओएम	आवश्यकतानुसार विद्युत संयोजन, भार स्वीकृति, पीपीए सहायता और निकासी अवसंरचना प्रदान करता है।

ऊर्जा विभाग	पीपीए, सीमा शुल्क मामलों और संबंधित विद्युत क्षेत्र की स्वीकृतियों के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
श्रम संसाधन विभाग	श्रम कानूनों के अनुपालन, कारखाना अनुज्ञापत्र और रोजगार संबंधी अभिलेखों का सत्यापन करता है।
बिहार राज्य चीनी निगम	नीति के अनुसार, पात्र चीनी परियोजनाओं के लिए बीएसएससी भूमि के आवंटन का प्रावधान/समर्थन करता है।
बैंक/वित्तीय संस्थान	डीपीआर का मूल्यांकन करें, सावधि ऋण स्वीकृत करें, संवितरण/उपयोग को प्रमाणित करें और ऋण मूलधन के विरुद्ध सब्सिडी को समायोजित करें।
तेल विपणन कंपनियाँ	जहां भी लागू हो, ईबीपी के तहत इथेनॉल की खरीद के लिए खरीद आदेश/समझौते जारी करें।
जिला प्रशासन/डीआईसी	स्थानीय सत्यापन, जिला स्तरीय अभिलेखों, निरीक्षणों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय में सहायता प्रदान करता है।
गृह/अग्निशमन सेवा विभाग	परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए जहां भी आवश्यक हो, अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।
गैल	यह परियोजना पात्र परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन कनेक्टिविटी, गैस परिवहन और ऑफटेक सहायता प्रदान करके प्राकृतिक गैस और सीबीजी बाजार के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।

तालिका 8.4 | सहयोगी विभाग और एजेंसियाँ, और उनकी भूमिकाएँ

8.8 वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के संबंध में स्पष्टीकरण :

- वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत का अर्थ है वह पहली तिथि जिस पर अनुमोदित इकाई स्वीकृत संयंत्र और मशीनरी से नियमित बिक्री योग्य उत्पादन शुरू करती है। उक्त तिथि को प्लांट एव मशीनरी की स्थापना पूर्ण होने, सफल परीक्षण संचालन, वैधानिक अनुमोदन, संचालन तत्परता और क्षमता प्रदर्शन के बाद ही इस पर मिन्य किया जायेगा।
- आवश्यक अनुमतियों के बिना किए गए परीक्षण उत्पादन, परीक्षण संचालन, मशीनरी स्थापना, विद्युत जुड़ाव, आंशिक चालू करना या उत्पादन को वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत नहीं माना जाएगा।
- आवेदक इकाई उत्पादन/संचालन शुरू करने के 15 दिनों के भीतर गन्ना उद्योग विभाग को अपने वाणिज्यिक संचालन के बारे में सूचित करेगी।

- गन्ना उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र और श्रम अधीक्षक सदस्य होंगे।
- उक्त समिति उत्पादन अभिलेखों, बिक्री चालानों/प्रेषण अभिलेखों, बिजली खपत अभिलेखों, श्रम/कारखाना अनुपालन अभिलेखों, वैधानिक अनुज्ञापत्र, बैंक/सीए प्रमाणपत्रों और अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों पर भरोसा कर सकेगी।
- किसी नई इकाई के लिए, प्रमाणित तिथि को वाणिज्यिक उत्पादन की प्रारंभ तिथि माना जाएगा।
- विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या रूपांतरण परियोजनाओं के लिए, प्रमाणित तिथि वह तिथि होगी जिससे अतिरिक्त/उन्नत क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होता है।
- तकनीकी समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र/सत्यापन रिपोर्ट उत्पादन तिथि निर्धारित करने का आधार बनेगी।
- नीति और लागू सरकारी निर्देशों के अधीन रहते हुए, पांच वर्ष की प्रोत्साहन अवधि की गणना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की प्रमाणित तिथि से की जाएगी।
- इस नीति के अंतर्गत किसी परियोजना को नई चीनी मिल माने जाने के लिए, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि इस नीति की अधिसूचना/जारी होने की तिथि के बराबर या उसके बाद की होनी होगी। यदि किसी आवेदक ने इस नीति के लागू होने से पहले प्रसंस्करण शुरू कर दिया था और गन्ना प्रोत्साहन पैकेज-2014 के अंतर्गत आवेदन किया था, तो ऐसी परियोजना को इस नीति के अंतर्गत तभी माना जाएगा जब वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की प्रमाणित तिथि इस नीति के जारी होने की तिथि के बराबर या उसके बाद की हो। नीति की अधिसूचना तिथि से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी किसी भी चीनी मिल परियोजना को इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के प्रयोजन के लिए नई चीनी मिल नहीं माना जाएगा।

9. निवेशक की पात्रता और जिम्मेदारियाँ

9.1 पात्र निवेशक

बिहार में गन्ना आधारित योग्य परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले स्वामित्व वाली फर्मों, साझेदारी फर्मों, एलएलपी, कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और सहकारी समितियों सहित पात्र निवेशक नीति, इन संचालन दिशानिर्देशों और लागू अनुमोदनों के अनुपालन के अधीन हो सकेंगे।

9.2 मुख्य पात्रता शर्तें

- यह परियोजना एक पात्र नीति श्रेणी के अंतर्गत होगी। चीनी मिल, इथेनॉल/डिस्टिलरी इकाई, सह-उत्पादन विद्युत इकाई या चीनी मिल से जुड़ा सीबीजी संयंत्र।
- परियोजना को अध्याय 3 में उल्लिखित संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षमता सीमा को पूरा करना होगा।
- यह परियोजना बिहार में स्थित होगी और अनुमोदित डीपीआर, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट, एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक अनुमतियों के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी।
- सब्सिडी/वित्तीय सहायता पर विचार करने से पहले एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से एसआईपीबी चरण-1 की मंजूरी अनिवार्य होगी।
- परियोजना का मूल्यांकन आरबीआई/एसबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाएगा, और स्वीकृत सावधि ऋण परियोजना लागत के 20% से कम नहीं होगा, जहां भी ऋण-संबंधी सब्सिडी का दावा किया जायेगा।
- निवेशक के पास परियोजना को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध भूमि, पर्याप्त वित्तीय क्षमता, प्रमोटर का योगदान और वित्त के साधन होने चाहिए।
- इस परियोजना का निर्माण किसी भी प्रकार से पुराने संयंत्र और मशीनरी को विभाजित करके, पुनर्निर्माण करके, स्थानांतरित करके, नाम बदलकर या स्थानांतरित करके नहीं किया जाएगा, जिससे नीति के उद्देश्य विफल हो जाएं।
- निवेशक किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से एक ही परियोजना घटक के लिए दोहरी सब्सिडी/सहायता का दावा नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों के जहां समन्वय संबंधी प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति हो।

✓

8 ✓

8

✓

✓

- यह परियोजना सभी वैधानिक, पर्यावरणीय, कर, श्रम, सुरक्षा, विद्युत, भूमि उपयोग और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।

9.3 निवेशक की जिम्मेदारियाँ

- आवेदन करने से पहले निवेशक को नीति, संचालन दिशानिर्देश, चेकलिस्ट, प्रारूप और अनुमोदन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
 - निवेशक को एसआईपीपी पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और एसआईपीपी चरण-1 अनुमोदन और लागू स्वीकृतियों के लिए एसडब्ल्यूसी पोर्टल पर अलग से आवेदन करना होगा।
 - निवेशक को प्रवर्तकों, भूमि, परियोजना लागत, क्षमता, प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वीकृतियों और समयसीमाओं से संबंधित पूर्ण, सत्य और सत्यापन योग्य विवरण प्रस्तुत करना होगा।
 - सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले निवेशक को एक व्यवहार्य डीपीआर तैयार करना होगा, बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल्यांकन प्राप्त करना होगा, सावधि ऋण की स्वीकृति सुरक्षित करनी होगी और वित्तीय समापन प्राप्त करना होगा।
 - निवेशक परियोजना के समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि, औचित्य, ऋण, अनुमोदन, मशीनरी/ईपीसी अनुबंध और अन्य निवेश की व्यवस्था करेगा।
 - निवेशक को अनुमोदित समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा करना होगा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा तथा किसी भी देरी, परिवर्तन या कार्यान्वयन जोखिम की सूचना विभाग को देनी होगी।
 - निवेशक को प्रगति संबंधी अद्यतन, महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण, प्रमाण पत्र और उपयोग संबंधी अभिलेख और एसआईपीपी पर यथा अपेक्षित दस्तावेजों का दावा अपलोड करने होंगे।
 - निवेशक तकनीकी समिति/विभाग द्वारा निरीक्षण, स्थल सत्यापन, क्षमता प्रदर्शन और वाणिज्यिक उत्पादन सत्यापन में सुविधा प्रदान करेगा।
- निवेशक को उचित खाते, उत्पादन अभिलेख, बिक्री/प्रेषण अभिलेख, कर अभिलेख, बिजली अभिलेख, श्रम/कारखाना अभिलेख, बैंक विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाए रखने होंगे।

✓

8 b

✓

✓

✓

- निवेशक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक/एफएल (FI) को जारी की गई सब्सिडी का समायोजन सावधि ऋण का मूलधन घटक केवल निम्नलिखित मदों के विरुद्ध ही किया जाए।
- निवेशक बिना पूर्व अनुमति के सब्सिडी-समर्थित परिसंपत्तियों का दुरुपयोग, विक्रय, हस्तांतरण, गिरवी रखना या उनका दुरुपयोग नहीं करेगा।
- निवेशक स्वामित्व, प्रबंधन, परियोजना के दायरे, क्षमता, स्थान, वित्तपोषण पद्धति या कार्यान्वयन अनुसूची में किसी भी मालिकाना परिवर्तन की सूचना विभाग को देगा।
- निवेशक को सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र, वचन बंध और जमानत बांड की सभी शर्तों का पालन करना होगा, अन्यथा लागू ब्याज सहित सब्सिडी की वसूली की जाएगी।

10. समयसीमा, अनुश्रवण और शिकायत निवारण

10.1 परियोजना और दावा समयसीमा

- परियोजना पूर्णता : निवेशक को एसआईपीबी से अनुमोदन प्राप्त होने के 36 महीनों के भीतर परियोजना को पूरा करके उसे चालू करना होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कारणों से इसे बढ़ाया न जाए।
- माइलस्टोन से संबंधित भुगतान : सब्सिडी/प्रतिपूर्ति का भुगतान दस्तावेज मूल्यांकन, माइलस्टोन के सत्यापन, तकनीकी समिति की रिपोर्ट और पीएमसी की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा।
- विलंब : अप्रत्याशित घटना या स्वीकृत औचित्य के बिना विलंब के परिणामस्वरूप स्थगन, रद्द करना या वसूली की कार्रवाई हो सकेगी।
- परियोजना की वापसी/अधूरापन : यदि निवेशक परियोजना से पीछे हट जाता है या उसे पूरा करने में विफल रहता है, तो पहले से जारी की गई सब्सिडी वापसी आदेश के 30 दिनों के भीतर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी।
- अनुपालन : आगे के दावों पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब पहले के उपयोग, बैंक/वित्तीय संस्थान के समायोजन की पुष्टि और निरंतर अनुपालन सत्यापित हो जाए।



✓ 8 ✓ ✓ ✓

10.2 अनुश्रवण, निरीक्षण और एमआईएस

- बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग, स्वीकृत प्रत्येक परियोजना की प्रगति की समीक्षा पीएमसी और तकनीकी समिति के माध्यम से करेगा।
- प्रत्येक किस्त से पहले, मंजूरी से पहले और बाद में किए गए निरीक्षण से भौतिक, वित्तीय और संचालन प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सत्यापन होगा।
- निवेशक समय-समय पर तस्वीरों (और आवश्यकता पड़ने पर साइट वीडियो) सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और निरीक्षण में सहयोग करेंगे।
- गन्ना उद्योग विभाग, पीएमसी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय की अनुश्रवण के लिए, एसआईपीपी – एसआईपीबी चरण-I की स्थिति, वित्तीय समापन, संवितरण और भौतिक प्रगति पर एक केंद्रीकृत, परियोजना-वार एमआईएस बनाए रखेगा।

10.3 शिकायत निवारण और विवाद

- सुविधा डेस्क/एसआईपीपी, एसडब्ल्यूसी पोर्टल चरण, या गन्ना उद्योग विभाग के मूल्यांकन/पीएमसी चरण में किसी भी देरी से असंतुष्ट निवेशक धारा 8.6 में उल्लिखित शिकायत निवारण मैट्रिक्स का उपयोग कर सकेगा।
- एसडब्ल्यूसी पोर्टल प्रोसेसिंग (चरण-I या अनापत्ति प्रमाण पत्र) से संबंधित विशिष्ट शिकायतें उद्योग विभाग/एसआईपीबी शिकायत तंत्र के माध्यम से भी उठाई जा सकेगी, जिसकी एक प्रति सुविधा डेस्क को भी भेजी जानी चाहिए।
- व्याख्या से संबंधित सभी मामले और सभी विवाद बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा तय किए जाएंगे, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- गन्ना उद्योग विभाग शिकायत रजिस्टर रखता है और पीएमसी एजेंडा के हिस्से के रूप में मासिक आधार पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करेगा।

11. सामान्य शर्तें, शास्तियाँ और वसूली

- झूठी घोषणा/उल्लंघन – झूठी घोषणा, अपात्र इकाई द्वारा प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना, या नीति की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने की

तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूली की जाएगी; बकाया राशि भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी।

- कार्यान्वयन न होना – यदि कार्यान्वयन नहीं होता है या निर्धारित समय सीमा से अधिक अनुचित देरी होती है, तो सरकार अनुमोदन रद्द कर सकती है और जारी की गई किसी भी सब्सिडी को 18% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ वापस ले सकती है।
- तीन साल का संचालन – यदि वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजना कम से कम तीन साल तक संचालित नहीं होती है, तो प्राप्त की गई संपूर्ण सब्सिडी 18% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर सहित वापस करनी होगी।
- परिसंपत्तियों का कोई दुरुपयोग नहीं – सरकारी सब्सिडी से पूर्णतः या काफी हद तक निर्मित परिसंपत्तियों को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित, गिरवी या निपटाया नहीं किया जाएगा।
- जमानत बांड – पहली किस्त जारी होने से पहले निवेशक बिहार सरकार के पक्ष में एक जमानत बांड (अनुलग्नक V) निष्पादित करेगा।
- उत्पादन तिथि – उत्पादन तिथि वह तिथि होगी जिस दिन कारखाना उस वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू करता है जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई थी, जिसका निर्धारण उत्पादन-तिथि समिति (धारा 8.8) द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
- पात्रता अवधि – डीपीआर की मंजूरी के तीन साल के भीतर (चीनी परिसर की मिल, डिस्टिलरी और सह-उत्पादन के लिए पांच साल के भीतर) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयां पात्र होंगी; नई इकाइयों को उत्पादन/क्षमता विस्तार शुरू होने से पांच साल तक सहायता प्राप्त होगी।
- गन्ना आधारित उद्योग – गन्ना उद्योगों और उनके उप-उत्पाद उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन, पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अन्य गन्ना आधारित उद्योगों को भी समान रूप से देय होंगे।

12. संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर	पूर्णरूप/अर्थ
एसीएस	अपर मुख्य सचिव
बीएसएससी	बिहार राज्य चीनी निगम

बीएसआईपीपी-2026	बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026
सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीबीजी	संपीड़ित बायोगैस
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईबीपी	इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम
इसी	पात्रता प्रमाण पत्र
ईपीसी	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
एफसीआई	स्थायी पूँजी निवेश
एफआई	वित्तीय संस्थान
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर (माल एवं सेवा कर)
जीएसटीआईएन	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
आईसीयूएमएसए	चीनी विश्लेषण के एकसमान विधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोग
आईएफडी	निवेशक सुविधा डेस्क
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
किग्रा/दिन	प्रति दिन किलोग्राम
किमी	किलोमीटर
केएलपीडी	प्रति दिन किलो लीटर
एलएलपी	सीमित देयता भागीदारी
एलओआई	आशय पत्र
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवीआर	बाज़ार मूल्य दर
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
ओएमसी	तेल विपणन कंपनी
पीएमसी	परियोजना अनुश्रवण समिति
पीएमयू	परियोजना अनुश्रवण इकाई
पीपीए	बिजली खरीद करार
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसआईपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
एसआईपीपी	गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पोर्टल
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसडब्ल्यूसी	सिंगल विंडो क्लीयरेंस
टीसीडी	प्रतिदिन गन्ने की पेराई की मात्रा (टन में)
टीपीडी	प्रति दिन टन
यूटीआर	विशिष्ट लेनदेन संदर्भ
वीएटी	मूल्य वर्धित कर

13. परिभाषाएँ

पारिभाषिक पद (टर्म)	परिभाषा
स्वीकृत परियोजना लागत	बैंक/वित्तीय संस्था मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत और प्रोत्साहन गणना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार की गई लागत।
निष्पक्ष मूल्य निर्धारण	अनियंत्रित परिस्थितियों में, संबद्ध उद्यमों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बीच किसी लेन-देन में लागू या प्रस्तावित मूल्य, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
बैंक/वित्तीय संस्था	परियोजना का मूल्यांकन, वित्तपोषण या प्रमाणीकरण करने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान।
प्रदर्शित क्षमता	परीक्षण संचालन, वाणिज्यिक उत्पादन या निरीक्षण के दौरान, उपलब्ध संचालन अभिलेखों, उत्पादन आंकड़ों, उपकरण क्षमता, तकनीकी प्रमाणपत्रों या तकनीकी समिति द्वारा सत्यापन के आधार पर, इकाई ने निर्धारित/अनुमोदित क्षमता के बराबर या उसके आसपास संचालन करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। गन्ने की उपलब्धता, मौसमी बदलाव, संयंत्र के स्थिरीकरण, बिजली आपूर्ति, श्रम या अन्य व्यावहारिक कारणों से होने वाले मामूली संचालन परिवर्तन, यदि स्थापित क्षमता और संचालन तत्परता अन्यथा सत्यापित हो जाती है, तो इकाई को अयोग्य नहीं ठहराएंगे।
दावा	पूँजीगत सब्सिडी, प्रतिपूर्ति, ब्याज सहायता या अन्य पात्र सहायता जारी करने के लिए आवेदन।
वाणिज्यिक उत्पादन	स्थापना, अनुमोदन, परीक्षण संचालन और तकनीकी समिति के सत्यापन के बाद नियमित बिक्री योग्य उत्पादन की प्रमाणित शुरुआत।
सक्षम प्राधिकार	नीति, संचालन दिशानिर्देशों या सरकारी आदेशों के तहत किसी भी मामले को मंजूरी देने, स्वीकृत करने, आवंटित करने, वसूल करने या निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को सशक्त बनाया गया है।
परिवर्तन	योग्य उत्पादन के लिए नए घटकों को स्थापित करके मौजूदा इकाई में अनुमोदित संशोधन।
पेराई वर्ष	1 जुलाई से लेकर अगले वर्ष के 30 जून तक की अवधि।
विभाग	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार।

डीपीआर	तकनीकी, वित्तीय, भूमि, क्षमता, कार्यान्वयन और व्यवहार्यता संबंधी विवरणों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
प्रभावी तिथि	यह नीति 25 जून 2026 से प्रभावी होगी।
पात्र इकाई	चीनी मिल, डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई, सह-उत्पादन इकाई या सीबीजी संयंत्र जो नीति की शर्तों और क्षमता सीमा को पूरा करते हों।
विस्तार	स्वीकृत परियोजना जिससे स्थापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।
कारखाना	वह परिसर जहां बैक्यूम-पैन प्रक्रिया के माध्यम से चीनी का उत्पादन किया जाता है।
एफसीआई	तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक नए संयंत्र एवं मशीनरी तथा संबंधित अचल संपत्तियों की खरीद, स्थापना और चालू करने में किया गया निवेश। इसमें गैर-उत्पादन संबंधी सिविल कार्य (सड़कें, चारदीवारी, क्वार्टर), कार्यशील पूंजी, पात्र सीमा से अधिक भूमि, पूर्व-संचालन व्यय और पुरानी मशीनरी शामिल नहीं हैं। सभी मशीनरी उचित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। एफसीआई के तहत संयंत्र और मशीनरी की स्वीकार्यता इन संचालन दिशानिर्देशों के खंड 7.1(x) के अनुसार तकनीकी प्रमाणन के अधीन होगी।
वित्तीय समापन	प्रमोटर के योगदान, स्वीकृत सावधि ऋण और वित्त के अनुमोदित स्रोतों सहित वित्तपोषण व्यवस्थाओं का समापन।
निवेशक/आवेदक	इस नीति के तहत आवेदन करने वाले पात्र व्यक्ति, फर्म, एलएलपी, कंपनी, सहकारी समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या अन्य अनुमत इकाई।
भूमि आवंटन	विभाग/बीएसएससी/बीआईएडीए/सरकारी भूमि की सिफारिश, आवंटन या पट्टा किसी पात्र परियोजना के लिए, अनुमोदन के अधीन।
माइलस्टोन	कार्यान्वयन, क्षमता, उत्पादन, अनुपालन या सब्सिडी जारी होने से जुड़ा सत्यापन योग्य परियोजना चरण।
आधुनिकीकरण/उन्नयन	आधुनिकीकरण/उन्नयन का अर्थ है किसी मौजूदा कार्यरत चीनी मिल द्वारा संचालन दक्षता, चीनी पुनर्प्राप्ति, उत्पाद की गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय अनुपालन में सुधार के लिए नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, प्रौद्योगिकी, स्वचालन, प्रक्रिया-सुधार प्रणाली, गुणवत्ता-नियंत्रण प्रणाली, ऊर्जा-दक्षता प्रणाली, प्रदूषण-नियंत्रण प्रणाली या अन्य पात्र अचल परिसंपत्तियों में निवेश करना, चाहे ऐसे निवेश से स्थापित पेटाई क्षमता में वृद्धि हो या न हो। नियमित मरम्मत, रखरखाव, घिसे-पिटे पुर्जों का प्रतिस्थापन, पुरानी मशीनरी का उपयोग, कार्यशील पूंजी, उत्पादन सुधार से सीधे तौर पर संबंधित न होने वाला नवीकरण और मौजूदा परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय आधुनिकीकरण/उन्नयन के रूप में नहीं माना जाएगा।

नया कारखाना/नई इकाई	नीति अधिसूचना के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाई, जो पुरानी संयंत्र और मशीनरी के विभाजन, पुनर्निर्माण, स्थानांतरण या हस्तांतरण से गठित नहीं हुई हो।
गैर-अनुपालन	नीति, संचालन दिशानिर्देशों, अनुमोदन, दावे, पट्टे, रिपोर्टिंग, वैधानिक या सब्सिडी शर्तों का उल्लंघन।
संचालन कारखाना	नीति अधिसूचना की तिथि को या उससे पहले कारखाना पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन में था।
संचालन दिशानिर्देश	यह नीति के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देश हैं।
पीएमसी	परियोजना अनुश्रवण समिति सब्सिडी/दावों के मूल्यांकन, अनुमोदन, अनुश्रवण और अनुशंसा के लिए जिम्मेदार है।
पीएमयू	परियोजना अनुश्रवण इकाई तकनीकी, वित्तीय, मूल्यांकन, प्रलेखन और अनुश्रवण संबंधी सहायता प्रदान करती है।
नीति	बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित
परियोजना	नीति के अंतर्गत नई इकाई, पुनरुद्धार, विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन या रूपांतरण के लिए अनुमोदित निवेश प्रस्ताव।
वसूली	लागू ब्याज सहित सब्सिडी/सहायता की वसूली, जिसमें जहां भी लागू हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में भी वसूली शामिल है।
एसजीएसटी	बिहार जीएसटी अधिनियम के तहत देय राज्य वस्तु एवं सेवा कर।
एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन	सब्सिडी/वित्तीय सहायता पर विचार किए जाने से पहले एसडब्ल्यूसी पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
एसआईपीपी	गन्ना उद्योग संवर्धन पोर्टल का उपयोग रजिस्ट्रीकरण, ट्रेकिंग, सब्सिडी आवेदन, दावों और अनुश्रवण के लिए किया जाता है।
वैधानिक निकासी/अनापत्ति प्रमाण पत्र	स्थापना या संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन, लाइसेंस, सहमति, अनुमति या प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
प्रतिभूति बंध पत्र	सहायता जारी होने से पहले निवेशक द्वारा निष्पादित बंध पत्र, अनुपालन और धनवापसी दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है।
एसडब्ल्यूसी पोर्टल	एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल का उपयोग एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और वैधानिक/उपयोगिता संबंधी स्वीकृतियों के लिए किया जाता है।
तकनीकी समिति	निरीक्षण, क्षमता सत्यापन, माइलस्टोन सत्यापन और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार समिति।
चीनी मिल के साथ	पात्र इकाई को कच्चे माल के रूप में चीनी मिल द्वारा उत्पादित गुड़ का उपयोग करना होगा। यह गुड़ किसी अन्य चीनी मिल से या आवेदक की अपनी चीनी मिल/इकाई से प्राप्त किया जा सकेगा, जहां भी लागू हो।

वर्ष/तिमाही	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है; तिमाही का अर्थ है तीन महीने जो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर या 31 मार्च को समाप्त होते हैं।
-------------	---

14. अनुलग्नक

अनुलग्नक I— एसआईपीपी पर रजिस्ट्रीकरण और प्रारंभिक परियोजना मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज।

अनुलग्नक II— एसआईपीबी चरण-1 मंजूरी और वैधानिक अनुपालन के लिए आवश्यक दस्तावेज।

अनुलग्नक III — वित्तीय समापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अनुलग्नक IV — पूंजी सब्सिडी वितरण और माइलस्टोन सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज
— चीनी मिल

अनुलग्नक V— पूंजी सब्सिडी वितरण और माइलस्टोन सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज—
डिस्टिलरी/इथेनॉल/इकाइयाँ, सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र और सीबीजी संयंत्र

परिशिष्ट VI — अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज

परिशिष्ट VII— भूमि आवंटन के लिए दस्तावेजी आवश्यकताएँ और अनिवार्य घोषणा

अनुलग्नक VIII — आवेदक द्वारा वचनबंध

परिशिष्ट IX— तकनीकी समिति परियोजना सत्यापन रिपोर्ट

अनुलग्नक X — जमानत बंध पत्र

अनुलग्नक XI — बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप

अनुलग्नक XII — चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र

अनुलग्नक XIII — बैंक ब्याज/ब्याज वित्तीय सहायता प्रमाण पत्र प्रारूप

अनुलग्नक XIV — चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र (सिविल/तकनीकी सिविल कार्य प्रमाणपत्र प्रारूप)

अनुलग्नक XV — चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र (संयंत्र एवं मशीनरी प्रमाणपत्र प्रारूप)

परिशिष्ट XVI — नेट वर्थ प्रमाण पत्र का प्रारूप

अनुलग्नक : I— एसआईपीपी पर रजिस्ट्रीकरण और प्रारंभिक परियोजना मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. निवेशक/संस्था का केवाईसी

- व्यवसायिक संस्था/प्रवर्तक का पैन कार्ड
- संस्था रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज — निगमन प्रमाणपत्र, साझेदारी विलेख/एलएलपी रजिस्ट्रीकरण/सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या संस्थापक दस्तावेज, जैसा लागू हो
- जीएसटी रजिस्ट्रीकरण (यदि उपलब्ध हो)
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड और पता प्रमाण
- बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र

2. परियोजना विवरण

- परियोजना अवधारणा नोट/डीपीआर (संक्षिप्त)
- परियोजना का प्रकार (चीनी मिल/इथेनॉल/सह-उत्पादन/सीबीजी)
- प्रस्तावित क्षमता
- अनुमानित परियोजना लागत
- रोजगार सृजन संबंधी विवरण (अस्थायी)
- कार्यान्वयन समयरेखा (अस्थायी)

3. भूमि दस्तावेज

क. यदि निवेशक के पास जमीन है/उसने जमीन की पहचान कर ली है

- भूमि स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज
- भूमि मानचित्र एवं स्थान विवरण
- भार-मुक्त घोषणा (यदि लागू हो)

ख. यदि सरकार/विभाग से भूमि का अनुरोध किया जाता है

- भूमि आवश्यकता आवेदन (आवश्यक क्षेत्र)
- पसंदीदा स्थान (जिला/प्रखंड)
- भूमि उपयोग योजना/संरचना
- भूमि आवश्यकता औचित्य नोट
- परियोजना कार्यान्वयन और अनुमोदित भूमि उपयोग का कार्य करना

2

1

8

✓

✓

✓

अनुलग्नक : II – एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन और वैधानिक स्वीकृतियों के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. उद्यम प्रोफाइल

- इकाई का पैन
- संस्था रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (कंपनी/एलएलपी/साझेदारी/सहकारी संस्था/सोसायटी/स्वामित्व)
- जीएसटी रजिस्ट्रीकरण (यदि उपलब्ध हो)

2. स्वत्वधारी/हितधारक

- प्रमोटर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार/पहचान पत्र
- बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र

3. इकाई विवरण

- परियोजना प्रोफाइल/अवधारणा नोट (अधिकतम 10 पृष्ठ)
- प्रस्तावित इकाई स्थान विवरण

4. उत्पाद और कच्चा माल

- उत्पाद विवरण (चीनी/इथेनॉल/सह-उत्पादन)
- कच्चा माल सोर्सिंग योजना

5. निवेश

- परियोजना लागत अनुमान
- स्थिर पूंजी निवेश का विवरण

6. रोजगार

- प्रस्तावित रोजगार सृजन योजना

7. वित्त एवं समयसीमा

- वित्त के साधन (इक्विटी/ऋण/आंतरिक संचय)
- कार्यान्वयन अनुसूची / परियोजना समयरेखा

8. भूमि दस्तावेज

यदि भूमि उपलब्ध हो

- स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज़
- भूमि मानचित्र/स्थल विन्यास

यदि सरकारी भूमि का अनुरोध किया गया है

- भूमि आवश्यकता आवेदन
- पसंदीदा स्थान विवरण
- भूमि उपयोग योजना/स्थल विन्यास
- भूमि की आवश्यकता का औचित्य

अनुलग्नक : III— वित्तीय समापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

1. भूमि एवं अवसंरचना संबंधी दस्तावेज़

- भूमि स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज़ या सरकारी भूमि आवंटन पत्र
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
- स्थल का संरचना/भूमि उपयोग योजना
- भवन का विन्यास और कारखाना का नक्शा (यदि उपलब्ध हो)

2. निर्माण चरण

- स्थापना की सहमति (बीएसपीसीबी)
- भूजल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण पत्र
- भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) (यदि लागू हो)
- बिजली कनेक्शन की मंजूरी
- जल आपूर्ति स्वीकृति
- अन्य परियोजना विशिष्ट वैधानिक अनुमोदन

3. पूर्व-संचालन चरण

- कारखाना लाइसेंस
- फायर एनओसी
- विद्युत शुल्क रजिस्ट्रीकरण
- व्यावसायिक टैस रजिस्ट्रीकरण
- संचालन की अनुमति (यदि लागू हो)

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

- संयंत्र एवं मशीनरी का तकनीकी प्रमाणीकरण
- अन्य लाइसेंस जैसे कि कारखाना लाइसेंस, श्रम रजिस्ट्रीकरण (यदि आवश्यक हो)

4. वित्तीय समापन

- एसआईपीवी चरण -I अनुमोदन प्रमाणपत्र/संदर्भ संख्या
- बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट (अनुलग्नक : XI)
- बैंक/वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण स्वीकृति पत्र
- वित्त के साधनों का विवरण (इक्विटी, ऋण, सरकारी अनुदान/सब्सिडी और प्रमोटर का अंशदान)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- परियोजना लागत और एफसीआई का विवरण
- प्रवर्तकों की कुल संपत्ति/वित्तपोषण प्रतिबद्धता दस्तावेज

5. वचनबंध (अनुलग्नक : VIII)

अनुलग्नक : IV – पूंजीगत सब्सिडी वितरण और माइलस्टोन के लिए आवश्यक दस्तावेज सत्यापन (चीनी मिलें)

क. नए/पुनर्जीवित चीनी मिलों के लिए

पूंजी अनुदान वितरण – किश्तवार महत्वपूर्ण चरण

किस्त	माइलस्टोन	आवश्यक मुख्य दस्तावेज
पहली किस्त	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 1 महीने बाद	• पहली किस्त जारी करने के लिए अनुरोध पत्र/दावा आवेदन। • अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र • जमानत बंध पत्र/वचनबंध (अनुलग्नक X) • वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र • तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट ➤ न्यूनतम 3,500 टीसीडी क्षमता प्रदर्शित की गई। ➤ संयंत्र और मशीनरी स्थापित और चालू हैं। • चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र ➤ संयंत्र की स्थापना और चालू करना मशीनरी • सीए प्रमाणपत्र (अनुलग्नक XII)

		➤ इस बात की पुष्टि कि आवश्यक इक्विटी और सावधि ऋण का उपयोग निर्धारित माइलस्टोन की शर्त के अनुसार किया जा चुका है। • बैंक/एफआई प्रमाणपत्र ➤ निर्धारित शर्तों के अनुसार सावधि ऋण वितरण की पुष्टि ➤ सब्सिडी समायोजन के लिए सक्रिय सावधि ऋण खाते का विवरण • संचालन की अनुमति/संचालन संबंधी वैधानिक स्वीकृति, यदि पहले से जमा नहीं की गई हो या रिलीज सत्यापन के लिए आवश्यक हो • यदि कारखाना अनुज्ञप्ति/श्रमिक रजिस्ट्रीकरण पहले से जमा नहीं किया गया है या यदि जारी सत्यापन के लिए आवश्यक है, तो उसे जमा करें। • राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वीएसआई, एनएसआई या किसी अन्य संस्था/एजेंसी द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी का तकनीकी प्रमाणन, जहां भी आवश्यक हो। विभाग/पीएमसी
दूसरी किस्त	उत्पादन के 12 महीने बाद	• दूसरी किस्त के लिए अनुरोध पत्र/दावा आवेदन • पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र • बैंक/एफआई प्रमाणपत्र. ➤ इस बात की पुष्टि कि सावधि ऋण की मूल राशि के मुकाबले पहली किस्त का समायोजन कर दिया गया है। ➤ स्वीकृत वित्तपोषण साधनों के अनुसार, संबंधित लक्ष्य के लिए आवश्यक सावधि ऋण वितरण और उपयोग की पुष्टि। • सीए उपयोगिता प्रमाणपत्र. ➤ आवश्यक इक्विटी और ऋण निधियों के उपयोग की पुष्टि • उत्पादन और क्षमता रिकॉर्ड ➤ इस बात का प्रमाण कि मिल उत्पादन जारी रखे हुए है और स्वीकृत क्षमता को बनाए रखती है। • तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट • यदि आवश्यक हो तो चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र, नौकरी जारी रखने के लिए आवश्यक है। क्षमता/मशीनरी सत्यापन

✓ 8 ✓ ✓

✓

		वैधानिक अनुपालन दस्तावेजों को केवल तभी अद्यतन करें जब कोई परिवर्तन हो, समाप्ति हो या विशिष्ट मुक्ति की आवश्यकता हो।
तीसरी किस्त	24 महीने के उत्पादन के बाद	- अनुरोध पत्र - अनुरोध पत्र/दावा आवेदन, - सीए द्वारा प्रमाणित दूसरी किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र - बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रमाण पत्र जो सावधि ऋण के मूलधन के मुकाबले दूसरी किस्त के समायोजन की पुष्टि करता हो। - संबंधित क्रशिंग के लिए उत्पादन और क्षमता संबंधी अभिलेख मौसम - संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए क्षमता प्रदर्शन का प्रमाण। - तकनीकी समिति/पीएमसी द्वारा जहाँ भी अपेक्षित हो, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र - तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट - वैधानिक अनुपालन दस्तावेजों को केवल तभी अद्यतन करें जब उनमें कोई परिवर्तन हुआ हो, उनकी अवधि समाप्त हो गई हो या विशेष रूप से आवश्यक हो।
चौथी किस्त	36 महीने के उत्पादन के बाद	- अनुरोध पत्र/दावा आवेदन. - तीसरी किस्त के लिए सीए द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र - बैंक/वित्तीय मंत्रालय का प्रमाण पत्र जो सावधि ऋण के मूलधन घटक के मुकाबले तीसरी किस्त के समायोजन की पुष्टि करता हो। - संबंधित क्रशिंग सीज़न के लिए उत्पादन और क्षमता के रिकॉर्ड - संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए क्षमता प्रदर्शन का प्रमाण। - तकनीकी समिति/पीएमसी द्वारा जहाँ भी अपेक्षित हो, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र - तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट

✓

8 0

✓

✓

✓

		वैधानिक अनुपालन दस्तावेजों को केवल तभी अद्यतन करें जब उनमें कोई परिवर्तन हुआ हो, उनकी अवधि समाप्त हो गई हो या विशेष रूप से आवश्यक हो।
पांचवीं किस्त	48 महीनों के उत्पादन के बाद	- अनुरोध पत्र/दावा आवेदन. - सीए द्वारा प्रमाणित चौथी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र - बैंक/वित्तीय मंत्रालय का प्रमाण पत्र जो सावधि ऋण के मूलधन घटक के मुकाबले चौथी किस्त के समायोजन की पुष्टि करता हो। - संबंधित क्रशिंग सीज़न के लिए उत्पादन और क्षमता के अभिलेख - संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई दिनों के लिए क्षमता प्रदर्शन का प्रमाण। - तकनीकी समिति/पीएमसी द्वारा जहां भी आवश्यक हो, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र। - तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट - निरंतर संचालन की पुष्टि करने वाला अंतिम वचनबंध, सब्सिडी समर्थित परिसंपत्तियों का गैर-हस्तांतरण/गैर-चुनना, सब्सिडी के लिए कोई दोहरा दावा न करना, नीति/संचालन दिशानिर्देशों की शर्तों का कोई उल्लंघन न करना और कोई बकाया वसूली/चूक न होना।

ख. मौजूदा/संचालित चीनी मिलों के लिए – क्षमता विस्तार

क्र.सं.	दस्तावेज़/आवश्यकता	उद्देश्य/सत्यापन आधार
1	पूँजीगत सब्सिडी के लिए दावा आवेदन	एसआईपीपी पर निर्धारित दावा प्रपत्र, अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र और अनुमोदित विस्तार श्रेणी के संदर्भ में।
2	अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र	स्वीकृत सहायता, अनुमोदित विस्तार क्षमता, अनुमोदित श्रेणी, जारी करने की शर्तें और लागू नीति खंड को सत्यापित करने के लिए।
3	विस्तार-पूर्व क्षमता प्रमाणपत्र	विस्तार से पहले प्रमाणित मौजूदा पेराई क्षमता स्थापित करना, जो मौजूदा संयंत्र और मशीनरी विनिर्देशों और पूर्व उत्पादन/पेराई अभिलेखों द्वारा समर्थित हो।

4	तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट	अनुमोदित विस्तार कार्य के पूर्ण होने, अतिरिक्त क्षमता की स्थापना/चालू होने और विस्तारित क्षमता से संचालन तत्परता/वाणिज्यिक उत्पादन की पुष्टि करने के लिए।
5	अतिरिक्त क्षमता प्रदर्शन प्रमाणपत्र	प्रमाणित पूर्व-विस्तार क्षमता से कम से कम 1,000 टीसीडी अतिरिक्त क्षमता की पुष्टि करना और संबंधित पेराई सत्र के दौरान कम से कम 10% पेराई के दिनों के लिए प्रदर्शन करना।
6	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र	विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि को सत्यापित करने के लिए, गन्ना अधिकारी/अधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेखों और स्थल सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए।
7	पात्र अचल पूंजी निवेश पर सीए प्रमाणपत्र	वास्तविक पात्र व्यय, घटक-वार लागत, अपात्र मदों के अपवर्जन और प्रवर्तक अंशदान/हिस्सेदारी तथा सावधि ऋण के स्रोत-वार उपयोग को सत्यापित करना।
8	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र	अनुमोदित विस्तार के लिए नवस्थापित संयंत्र और मशीनरी, मदवार विनिर्देश, आपूर्तिकर्ता, चालान, लागत, मात्रा, स्थापना, चालू करना और कार्यक्षमता को प्रमाणित करना।
9	बैंक/एफआई प्रमाणपत्र	सावधि ऋण की स्वीकृति/वितरण, सक्रिय सावधि ऋण खाता, बकाया मूलधन, आनुपातिक उपयोग और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सब्सिडी का समायोजन केवल ऋण मूलधन के विरुद्ध ही किया जाएगा।
10	प्रमोटर अंशदान/इक्विटी प्रमाण	अनुमोदित विस्तार के लिए लगाई गई पूंजी को सत्यापित करने के लिए सीए प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेंट, बोर्ड संकल्प/साझेदार पूंजी का प्रमाण और जहां लागू हो, संबंधित एमसीए फाइलिंग/फॉर्म।
11	इकाई द्वारा वचनबंध	कोई दोहरा दावा नहीं, परिसंपत्तियों की कोई बिक्री/हस्तांतरण/दुरुपयोग नहीं और नीति, संचालन दिशानिर्देश और पात्रता प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन।

परिशिष्ट V : आसवन/इथेनॉल इकाइयों, सह-उत्पादन विद्युत इकाइयों और सीबीजी संयंत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज

इकाई/परियोजना श्रेणी	मुख्य दस्तावेज आवश्यक
डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाइयाँ	1. पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए दावा आवेदन। 2. अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र। 3. तकनीकी समिति की सत्यापन रिपोर्ट चालू करने/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र।

	4. क्षमता सत्यापन प्रमाणपत्र नई इकाई के लिए न्यूनतम 45 केएलपीडी या विस्तार/रूपांतरण के लिए 15 केएलपीडी की अतिरिक्त क्षमता। 5. पात्र अचल पूंजी निवेश पर सीए प्रमाणपत्र। 6. स्थापना एवं चालू करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र। 7. सावधि ऋण के मूलधन के मुकाबले पूंजी सब्सिडी के समायोजन हेतु बैंक/वित्तीय मंत्रालय का प्रमाण पत्र। 8. ओएमसी समझौता/खरीद आदेश/इथेनॉल आपूर्ति व्यवस्था, जहां भी लागू हो। इथेनॉल के उत्पादन और प्रेषण संबंधी रिकॉर्ड। 9. विभाग/पीएमसी द्वारा जहां भी आवश्यक हो, वीएसआई, एनएसआई या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था/एजेंसी द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी का तकनीकी प्रमाणन।
सह-उत्पादन विद्युत इकाइयाँ	1. पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए दावा आवेदन। 2. अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र। 3. तकनीकी समिति की सत्यापन रिपोर्ट। 4. आरंभन प्रमाणपत्र। 5. क्षमता सत्यापन प्रमाणपत्र – नई इकाई के लिए न्यूनतम 10 मेगावाट या विस्तार के लिए 5 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता। 6. पात्र अचल पूंजी निवेश पर सीए प्रमाणपत्र। 7. स्थापना एवं चालू करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र। 8. सावधि ऋण के मूलधन के मुकाबले पूंजी सब्सिडी के समायोजन हेतु बैंक/वित्तीय मंत्रालय का प्रमाण पत्र। 9. पीपीए/डिस्कॉम व्यवस्था/ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन या बिजली निकासी की मंजूरी, जहां भी लागू हो। 10. बिजली उत्पादन, निर्यात/कैप्टिव उपयोग के अभिलेख और मीटर रीडिंग।
सीबीजी संयंत्र	1. पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए दावा आवेदन। 2. अनुमोदन पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र। 3. तकनीकी समिति सत्यापन रिपोर्ट। 4. चालू करने/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाणपत्र। 5. क्षमता सत्यापन प्रमाणपत्र प्रति दिन। न्यूनतम 5 टीपीडी/5,000 किलोग्राम प्रति दिन। 6. पात्र अचल पूंजी निवेश पर सीए प्रमाणपत्र। 7. स्थापना एवं चालू करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र। 8. सावधि ऋण के मूलधन के मुकाबले पूंजी सब्सिडी के समायोजन हेतु बैंक/वित्तीय मंत्रालय का प्रमाण पत्र। 9. जहां भी लागू हो, खरीद समझौता/बिक्री व्यवस्था। 10. सीबीजी उत्पादन, बिक्री/प्रेषण और खरीद संबंधी अभिलेख।

अनुलग्नक VI: अन्य वित्तीय सहायता के लिए दस्तावेजों की सूची

वित्तीय सहायता	आवश्यक दस्तावेज	दस्तावेजों के लिए समय अवधि
शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	- एसजीएसटी/जीएसटी रिटर्न - दावा अवधि के लिए कर योग्य बिक्री, आउटपुट टैक्स देयता, इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन और देय शुद्ध एसजीएसटी का सत्यापन करना। - एसजीएसटी भुगतान चुनौतियाँ - सरकारी खजाने में एसजीएसटी के वास्तविक भुगतान की पुष्टि करने के लिए। - दिन-वार उत्पादन अभिलेख - दावा अवधि के दौरान पात्र उत्पादन को सत्यापित करने और उत्पादन को बिक्री से जोड़ने के लिए। - बिक्री/प्रेषण अभिलेख - पात्र बिक्री, कर योग्य मूल्य, बेची गई मात्रा, प्रेषण विवरण और लगाए गए एसजीएसटी को सत्यापित करने के लिए। - लागू जीएसटी दर अधिसूचना - यह पुष्टि करने के लिए कि जीएसटी/एसजीएसटी की गणना सही लागू दर पर की गई है। - चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र - पात्र कारोबार, शुद्ध एसजीएसटी भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन और स्वीकार्य प्रतिपूर्ति राशि को प्रमाणित करने के लिए।	- पहले एसजीएसटी के लिए प्रतिपूर्ति दावा - वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की प्रमाणित तिथि से लेकर संबंधित वित्तीय वर्ष/दावा अवधि के अंत तक के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। - उदाहरण : यदि वाणिज्यिक उत्पादन 10 अगस्त 2027 को शुरू होता है, तो पहले दावे के लिए 10 अगस्त 2027 से 31 मार्च 2028 तक के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। - आगामी वार्षिक के लिए दावा - संबंधित दावा वर्ष के पूरे वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए दस्तावेज आवश्यक होंगे। - अंतिम वर्ष के दावे के लिए - यदि पांच साल की प्रोत्साहन अवधि 31 मार्च से पहले समाप्त होती है, तो अंतिम पात्र वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर पांच साल की प्रोत्साहन अवधि की अंतिम तिथि तक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

8 8 8

✓ ✓

✓

	● राज्य कर विभाग सत्यापन प्रतिवेदन। ➤ प्रतिपूर्ति की मंजूरी से पहले रिटर्न दाखिल करने, एसजीएसटी के भुगतान, दावे की सत्यता और कर अनुपालन की पुष्टि करना।	
वित्तीय सहायता में ब्याज (डिस्टिलरी/इथेनॉल/ सीबीजी परियोजनाएं)	● बैंक प्रमाणपत्र ➤ टर्म लोन के विवरण, लागू ब्याज दर, वसूला गया ब्याज, इकाई द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, बकाया ऋण राशि और दावा अवधि के लिए पात्र ब्याज को प्रमाणित करना। ● सावधि ऋण खाता विवरण ➤ संबंधित दावा अवधि के लिए ऋण वितरण, पुनर्भुगतान, ब्याज कटौती, ब्याज भुगतान और बकाया मूलधन को सत्यापित करना। ● ब्याज भुगतान प्रमाण ➤ यह पुष्टि करने के लिए कि प्रतिपूर्ति/सहायता के लिए दावा किया गया ब्याज वास्तव में इकाई द्वारा बैंक/एफएल को भुगतान किया गया है। ● चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र ➤ भुगतान किए गए पात्र ब्याज, परियोजना-वार सावधि ऋण उपयोग, दंडात्मक ब्याज/बकाया राशि के अपवर्जन को प्रमाणित करने के लिए। आरोपों और दावे की राशि की सत्यता। ● ब्याज गणना विवरण	● प्रथम ब्याज सहायता के लिए दावा ➤ पहले चरण के ऋण वितरण की तिथि से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी या नीति/पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार लागू वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत से लेकर संबंधित वित्तीय वर्ष/दावा अवधि के अंत तक। ● आगामी वार्षिक दावों के लिए ➤ संबंधित दावा वर्ष के पूरे वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए दस्तावेज आवश्यक होंगे। ● अंतिम वर्ष के दावे के लिए ➤ यदि पात्र अवधि 31 मार्च से पहले समाप्त होती है, तो पात्र पांच वर्षीय प्रोत्साहन अवधि की अंतिम तिथि तक, पात्र वर्ष के 1 अप्रैल से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

	➤ वास्तविक रूप से भुगतान किए गए ब्याज, पात्र सावधि ऋण राशि, लागू दर और स्वीकृत दावा अवधि के आधार पर स्वीकार्य ब्याज सहायता की गणना दर्शाना। ● नीतिगत सीमाओं और प्रतिबंधों के अनुपालन की पुष्टि ➤ यह पुष्टि करने के लिए कि दावा स्वीकृत अवधि, पात्र ऋण प्रतिशत, अधिकतम सहायता सीमा और पूंजी सब्सिडी के साथ-साथ ब्याज सहायता पर समग्र सीमा के भीतर है।	
स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति	● स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा आवेदन। ➤ स्वीकृत परियोजना के लिए खरीदी/रजिस्ट्रीकृत भूमि पर भुगतान किए गए पात्र स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति का औपचारिक रूप से दावा करना। ● रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख/पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख ➤ यह सत्यापित करना कि भूमि को अनुमोदित परियोजना के लिए पात्र इकाई के पक्ष में कानूनी रूप से खरीदा/रजिस्ट्रीकृत किया गया है। ● स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण। शुल्क भुगतान ➤ स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में भुगतान की गई	● स्वीकृत परियोजना के लिए खरीदी/रजिस्ट्रीकृत पात्र भूमि पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल एक बार ही स्वीकार्य होगी। ● भूमि संबंधी दस्तावेज के निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान के बाद ही दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ● दावा केवल अनुमोदित परियोजना से जुड़े विशिष्ट पात्र भूमि लेनदेन को ही कवर करना चाहिए। ● एक ही भूमि पार्सल/लेनदेन के लिए कोई दोहरा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

✓ 8

✓

✓

	वास्तविक राशि की पुष्टि करने के लिए। ● भूमि स्वामित्व/कब्जे से संबंधित दस्तावेज। ➤ पात्र परियोजना के लिए भूमि के वैध स्वामित्व/कब्जे और उपयोग को सत्यापित करना। ● भूमि उपयोग/परियोजना उपयोग घोषणा। ➤ यह पुष्टि करने के लिए कि भूमि का उपयोग केवल उस स्वीकृत परियोजना के लिए किया जा रहा है जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है। ● निबंधन विभाग/आईजीआर सत्यापन रिपोर्ट ➤ रजिस्ट्रीकृत विलेख, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क के भुगतान और प्रतिपूर्ति दावे की सत्यता को सत्यापित करने के लिए। ● चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र ➤ भुगतान की गई राशि, दावा की गई राशि और इस बात को प्रमाणित करना कि इसका दावा पहले नहीं किया गया है। ● कोई दोहरी दावा उपक्रम नहीं ➤ यह पुष्टि करने के लिए कि उसी भूमि लेनदेन के लिए पहले या किसी अन्य योजना के तहत प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है।	
--	--	--

✓ ✓ 8 ✓

✓

✓

परिशिष्ट VII- भूमि आवंटन मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज और अनिवार्य घोषणाएँ

क्र. सं.	दस्तावेज की आवश्यकता	अवधि/वैधता आवश्यकता
1	भूमि संबंधी आवश्यकताओं के लिए एसआईपीपी पर आवेदन प्रस्तुत किया गया	आवेदन चरण में
2	परियोजना प्रोफाइल/अवधारणा नोट जिसमें परियोजना श्रेणी, प्रस्तावित क्षमता, उत्पाद और भूमि की आवश्यकता शामिल है।	नवीनतम प्रस्ताव आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया
3	प्रस्तावित आवंटित क्षेत्र के औचित्य सहित भूमि आवश्यकता विवरण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट।	नवीनतम संस्करण
4	चीनी मिल, डिस्टिलरी/इथेनॉल, सह-उत्पादन और/या सीबीजी संयंत्र के लिए प्रस्तावित क्षमता विवरण, प्रस्तावित भूमि उपयोग दर्शाने वाला प्रारंभिक स्थल खाका/मास्टर प्लान, प्रस्तावित/पहचाने गए भूमि पार्सल के लिए स्थल व्यवहार्यता नोट, जल और विद्युत आवश्यकता विवरण, चीनी मिल परियोजनाओं के लिए गन्ना उपलब्धता/जलग्रहण क्षेत्र मूल्यांकन, माइलस्टोन के अनुसार समयरेखा सहित परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची	आवेदन स्तर पर प्रस्तावित क्षमता
5	यह घोषणा कि स्वीकृत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि पहले से उपलब्ध नहीं है या अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है	आवेदन चरण में
6	यह वचन दिया जाता है कि आवंटित भूमि का उपयोग केवल अनुमोदित गन्ना आधारित परियोजना के लिए ही किया जाएगा।	आवेदन चरण में
7	निवेशक संस्था/प्रमोटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया नेट वर्थ प्रमाणपत्र	6 महीने से अधिक पुराना नहीं
8	निवेशक इकाई के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	पिछले 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष
9	परियोजना निवेश के लिए बोर्ड संकल्प/प्रमोटर प्रतिबद्धता पत्र	चालू वित्तीय वर्ष
10	निर्धारित समय सीमा के भीतर एसआईपीवी वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने की घोषणा, यदि पहले से प्राप्त न हुई हो।	आवेदन चरण में
11	निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना पूर्ण करने की क्षमता की घोषणा	आवेदन चरण में
12	औद्योगिक पृष्ठभूमि और अनुभव - फैक्ट्री लाइसेंस, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) स्वीकृति, चीनी मिल रजिस्ट्रीकरण/गन्ना पेराई की अनुमति, स्थापना की सहमति (सीटीई), संचालन की सहमति (सीटीओ), बॉयलर रजिस्ट्रीकरण/बॉयलर संचालन प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रीकरण, श्रम कानून रजिस्ट्रीकरण।	आवेदन चरण में
13	यदि निवेशक मालिक है तो स्व-घोषणा	आवेदन चरण में

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14	यदि आवेदक एक साझेदारी फर्म है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण सहित साझेदारी विलेख या नोटरीकृत शपथ पत्र।	आवेदन चरण में
15	यदि आवेदक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/एलएलपी कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई है, तो कंपनी रजिस्ट्रार से निगमन प्रमाणपत्र, समझौता ज्ञापन और अनुबंध के तहत वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न का विवरण।	आवेदन चरण में
16	यदि आवेदक सहकारी समिति है, तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।	आवेदन चरण में
17	कंपनी/साझेदारी फर्म के मामले में आवेदक के नाम पर प्राधिकार पत्र।	आवेदन चरण में
18	आधार कार्ड, पैन कार्ड, निदेशकों/मालिकों/साझेदारों की फोटो (जैसा लागू हो)।	आवेदन चरण में

भूमि आवंटन आवेदन हेतु वचनबंध-सह-घोषणा

(आवेदक संस्था के लेटरहेड (पत्रशीर्ष) पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंपुत्र/पुत्री निवासी मेसर्स के निदेशक/साझेदार/स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में, जिनका सीआईएन/एलएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण/जीएसटीआईएन है और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है। एतद्वारा निम्नलिखित के अनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान, घोषणा और बचनबद्ध करता/करती हूँ।

1. सूचना की सत्यता

- बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत भूमि आवंटन हेतु इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सभी सूचना, आँकड़े, विवरण, घोषणाएँ, दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं।
- आवेदन के मूल्यांकन से सुसंगत कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या दस्तावेज छिपाया, दबाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. भूमि का उपयोग

- सरकार/विभाग/बिहार राज्य चीनी निगम द्वारा आवंटित, पट्टे पर दी गई, अनुशंसित या अन्यथा उपलब्ध कराई गई कोई भी भूमि केवल अनुमोदित गन्ना-आधारित

औद्योगिक परियोजना की स्थापना, संचालन और विस्तार के लिए ही उपयोग की जाएगी।

- आवंटित भूमि का उपयोग किसी भी अनधिकृत, सट्टा, वाणिज्यिक, आवासीय या गैर-अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- आवंटित भूमि का विकास पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों, भवन निर्माण उप-विधियों और अन्य प्रचलित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

3. वित्तीय और विधिक प्रकटीकरण

- इस आवेदन से सुसंगत सभी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी, देनदारियों, उधारों, भारों और विधिक कार्यवाहियों का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।
- वित्तीय स्थिति, स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन संरचना या परियोजना कार्यान्वयन क्षमता में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना विभाग को तुरंत दी जाएगी।

4. मुकदमा, दिवालियापन और साख की स्थिति

- लंबित मुकदमों, मध्यस्थता, दिवालियापन कार्यवाहियों, वसूली कार्यवाहियों, ऋण चूक, एनपीए वर्गीकरण, नियामक कार्रवाइयों या इसी तरह के मामले, यदि कोई हो, का विवरण आवेदन में पूरी तरह से प्रकट किया गया है।
- आवेदक संस्था या उसके प्रमोटर को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या नियामक प्राधिकार द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला या कपट उधारकर्ता घोषित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि लिखित रूप में विशेष रूप से प्रकट किया गया है।

5. एसआईपीबी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता

- नीति संचालन दिशानिर्देशों और लागू सरकारी अनुदेशों के तहत विहित समय-सीमा के अनुसार एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन और अन्य लागू वैधानिक अनुमोदनों को सक्रिय रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- भूमि की सिफारिश या आवंटन एसआईपीबी की मंजूरी, सब्सिडी की मंजूरी, वित्तीय सहायता मंजूरी या वैधानिक निकासी नहीं है।
- वित्तीय समापन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता है।

- विभाग द्वारा विहित समय सीमा के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए प्रमोटर के योगदान, इक्विटी निवेश, बैंक वित्त और वित्त के अन्य अनुमोदित स्रोतों के माध्यम से सभी उचित प्रयास की जाएगी।
- वित्तीय समापन प्राप्त करने या कार्यान्वयन क्षमता प्रदर्शित करने में विफलता का परिणाम भूमि अनुशंसा/आवंटन की वापसी, रद्दकरण या संशोधन हो किया जा सकता है।

6. कार्यान्वयन प्रतिबद्धता

- परियोजना प्रस्ताव, कार्यान्वयन अनुसूची और अनुमोदित भूमि उपयोग योजना के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करेंगे।
- नीति, संचालन दिशा-निर्देशों और आवंटन शर्तों के तहत विहित समयसीमा के भीतर परियोजना कार्यान्वयन प्रारंभ करेंगे और वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करेंगे।

7. निरीक्षण और सत्यापन

- विभाग, पीएमसी, पीएमयू, तकनीकी समिति या सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी प्राधिकार द्वारा अभिलेखों, वित्तीय विवरणों, परियोजना दस्तावेजों, स्थल योजनाओं और अन्य सूचनाओं के निरीक्षण, सत्यापन और जाँच की अनुमति देते हैं।

8. मिथ्या घोषणा का परिणाम

- किसी भी प्रकार के मिथ्या कथन, दुर्यपदेशन, तथ्यों को छिपाने, जाली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, भूमि का दुरुपयोग, भूमि पर सट्टेबाजी करने या किसी भी लागू शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विभाग भूमि आवंटन/सिफारिश को रद्द करने और नीति तथा लागू कानूनों के तहत अनुमत कार्रवाई करने का हकदार होगा।

9. बाध्यकारी प्रभाव

- यह घोषणा और वचनबद्ध आवेदक, उसके प्रमोटर, निदेशकों, साझेदारों, उत्तराधिकारियों, वारिसों और अधिकृत प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगी।

सत्यापन

मैं एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि इस घोषणा-सह-वचनबद्ध की अंतर्वस्तु में लिखी गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इसमें से कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान :

तारीख :

मेसर्स की ओर से और उनके लिए

नाम :

पद नाम :

हस्ताक्षर :

कंपनी की मुहर :

मुकदमेबाजी/एनपीए/दिवालियापन की स्थिति का खुलासा (एक पर निशान लगाए) :

- ☐ आवेदक/प्रमोटर के विरुद्ध कोई मुकदमा, दिवालियापन की कार्यवाही, एनपीए की स्थिति, जानबूझकर चूक या नियामक कार्रवाई लंबित नहीं है।
- ☐ मुकदमा, दिवालियापन की कार्यवाही, एनपीए स्थिति, जानबूझकर चूक या नियामक कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में संलग्न हैं।

अनुलग्नक VIII – आवेदक द्वारा वचनबद्ध

(गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर)

मैं पुत्र/पुत्री श्री; निवासी मेसर्स के निदेशक/स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में, जिनका रजिस्ट्रीकरण सं०/सीआईएन/एलएलपीआईएन/जीएसटीआईएन और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है, एतद्वारा निम्नलिखित के अनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान, घोषणा और बचनबद्ध करता/करती हूँ।

1. मैं मेसर्स का अधिकृत निदेशक, भागीदार, स्वामी हूँ, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या/सीआईएन/एलएलपीआईएन/जीएसटीआईएन है और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है।

2. यह कि मैं अपने स्वयं के अधिकार से/प्रबंधन द्वारा संकल्प संख्या तारीख द्वारा बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत सर्वेक्षण/प्लॉट संख्या गाँव प्रखंड जिला पिन में प्रस्तावित परियोजना के लिए आवेदक की ओर से आवेदन, इस वचनबद्ध को और सभी संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने उसे और प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत हूँ।

✓

R

f

✓

✓

✓

3. मैंने नीति, इस संचालन दिशानिर्देश, लागू अनुलग्नकों, पात्रता शर्तों, अनुमोदन आवश्यकताओं, सब्सिडी शर्तों, दावा प्रक्रियाओं और वसूली प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है, और आवेदक इनका अनुपालन करेगा।
4. मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, परियोजना विवरण, भूमि ब्योरा, प्रोमोटर विवरण, प्रस्तावित क्षमता, परियोजना लागत, वित्त के साधन, बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन, वैधानिक अनुमोदन और आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी सहायक दस्तावेज सत्य, पूर्ण और सत्यापन योग्य हैं।
5. कि प्रस्तावित परियोजना आवेदन में उल्लिखित पात्र श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसे केवल अनुमोदित गतिविधि और अनुमोदित उद्देश्य के लिए ही कार्यान्वित किया जाएगा।
6. मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रालय, विभाग, एजेंसी (अभिकरण), नीति या योजना के तहत उसी परियोजना घटक, लागत, गतिविधि या उद्देश्य के लिए किसी भी समान लाभ, सब्सिडी, अनुदान, प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता का दावा नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है या आवेदन नहीं किया है, सिवाय इसके कि नीति और इस संचालन दिशानिर्देशों के समन्वय प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई हो।
7. कि आवेदक को एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन, वैधानिक निकासी, बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन, सावधि ऋण स्वीकृति, वित्तीय समापन और नीति, इस संचालन दिशानिर्देश और प्रयोज्य (लागू) कानूनों के तहत आवश्यक अन्य सभी अनुमोदन प्राप्त करेगा और अनुरक्षित करेगा।
8. कि आवेदक ने किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रालय, विभाग, एजेंसी या योजना से एक ही परियोजना घटक, लागत, गतिविधि या उद्देश्य के लिए दोहरी सब्सिडी, अनुदान, प्रतिपूर्ति या वित्तीय सहायता का दावा, प्राप्त या आवेदन नहीं किया है, सिवाय इसके कि नीति और इस संचालन दिशानिर्देशों के समन्वय प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति हो।
9. कि किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई लाभ लिया गया है या लेने का प्रस्ताव है, तो उसका पूर्ण प्रकट किया गया है और इस नीति के अंतर्गत स्वीकार्य सहायता की गणना करते समय उसे समायोजित किया जाएगा।
10. कि प्रस्तावित परियोजना मात्र विभाजन, पुनर्निर्माण, पुनः स्थापन, नाम परिवर्तन, पुराने संयंत्र और मशीनरी का स्थानांतरण या किसी अपात्र मौजूदा गतिविधि को इस प्रकार जारी रखना नहीं है जिससे नीति का उद्देश्य विफल हो जाए।



8

✓

✓



11. प्रमोटर अंशदान, इक्विटी, सावधि ऋण और वित्त के अन्य स्रोतों की व्यवस्था की जाएगी, और सब्सिडी की स्वीकार्यता में कमी, परियोजना लागत में वृद्धि या वित्त पैटर्न में परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी कमी को पूरा किया जाएगा।
12. अनुमोदित समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जाएगा और उसे चालू किया जाएगा तथा गन्ना उद्योग विभाग को परियोजना में किसी भी देरी, परियोजना के दायरे में परिवर्तन, स्वामित्व, प्रबंधन, स्थान, क्षमता, वित्त पैटर्न, कार्यान्वयन अनुसूची या किसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सूचित किया जाएगा।
13. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना सरकार की सहायता से पूर्णतः या काफी हद तक निर्मित किसी भी संपत्ति को ना बेचा जाएगा, ना हस्तांतरित करेंगे, ना पट्टे पर देंगे, ना गिरवी रखेंगे, अपयोजन या उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
14. गन्ना उद्योग विभाग, तकनीकी समिति, पीएमसी, पीएमयू या किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण, स्थल सत्यापन, क्षमता प्रदर्शन, वाणिज्यिक उत्पादन सत्यापन, माइलस्टोन सत्यापन और अभिलेख जाँच में सुविधा प्रदान की जाएगी।
15. उचित लेखा-बहियों, उत्पादन अभिलेखों, बिक्री/प्रेषण अभिलेखों, कर अभिलेखों, बिजली अभिलेखों, श्रम/कारखाना अनुपालन अभिलेखों, बैंक विवरण, उपयोग अभिलेखों और दावों के सत्यापन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण किया जाएगा।
16. ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को जारी की गई पूंजी सब्सिडी केवल परियोजना सावधि ऋण खाते के मूलधन घटक में ही जमा की जाएगी और बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऐसे समायोजन की पुष्टि प्रस्तुत की जाएगी या प्रस्तुत करने में सहायता की जाएगी।
17. कि तथ्यों को छिपाने, मिथ्या घोषणा करने, दुर्यपदेशन करने, परियोजना को लागू न करने, लागू करने में देरी करने, सहायता का दुरुपयोग करने, नीति/संचालन दिशानिर्देशों की शर्तों का उल्लंघन करने या निर्धारित अवधि के लिए परियोजना को संचालित करने में विफलता की स्थिति में, गन्ना उद्योग विभाग/बिहार सरकार आवेदन, अनुमोदन या दावे को अस्वीकार, स्थगित या रद्द कर सकेंगे और जारी की गई सहायता को 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेंगे।
18. कि इस वचनबद्ध में की गई सभी घोषणाएँ आवेदक, उसके प्रमोटर, उत्तराधिकारियों, नियुक्तियों और अधिकृत प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होंगी।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

तारीख :

स्थान :

आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

आवेदक इकाई की मुहर

तारीख :

स्थान :

आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

आवेदक इकाई की मुहर

अनुलग्नक IX : तकनीकी समिति परियोजना सत्यापन रिपोर्ट

निरीक्षण का उद्देश्य : पूर्व-स्वीकृति निरीक्षण/माइलस्टोन सत्यापन/वाणिज्यिक उत्पादन सत्यापन/क्षमता प्रदर्शन

1. परियोजना पहचान

विवरण	ब्यौरा
आवेदक/इकाई का नाम	
परियोजना श्रेणी (नई चीनी मिल/पुनरुद्धार / विस्तार/आधुनिकीकरण/डिस्टिलरी/इथेनॉल / सह-उत्पादन/सीबीजी)	
परियोजना स्थल	गाँव— प्रखंड— ज़िला— पिन—
एसआईपीपी आवेदन संख्या	
एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन संख्या और तिथि	
स्वीकृत/प्रस्तावित क्षमता	

अनुमोदित परियोजना लागत	
बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम और सावधि ऋण की स्वीकृति	
निरीक्षण की तिथि	

2. भौतिक प्रगति और मशीनरी स्थापना

सत्यापन मद	अवलोकन/स्थिति
भूमि पर कब्जा/स्थल तैयारी।	
सिविल कार्य पूर्ण/प्रगति पर है	
ऑर्डर किए गए/प्राप्त किए गए/स्थापित किए गए संयंत्र और मशीनरी	
बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणालियों सहित उपयोगिता व्यवस्थाएँ	
संचालन तत्परता/परीक्षण-चालन स्थिति	
तस्वीरों/भू-टैग किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की गई	हाँ/नहीं

3. वित्तीय प्रगति

सत्यापन मद	राशि/स्थिति
प्रमोटर का योगदान/लाई गयी इक्विटी	
सावधि ऋण स्वीकृत	
सावधि ऋण वितरित और उपयोग किया गया	
पात्र स्थिर पूंजी निवेश पर किया गया व्यय	
बैंक/वित्त संस्थान उपयोगिता प्रमाणपत्र/विवरण सत्यापित	

4. वैधानिक और विनियामक अनुपालन

अनुपालन मद	स्थिति/टिप्पणियाँ
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति/सीटीई/सीटीओ	
कारखानों/श्रम अनुपालन और अनुज्ञप्तियाँ	
बिजली कनेक्शन/लोड स्वीकृति/पीपीए, जहां भी लागू हो,	
अग्नि सुरक्षा/भवन/भूमि संबंधी स्वीकृतियाँ, जहां भी लागू हो	
परियोजना श्रेणी से संबंधित अन्य वैधानिक स्वीकृतियाँ	

5. क्षमता प्राप्ति और साक्ष्य समीक्षा

सत्यापन मद	ब्योरा
क्षमता स्वीकृत/अनुमोदित	

✓ 8 6 8 8 0

स्थापित की गई क्षमता	
क्षमता प्रदर्शन किया गया	
वाणिज्यिक उत्पादन तिथि, यदि लागू हो	
उत्पादन अभिलेख/बिक्री चालान/प्रेषण अभिलेखों की समीक्षा की गई	हाँ/नहीं
बिजली की खपत/संचालन संबंधी अभिलेखों की समीक्षा की गई।	हाँ/नहीं
तस्वीरों/वीडियो/अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की गई	हाँ/नहीं

6. समिति के निष्कर्ष

स्थल निरीक्षण, जाँच किए गए दस्तावेजों, अभिलेखों समीक्षित और तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, समिति निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करती है :

- 1.
- 2.
- 3.

7. तकनीकी समिति की अनुशंसा

इस परियोजना/दावे को पीएमसी द्वारा से विचार के लिए अनुशंसित किया जाता है :

- संबंधित सब्सिडी किस्त की स्वीकृति/स्थगन/अस्वीकृति/जारी करना।
- अनुशंसित किस्त/अनुमोदन चरण :
- अनुशंसित राशि, यदि लागू हो :
- शर्तें/कमियाँ, यदि कोई हो :
- अनुशंसा हेतु कारण :

घोषणा

तकनीकी समिति इस बात की पुष्टि करती है कि निरीक्षण/सत्यापन संचालन दिशानिर्देशों, नीति प्रावधानों और लागू अनुलग्नकों के अनुसार किया गया है, और उपरोक्त निष्कर्ष निरीक्षण के दौरान सत्यापित अभिलेखों और स्थल अवलोकनों पर आधारित हैं।

नाम एवं पदनाम	स्थिति	हस्ताक्षर	तारीख
	अध्यक्ष		
	सदस्य		
	सदस्य		
	सदस्य/विशेषज्ञ, यदि कोई हो		

अनुलग्नक X: प्रतिभूति बंधपत्र (स्टाम्प पेपर पर)

इन दस्तावेजों द्वारा सभी को ज्ञात हो कि हम, मेसर्स एक के रूप में निगमित/रजिस्ट्रीकृत हैं, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में और परियोजना स्थल में स्थित है, इसमें इसके पश्चात् 'बाध्यताधारी' कहा गया। बिहार के राज्यपाल, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'सरकार' कहा गया। बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी/वित्तीय सहायता की राशि साथ ही अन्य वसूली योग्य देय राशि यदि कोई हो के भुगतान के लिए विधिवत रूप से बाध्य और उत्तरदायी है।

बाध्यताधारी एतद्वारा यह वचन देता है कि स्वीकृत सहायता का उपयोग केवल अनुमोदित परियोजना, अनुमोदित घटक और अनुमोदित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, और इसे किसी भी अपात्र गतिविधि, परिसंपत्ति या लागत के लिए अपयोजित, दुरुपयोग, हस्तांतरित या उपयोग नहीं किया जाएगा। बाध्यताधारी नीति, इस संचालन दिशानिर्देश, अनुमोदन/पात्रता प्रमाण पत्र, स्वीकृति आदेश, माइलस्टोन की शर्तों, वैधानिक अनुमोदनों और गन्ना उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों के अनुसार परियोजना को पूरा, चालू, संचालित और उसका अनुरक्षण करेगा।

बाध्यताधारी को एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन, वैधानिक स्वीकृतियाँ, बैंक/वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन, सावधि ऋण स्वीकृति, वित्तीय समापन और इस नीति तथा इस संचालन दिशानिर्देश के अंतर्गत आवश्यक अन्य सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होंगी और उनका अनुरक्षण करना होगा। बाध्यताधारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र, बैंक/वित्तीय संस्थान की पुष्टि, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र, उत्पादन अभिलेख, क्षमता प्रदर्शन अभिलेख और सब्सिडी जारी करने तथा सतत पात्रता के सत्यापन हेतु यथा अपेक्षित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

बाध्यताधारी आगे यह वचन देता है कि परियोजना स्वीकृत समयसीमा के भीतर पूरी हो जाएगी और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद नीति/संचालन दिशा-निर्देशों के तहत



विहित न्यूनतम अवधि तक चालू रहेगी। देनदार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना सरकार की सहायता से पूर्णतः या सारतः निर्मित आस्तियों को बेचेगा, हस्तांतरित करेगा, पट्टे पर देगा, गिरवी रखेगा, अलग करेगा, स्थानांतरित करेगा या किसी अन्य तरीके से उनका निपटान नहीं करेगा।

झूठी घोषणा, तथ्यों को छुपाने, दुर्व्यपदेशन, कार्यान्वयन न करने, बिना अनुमति के स्वीकृत अवधि से अधिक विलंबित कार्यान्वयन, सहायता का दुरुपयोग या हेराफेरी, नीति/संचालन दिशानिर्देशों की शर्तों का उल्लंघन, एक ही घटक के लिए दोहरा दावा, आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफलता, या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निर्धारित अवधि के लिए परियोजना का संचालन करने में विफलता की स्थिति में, बाध्यताधारी को जारी की गई संपूर्ण सहायता, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित भाग, जारी करने की तिथि से पुनर्भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी।

इस बॉण्ड के तहत वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी, बशर्ते कि सरकार के पास नीति, इन संचालन दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, स्वीकृति आदेश या बाध्यताधारी द्वारा दिए गए किसी अन्य बाध्यकारी वचनबद्ध के तहत उपलब्ध कोई अन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित हो।

बाध्यताधारी द्वारा दिनांक 20..... को हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

मेसर्स की ओर से और उनके लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षर :

दायित्वधारी की मुहर

गवाह :

नाम :

नाम :

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

पता :

पता :

अनुलग्नक XI-बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप

[बैंक/वित्तीय संस्थान के लेटरहेड पर जारी किया जाना है]

मूल्यांकन/संदर्भ पत्र संख्या : मूल्यांकन तिथि :

(वर्तमान मूल्यांकन प्रारूप से पहले स्वीकृत ऋण के मामले में मूल मूल्यांकन संदर्भ पत्र संख्या)

Q

8

विवरण	ब्यौरा
बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन संदर्भ संख्या और तिथि	
आवेदक/इकाई का नाम	
संगठन का प्रकार (स्वत्वधारिता/भागीदारी एलएलपी/कंपनी/सहकारी/अन्य)	
रजिस्ट्रीकरण सं०/सीआईएन/एलएलपीआईएन/जीएसटीआईएन	
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
परियोजना स्थल पता	गाँव प्रखंड जिला पिन
परियोजना श्रेणी (नया/पुनरुद्धार/विस्तार/आधुनिकीकरण/डिस्टिलरी /इथेनॉल/सह-उत्पादन/सीबीजी)	
एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन संख्या और तिथि	
वाणिज्यिक उत्पादन की अपेक्षित/वास्तविक तिथि	

परियोजना लागत और वित्त के साधन

क्र. सं.	लागत घटक	अनुमानित लागत (करोड़)	पात्रता/अपात्रता संबंधी टिप्पणियाँ
1	भूमि		
2	स्थल विकास		
3	कारखाना भवन और सिविल निर्माण		
4	संयंत्र और मशीनरी		
5	विविध अचल आस्तियाँ		
6	आईडीसी सहित प्रारंभिक और पूर्व-प्रवर्ती व्यय		
7	आकस्मिकता		
8	कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी		
9	अन्य, यदि कोई हो		
	बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित कुल परियोजना लागत		

क्र. सं.	वित्त के साधन	राशि (करोड़)
1	प्रमोटर योगदान/साधारण शेयर (इक्विटी)	
2	बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत नया सावधि ऋण	
3	अन्य स्रोत, यदि कोई हो	

✓ 8 ✓ 9 0

4	कार्यशील पूंजी ऋण, यदि कोई हो	
	वित्त के कुल साधन	

सावधि ऋण विवरण :

- स्वीकृति पत्र संख्या और दिनांक :
- सावधि ऋण खाता संख्या :
- स्वीकृत राशि :करोड़, अवधि महीने
- अधि स्थगन : महीने;
- भुगतान अनुसूची : मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक, पहली किस्त
- संवितरण तिथि :
- दास्त वितरण तिथि :

बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणन : यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना का मूल्यांकन बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना श्रेणी के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया है और उपर्युक्त मूल्यांकित परियोजना लागत, पात्र अचल पूंजी निवेश, वित्तपोषण के साधन, सावधि ऋण स्वीकृति और संवितरण विवरण बैंक/वित्तीय संस्थान के अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं। विचाराधीन सावधि ऋण आवेदक इकाई के नाम पर एक नया परियोजना सावधि ऋण है और यह किसी मौजूदा ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा का नवीकरण, पुनर्गठन, वृद्धि या पुनरुद्धार नहीं है।

मूल्यांकन प्राधिकारी/शाखा प्रमुख का नाम एवं पदनाम :

हस्ताक्षर :

बैंक/वित्तीय संस्थान मुहर :

तारीख :

अनुलग्नक XII – चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र

[चार्टर्ड अकाउंटेंट/सीए फर्म के लेटरहेड पर जारी किया जाना है]

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत परियोजना लागत, पात्र व्यय और वित्त के साधनों के प्रमाणीकरण हेतु

1. मूल विवरण

विवरण	ब्यौरा
आवेदक का नाम/इकाई का नाम	
परियोजना श्रेणी	

(नया / पुनरुद्धार / विस्तार / आधुनिकीकरण / उन्नयन / रूपांतरण / डिस्टिलरी / इथेनॉल / सह-उत्पादन / सीबीजी)	
परियोजना स्थल	
एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन संख्या और तिथि।	
बैंक / एफआई का नाम	
बैंक मूल्यांकन संदर्भ संख्या और तिथि	
सावधि ऋण स्वीकृति पत्र क्रमांक एवं दिनांक	
व्यय की प्रमाणित तिथि / अवधि	से तक

2. परियोजना लागत और पात्र व्यय
(राशि ` करोड़ में)

क्र. सं.	लागत घटक	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक / वित्तीय संस्था के द्वारा अनुमोदित लागत	तिथि तक वास्तविक व्यय	प्रोत्साहन के लिए विचार किया गया पात्र व्यय	टिप्पणियाँ
1	भूमि				
2	स्थल विकास				
3	कारखाना भवन / तकनीकी सिविल कार्य				
4	गैर-तकनीकी सिविल कार्य यदि कोई हो				
5	संयंत्र और मशीनरी				
6	विविध अचल आस्तियाँ				
7	उपयोगिताएँ / विद्युतीय / बिजली / जल प्रणालियाँ				
8	स्थापन, निर्माण और चालू करना				
9	प्रारंभिक और पूर्व-प्रवर्ती व्यय, जिसमें आईडीसी भी शामिल है				
10	आकस्मिकता				
11	कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी				
12	अन्य, यदि कोई हो,				
	कुल परियोजना लागत				
	पात्र स्थिर पूंजी निवेश / पात्र वृद्धिशील एफसीआई				

नोट : पात्र व्यय पर एफसीआई की संचालन दिशानिर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिसमें उत्पादन के लिए आवश्यक नए संयंत्र और मशीनरी तथा

✓ 8 b ✓ ✓ 1

संबंधित अचल आस्तियों में निवेश शामिल है, जबकि गैर-उत्पादन सिविल कार्य, कार्यशील पूंजी, पात्र सीमा से अधिक भूमि, पूर्व-प्रवर्ती व्यय और पुरानी मशीनरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

3. वित्त के साधन (राशि - करोड़ में)

क्र. सं.	वित्त का स्रोत	बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत राशि	तिथि तक लाई गयी/उपयोग की गयी राशि	टिप्पणियाँ
1	प्रमोटर अंशदान/इक्विटी			
2	बैंक/वित्तीय संस्थान से नया सावधि ऋण			
3	आंतरिक उपार्जन			
4	सरकारी अनुदान/सब्सिडी, यदि कोई हो			
5	असुरक्षित ऋण है, यदि कोई हो			
6	अन्य स्रोत, यदि कोई हो			
	वित्त के कुल साधन			

नोट : असुरक्षित ऋण विवरण, यदि कोई हो जिसमें ऋणदाता का पैन भी शामिल है, सीए द्वारा अलग से प्रमाणित किया जाएगा।

4. संयंत्र एवं मशीनरी/तकनीकी सिविल कार्यों के लिए किए गए भुगतानों का विवरण

क्र. सं.	पार्टी/वेंडर का नाम	चालान सं० बिल	चालान/बिल की तिथि	मूल लागत	कर, माल ढुलाई, स्थापन, बीमा और अन्य प्रभार	कुल लागत	बैंक विवरण के अनुसार भुगतान की तिथि	भुगतान का तरीका
1								
2								
3								
4								
5								
	कुल							

5. सीए प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि :



1. हमने आवेदक/इकाई के खाता-बहियों, चालानों, वाउचरों, बैंक विवरण, भुगतान रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है।
2. ऊपर दर्शाया गया व्यय स्वीकृत परियोजना के लिए किया गया है और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है।
3. पात्र व्यय/पात्र स्थायी पूंजी निवेश की गणना बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026, संचालन दिशानिर्देश और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार की गई है।
4. अपात्र मदें, जिनमें कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी, गैर-उत्पादन संबंधी सिविल कार्य, असंबंधित व्यय, दोहरा दावा और उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित न किए गए व्यय शामिल हैं, को पात्र व्यय में शामिल नहीं किया गया है।
5. विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण परियोजनाओं के लिए, केवल अनुमोदित परियोजना से संबंधित वृद्धि संबंधी पात्र व्यय पर ही विचार किया गया है, और मौजूदा आस्तियों/पुराने संयंत्र और मशीनरी को संचालन दिशानिर्देशों के विस्तार-आधारित दावों के उपचार के अनुरूप पुनः नहीं गिना गया है।
6. ऊपर दर्शाए गए वित्त के साधनों का सत्यापन बैंक अभिलेखों, लेखा-बहियों और सहायक दस्तावेजों से किया गया है।
7. आवेदक ने किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से उसी घटक, लागत, गतिविधि या उद्देश्य के लिए दोहरी सब्सिडी/वित्तीय सहायता का दावा नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है या आवेदन नहीं किया है, सिवाय इसके कि नीति और संचालन दिशानिर्देशों के समन्वय प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई हो।
8. उपर्युक्त प्रमाणित जानकारी हमारी सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों पर आधारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर

सीए का नाम :

सदस्यता सं :

फर्म रजिस्ट्रीकरण सं० :

यूडीआईएन :

तारीख :

स्थान :

अनुलग्नक XIII- बैंक ब्याज/ब्याज वित्तीय सहायता प्रमाणपत्र का प्रारूप

[बैंक/वित्तीय संस्थान के लेटरहेड पर जारी किया जाना है]

✓ 8

✓

✓

✓

विवरण	ब्यौरा
इकाई का नाम	
इकाई का पता	
सावधि ऋण स्वीकृति पत्र संख्या और तिथि	
सावधि ऋण खाता संख्या	
कुल स्वीकृत सावधि ऋण	
कुल संवितरण राशि	
प्रथम संवितरण तिथि	
अंतिम संवितरण तिथि	
ब्याज प्रमाणपत्र अवधि	

क्र. सं.	महीना/ अवधि	ब्याज दर	विचार किया गया बकाया मूलधन (₹) पर	प्रभारित ब्याज (₹)	मूलधन भुगतान (₹)	ब्याज भुगतान (₹)	शास्तिक ब्याज/अन्य शुल्क, यदि कोई हो (₹)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	कुल						

बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणन : यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दर्शाया गया ब्याज केवल इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित परियोजना सावधि ऋण खाते से संबंधित है और आवेदक इकाई से निर्धारित अवधि के दौरान वसूल किया गया है। इस राशि में दंडात्मक ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, बैंक शुल्क, विलंब शुल्क, पुनर्गठन शुल्क, कार्यशील पूंजी ब्याज या कोई अन्य अपात्र शुल्क शामिल नहीं है। यदि ब्याज वित्तीय सहायता स्वीकार्य है, तो इसकी गणना बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026, इस संचालन दिशानिर्देश और पात्र ऋण राशि और ब्याज दर पर लागू सीमा के अनुसार ही की जाएगी।

शाखा प्रमुख/अधिकृत बैंक पदाधिकारी का नाम और पदनाम।

हस्ताक्षर :

बैंक/एफआई मुहर :

तारीख :

8 2 8

अनुलग्नक XIV – चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र
सिविल/तकनीकी सिविल कार्य प्रमाणपत्र प्रारूप

[चार्टर्ड इंजीनियर के लेटरहेड पर जारी किया जाना है]

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना से संबंधित तकनीकी सिविल कार्य/सिविल कार्यों के प्रमाणन के लिए

1. मूल ब्यौरा

विवरण	ब्यौरा
आवेदक/यूनिट का नाम	
परियोजना का नाम (नया/पुनरुद्धार/विस्तार/ आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण/डिस्टिलरी /इथेनॉल/सह-उत्पादन/सीबीजी)	
परियोजना श्रेणी	
पता सहित परियोजना स्थल	
एसआईपीबी चरण-I अनुमोदन क्रमांक और तिथि	
बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन संदर्भ संख्या और तिथि	
चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्थल भ्रमण की तिथि	
चार्टर्ड इंजीनियर का नाम	
चार्टर्ड इंजीनियर की सदस्यता/रजिस्ट्रीकरण संख्या	

2. परियोजना की प्रगति/तकनीकी सिविल कार्य का विवरण

नोट : यदि परियोजना के एक से अधिक स्थल हैं, तो स्थानवार अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	घटक/सिविल कार्य का नाम	बैंक मूल्यांकन/डीपीआर (वर्ग मीटर) के अनुसार प्रस्तावित/आकलित क्षेत्र	प्रस्तावित/आकलित लागत (लाख में)	वास्तविक क्षेत्रपूर्ण/निष्पादित (वर्ग मीटर)	की गई वास्तविक लागत (लाख में)	दर/इकाई / (वर्ग मीटर)	कार्यान्वयन की स्थिति	गुणवत्ता, निर्माण मानकों और बाजार दरों पर टिप्पणियाँ
1	कारखाना भवन/तकनीकी सिविल संरचना							
2	संयंत्र और मशीनरी के लिए बुनियाद							
3	बॉयलर/टर्बोइन/प्रसंस्करण क्षेत्र सिविल कार्य							

4	भंडारण उत्पादन से जुड़ी सिविल संरचना							
5	उपयोगिता/बिजली /जल/अपशिष्ट जल से संबंधित सिविल कार्य							
6	अन्य तकनीकी सिविल कार्य, यदि कोई हो							
	कुल							

3. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा सत्यापन

चार्टर्ड अभियंता निम्नलिखित बातों को प्रमाणित करेगा :

1. ऊपर उल्लिखित सिविल/तकनीकी सिविल कार्यों का परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।
2. प्रमाणित कार्य अनुमोदित परियोजना से जुड़े होते हैं और स्थापन, संचालन, उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोगिताओं या अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं।
3. ऊपर प्रमाणित मात्रा, क्षेत्रफल, दर और लागत स्थल सत्यापन, माप अभिलेख, चित्र, बिल, चालान, कार्य आदेश, भुगतान अभिलेख और चार्टर्ड इंजीनियर के समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पर आधारित हैं।
4. प्रमाणित तकनीकी सिविल कार्य में प्रयुक्त सामग्री/घटक नए और स्वीकृत परियोजना उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं।
5. प्रमाणित कार्य बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट/डीपीआर/अनुमोदित परियोजना दायरे के अनुरूप हैं और असंबंधित या गैर-उत्पादन सिविल कार्य नहीं हैं।
6. गैर-उत्पादन सिविल कार्य, सामान्य कार्यालय भवन, अतिथि गृहों, कर्मों आवास चारदीवारी, सड़कें या कोई अन्य अपात्र सिविल कार्य, पात्र स्थायी पूंजी निवेश में शामिल नहीं किए जाएंगे, जब तक कि संचालन दिशानिर्देशों/नीति के तहत पात्र परियोजना अवसंरचना के हिस्से के रूप में विशेष रूप से अनुमोदित न हों।
7. विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण परियोजनाओं के लिए, केवल अनुमोदित परियोजना से संबंधित अतिरिक्त सिविल/तकनीकी सिविल कार्य को ही प्रमाणित किया गया है, और मौजूदा सिविल कार्यों को दोबारा नहीं गिना गया है। यह संचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसके अनुसार विस्तार प्रोत्साहन की गणना केवल अतिरिक्त

क्षमता, अतिरिक्त उत्पादन या अनुमोदित विस्तार के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पात्र एफसीआई पर ही की जाती है।

4. प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित सिविल/तकनीकी सिविल कार्यों का सत्यापन मेरे/हमारे द्वारा किया गया है और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और सत्यापन के अनुसार, क्षेत्र, लागत, दर, गुणवत्ता, निर्माण मानक और कार्यान्वयन स्थिति का विवरण सत्य और सही है।

इसके अलावा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रमाणित कार्य स्वीकृत परियोजना से संबंधित हैं और बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026, संचालन दिशानिर्देश, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और लागू अनुमोदन शर्तों के तहत अनुमत सीमा तक ही उन पर विचार किया गया है।

चार्टर्ड इंजीनियर के हस्ताक्षर और मुहर

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम :

सदस्यता/रजिस्ट्रीकरण संख्या :

पता/संपर्क ब्योरा :

तारीख :

स्थान :

अनुलग्नक XV – चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र

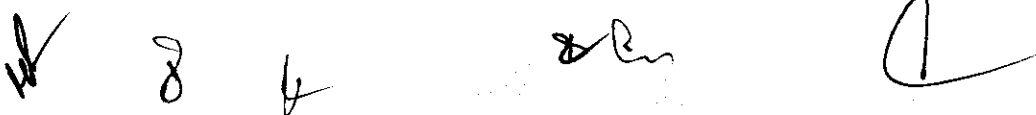
संयंत्र एवं मशीनरी प्रमाणपत्र प्रारूप

[चार्टर्ड इंजीनियर के लेटरहेड पर जारी किया जाना है]

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी के प्रमाणन के लिए

1. मूल ब्योरा

विवरण	ब्योरा
आवेदक/यूनिट का नाम	
परियोजना श्रेणी (नया/पुनरुद्धार/विस्तार/आधुनिकीकरण/ उन्नयन/रूपांतरण/डिस्टिलरी/इथेनॉल/सह-उत्पादन/सीबीजी)	



परियोजना स्थल	
एसआईपीबी चरण-1 अनुमोदन क्रमांक एवं तिथि	
बैंक/वित्तीय संस्थान मूल्यांकन संदर्भ संख्या एवं तिथि	
चार्टर्ड इंजीनियर का नाम	
सदस्यता/रजिस्ट्रीकरण संख्या	
स्थल भ्रमण की तिथि	
वाणिज्यिक उत्पादन तिथि (यदि लागू हो)	

2. संयंत्र एवं मशीनरी सत्यापन

नोट : यदि परियोजना के एक से अधिक स्थल हैं, तो स्थानवार अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	संयंत्र/मशीनरी/ उपकरण का नाम	डीपीआर/बैंक मूल्यांकन में आकलित परिमाण	स्थापित परिमाण	आकलित लागत (लाख)	वास्तविक लागत (लाख)	मूल लागत (लाख)	कर/माल दुलाई/ बीमा/ स्थापन (लाख)	आपूर्तिकर्ता/ विनिर्माता	स्थिति (आदेशित/प्राप्त/ स्थापित/पूर्व परीक्षण/चालू)	टिप्पणियाँ
1										
2										
3										
4										
5										
	कुल									

3. क्षमता सत्यापन

विवरण	ब्यौरा
डीपीआर/बैंक मूल्यांकन के तहत स्वीकृत क्षमता	
स्थापित क्षमता	
प्रदर्शित क्षमता	
माप की इकाई	टीसीडी/केएलपीडी/एमडब्ल्यू/टीपीडी
प्रदर्शन/सत्यापन की तिथि	
सत्यापन का आधार	उत्पादन अभिलेख/पूर्व परीक्षण/संचालन अभिलेख/तकनीकी मूल्यांकन

4. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा सत्यापन

चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणित करता है कि :

- ऊपर सूचीबद्ध संयंत्र और मशीनरी का परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

W 8 8 8 8 8

Q

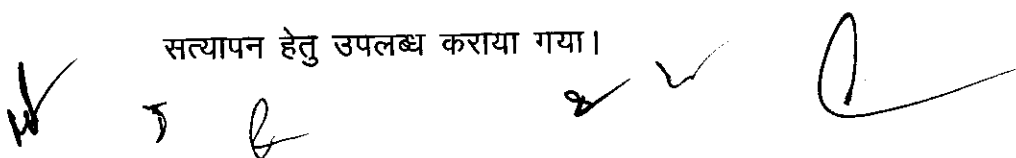
2. इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रमाणित मशीनरी और उपकरण अनुमोदित परियोजना से सीधे संबंधित हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोगिता संचालन या परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।
3. ऊपर प्रमाणित मात्राएँ, विनिर्देश और लागतें चालान, खरीद आदेश, भुगतान अभिलेख, स्थापना अभिलेख, उपकरण विनिर्देश और स्थल सत्यापन पर आधारित हैं।
4. स्थापित मशीनरी/उपकरण नया है और इसे किसी मौजूदा इकाई से स्थानांतरित नहीं किया गया है, जब तक कि नीति के तहत विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
5. स्थापित मशीनरी डीपीआर और बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तावित मशीनरी के अनुरूप है।
6. इकाई द्वारा प्रदर्शित क्षमता उपलब्ध संचालन अभिलेखों, उत्पादन आंकड़ों, परीक्षण-चालन अभिलेखों, स्थापित उपकरण विनिर्देशों और भौतिक सत्यापन पर आधारित है।
7. विस्तार/आधुनिकीकरण/उन्नयन/रूपांतरण परियोजनाओं के लिए, केवल अनुमोदित परियोजना से संबंधित नई जोड़ी गई मशीनरी और अतिरिक्त निवेश को ही प्रमाणित किया गया है, और प्रोत्साहन उद्देश्यों के लिए मौजूदा मशीनरी को दोबारा नहीं गिना गया है।
8. ऊपर प्रमाणित मशीनरी, नीति और संचालन दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य सीमा तक पात्र निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई) का हिस्सा है।

5. चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणन

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ/हैं कि ऊपर वर्णित संयंत्र और मशीनरी का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और सत्यापन के अनुसार, इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आगे प्रमाणित किया गया कि :

- ऊपर प्रमाणित सभी संयंत्र और मशीनरी अनुमोदित परियोजना स्थल पर स्थापित कर दी गई हैं।
- इस प्रमाण पत्र में दर्शाए गए के अनुसार मशीनरी चालू हालत में है/परिचालित होने के लिए तैयार है।
- मशीनरी का सत्यापन डीपीआर, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया गया है।
- प्रमाणित मात्राएँ और लागत वास्तविक स्थापन पर आधारित हैं और सहायक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया।



चार्टर्ड इंजीनियर के हस्ताक्षर और मुहर

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम :

सदस्यता/रजिस्ट्रीकरण संख्या :

पता :

संपर्क सं० :

हस्ताक्षर :

तारीख :

स्थान :

आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सत्य है और ऊपर प्रमाणित संयंत्र एवं मशीनरी बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना से संबंधित है।

आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पद का नाम :

हस्ताक्षर एवं मुहर :

अनुलग्नक XVI – शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स पुत्र/पत्नी/पुत्री निवासी/ रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जिनका आधार/सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा पैन सं० है, की शुद्ध संपत्ति को नीचे दिए अभिकलन के अनुसार लाख मात्र है।

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 और इसके संचालन दिशानिर्देशों के तहत आवेदक की वित्तीय क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से शुद्ध संपत्ति की गणना की गई है।

..... को शुद्ध संपत्ति की गणना

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख)
1	सूची क से सूची च के अनुसार कुल पात्र आस्तियाँ	
2	घटाएँ : सूची छ के अनुसार कुल देनदारियाँ	

18 8 ✓ 2 2

✓

3	शुद्ध संपत्ति (I-II)	
4	घटाएँ : जारी व्यक्तिगत गारंटी/कंपनी गारंटी, यदि कोई हो	
5	समायोजित मूल शुद्ध संपत्ति [III-IV]	

सूची क- भूमि संपत्तियाँ/अचल आस्तियाँ

क्र. सं.	संपत्ति की प्रकृति	स्थल/पता	क्षेत्र	सर्कल दर के अनुसार मूल्य/रजिस्ट्रीकृत मूल्य (' लाख)	यदि कोई हो (' लाख)	सहायक दस्तावेज
1						
2						

सूची ख - शेयरों/प्रतिभूतियों/व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

क्र. सं.	कंपनी/फर्म का नाम	निवेश का प्रकार	शेयरों/इकाइयों की संख्या	यदि होल्डिंग 10% से अधिक है	माना गया मूल्य (लाख)	सहायक दस्तावेज
1						
2						

नोट : सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से छह महीने पहले के औसत बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा। गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य सीए द्वारा प्रमाणित अंकित मूल्य/बही मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा, जो सत्यापन के अधीन होगा।

सूची ग : बैंक जमा, बचत और वित्तीय निवेश

क्र. सं.	जमा/निवेश की प्रकृति	बैंक/संस्था	खाता/फोलियो सं०	वर्तमान मूल्य (' लाख)	सहायक दस्तावेज
1	बचत/चालू खाता शेष				
2	सावधि जमा				
3	म्यूचुअल फंड/बॉन्ड/प्रतिभूतियाँ				

सूची घ - बीमा, पीपीएफ, एनपीएस और अन्य दीर्घकालिक बचत

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र. सं.	आस्ति की प्रकृति	संस्था/पॉलिसी सं०	वर्तमान समर्पण/प्राप्य मूल्य ('लाख)	सहायक दस्तावेज
1	जीवन बीमा समर्पण मूल्य			
2	पीपीएफ/एनपीएस/अन्य बचत			

सूची ड-व्यक्तिगत आस्तियों जिन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	आस्ति प्रकार	ब्यौरा	घोषित मूल्य ('लाख)	इलाज
1	आभूषण/सोना/पुरातन वस्तुएँ			शुद्ध संपत्ति के लिए विचार नहीं किया गया
2	निजी वाहन			शुद्ध संपत्ति के लिए विचार नहीं किया गया

सूची च- अन्य पात्र आस्तियाँ, यदि कोई हो

क्र. सं.	आस्ति की प्रकृति	ब्यौरा	विचार किया गया मूल्य ('लाख)	सहायक दस्तावेज
1				
2				

सूची छ- देनदारियाँ

क्र. सं.	ऋणदाता/बैंक/संस्था	दायित्व की प्रकृति	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक बकाया राशि (लाख में)	सुरक्षा/गारंटी
1		सावधि ऋण/आवास ऋण/वाहन ऋण/व्यवसाय ऋण			
2		असुरक्षित ऋण/संबंधित पक्ष ऋण			

जारी गारंटी

क्र. सं.	को जारी गारंटी	के पक्ष में जारी गारंटी	ऋण का उद्देश्य	गारंटीकृत राशि ('लाख)	गारंटी तिथि
1					
2					

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणन

✓ 8 ✓ ✓ ✓

✓

मैं/हम प्रमाणित करते/करता हूँ कि शुद्ध संपत्ति की उपरोक्त गणना हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा-बहियों, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, बैंक विवरणों, स्वामित्व दस्तावेजों, मूल्यांकन अभिलेखों, निवेश विवरणों, ऋण विवरणों और अन्य सहायक अभिलेखों के सत्यापन पर आधारित है।

आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. कृषि भूमि, आभूषण, निजी वाहन, प्राचीन वस्तुएं और व्यक्तिगत उपयोग की चल आस्तियों को समायोजित मूल्य शुद्ध संपत्ति की गणना में शामिल नहीं किया गया है, जब तक कि दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
2. समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों या व्यक्तियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का भुगतान नहीं किया गया है। इन्हें पात्र संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि वसूली योग्यता के साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो और विभाग/पीएमसी द्वारा स्वीकार न किया जाए।
3. ऊपर दर्शाई गई आस्तियाँ किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं, सिवाय उन देनदारियों के जिनका इस प्रमाणपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
4. बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक/प्रवर्तक की वित्तीय क्षमता का आकलन करने के लिए शुद्ध संपत्ति की गणना की गई है।
5. रियायती/सांकेतिक पट्टादर पर भूमि आवंटन के उद्देश्य से, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, प्रमोटर के योगदान और वित्त के साधनों के संदर्भ में शुद्ध संपत्ति का आकलन किया जाएगा, न कि सांकेतिक भूमि मूल्य के संदर्भ में।

.....एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रीकरण सं० :

सदस्यता सं :

हस्ताक्षर :

सीए का नाम :

मुहर

जगह :

तारीख :

FAVIVEK 2026\Anil Sir\Anubad- Sugarcane.docx

✓ 8 6 ✓

47

ANNEXURE : 2

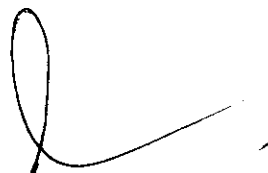
GOVERNMENT OF BIHAR SUGARCANE INDUSTRIES DEPARTMENT

Operational Guidelines

(Part-1)

for implementation of the

Bihar Sugarcane Industry Investment Promotion Policy-2026
(Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026)



Contents

1. Introduction and Background	3
2. Vision, Objectives and Salient Features of BSIPP 2026	4
3. Coverage, Eligible Categories and Capacity Thresholds	5
4. End-to-End Application Workflow	6
5. Single Window Clearance (SWC) and Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP)	9
6. Allocation of Land	11
7. Scheme of Incentives	17
8. Institutional Architecture and Stakeholders	41
9. Investor Eligibility and Responsibilities	46
10. Timelines, Monitoring and Grievance Redressal	47
11. General Terms, Penalties and Recovery	48
12. Abbreviations	49
13. Definitions	50
14. Annexures	52

1. Introduction and Background

Bihar is one of India's leading agricultural States, and sugarcane holds a special place in its rural economy. About 3 lakh hectares are under sugarcane, out of a net cultivable area of roughly 53.95 lakh hectares. Sugarcane-based industry such as sugar mills, distilleries and ethanol units, sugar-mill-linked co-generation power plants and Compressed Biogas (CBG) plants, offers large opportunities for processing, value addition, clean energy and rural employment.

1.1 How the sector has grown

Two earlier incentive packages shaped the sector: the Ganna Protsahan Package, 2006 and its revised version, the Protsahan Package-2014. Under these packages, the State's installed crushing capacity rose from about 33,500 TCD (Tonnes of Cane crushed per Day) in 2005 to about 65,450 TCD. Distillery capacity grew from about 75 KLPD to 530 KLPD, and the State now has about 88.5 MW of sugar-mill-linked co-generation feeding surplus power to the grid. Despite this progress, several sugar mills remain closed, and the sector needs fresh capital, modern technology and continued policy support to reach its full potential.

1.2 The 2026 Policy

In line with *Saat Nishchay-3* and the theme '*Samridh Udyog - Sashakt Bihar*' (Prosperous Industry - Empowered Bihar), the State Government has resolved to revive all closed sugar mills in a phased manner and to set up new mills across Bihar. A High-Level Committee chaired by the Chief Secretary steers this revival and expansion agenda. To give effect to this vision, the Government has notified the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 ("the Policy") vide Sankalp dated 25 June 2026. The Policy offers capital subsidy, fiscal incentives and facilitation support to private, public and cooperative investors for new sugar mills, capacity expansion of operating mills, distillery / ethanol units, co-generation power units and CBG plants.

The Government has set a target of establishing 25 new Sugar Mills / Integrated Sugar Complexes under the Bihar Sugarcane Industry Promotion Policy (BSIPP-2026) — each combining a sugar mill with distillery, co-generation and / or CBG capacity, at an average of 3,500 TCD — adding about 87,500 TCD of crushing capacity over the policy period. The Policy is effective for five years from the date of notification, up to 31 March 2031.

1.3 Purpose of this Operational Guidelines

This Operational Guidelines has been framed to give effect to the Bihar Sugarcane Industry Promotion Policy, 2026, and to facilitate its implementation in a systematic and time-bound manner. Accordingly, it delineates:

- i. the institutional framework and committees constituted for implementation of the Policy;
- ii. the roles and responsibilities of the concerned Departments, agencies, and other stakeholders;
- iii. The digital platforms to be used by investors for submission of applications and related processes;
- iv. the step-by-step procedure for application, scrutiny, and approval;
- v. the documents required to be submitted at each stage of the process;
- vi. the modalities for instalment-wise release of subsidy; and
- vii. The mechanisms for monitoring, reviewing, and redressal of grievances.

For effective implementation and periodic oversight of these Operational Guidelines, a Project Monitoring Committee shall function as the competent institutional mechanism. The Committee shall review these Operational Guidelines from time to time to ensure alignment with the Policy, Government instructions, operational requirements, and investor facilitation needs, and may recommend such amendments, modifications, or clarifications as may be considered necessary.

The Committee may also undertake a mid-term assessment/evaluation of the Policy to examine, inter alia, the following:

- i. progress of implementation;
- ii. investor response;
- iii. achievement of intended objectives;
- iv. operational challenges encountered; and
- v. need for corrective measures or policy-level refinements.

Note: This Operational Guidelines is an implementation document. It does not override, amend or dilute the Policy. Wherever there is any conflict, the notified Sankalp dated 25 June 2026 prevails, and the decision of the competent authority under the Policy is final.

2. Vision, Objectives and Salient Features of BSIPP 2026

2.1 Vision

"To promote and develop the sugarcane sector in Bihar by creating a conducive environment for increasing the level of processing, value addition, promotion, and other allied support, so that farmers can be given higher returns and more employment opportunities can be created."

2.2 Objectives

The Policy pursues the following objectives:

- To facilitate and promote investment in Bihar's sugarcane sector through financial assistance and a conducive environment.
- To progressively increase the level of processing, reduce wastage, drive value addition and promote exports, leading to the overall development of the sugarcane sector.
- To extend financial assistance for the establishment of new integrated sugar establishments — sugar mills, distilleries / ethanol units, co-generation power plants and Compressed Biogas plants and the technological upgradation and capacity expansion of mills already in operation in the State.
- To increase farmers' income through better returns from improved processing of produce.
- To generate new employment opportunities through the promotion of sugarcane-based industries across the State.
- To revive and operationalise all closed sugar mills and establish new sugar mills in the State.

2.3 Salient Features

- Provides capital subsidy, fiscal incentives and financial assistance to eligible individual investors / entrepreneurs and registered entities for setting up, modernising, diversifying or expanding sugar mills, distilleries / ethanol units, co-generation power plants and Compressed Biogas (CBG) plants in Bihar.
- Investors / entrepreneurs may set up their units as a Proprietorship, Partnership firm, Limited Liability Partnership (LLP), Company, or Cooperative Society.
- This policy will be effective from the date it is notified i.e. 25 June 2026 and will remain valid for 5 years i.e. up to 24 June 2031. This incentive package will apply to cases approved by SIPB up to 31 March 2029.
- Companies that have already received benefits under the Ganna Protsahan Package, 2014 will continue to receive subsidy / reimbursement for the remaining eligible years under that package. However, the incentive amount provided under this new policy will be applicable only from the effective date of this policy.
- Capital subsidy support under this Policy shall be entirely credit linked. Project proposals shall be required to be appraised by a Bank / Financial Institution registered with the Reserve Bank

- of India (RBI) / Securities and Exchange Board of India (SEBI), and the term loan sanctioned by such Bank / FI shall not be less than 20% of the project cost.
- Projects holding SIPB Stage-I approval through the Single Window Clearance (SWC) Portal of the Industries Department / SIPB, which remains the primary and authoritative system for Stage-I approval and statutory NOCs, alone shall be eligible for evaluation of capital subsidy / financial assistance under this Policy.
 - The aggregate of Interest Financial Assistance and Capital Subsidy admissible under this Policy is capped at 33% (thirty-three per cent) of the approved project cost, as per the Bank Appraisal Report.
 - The Sugarcane Industries Department (Ganna Udyog Vibhag), Government of Bihar, is the nodal agency for implementation and monitoring of the Policy in the State, operating in close institutional coordination with the Industries Department / SIPB and its Single Window Clearance (SWC) Portal.
 - The Sugarcane Industries Department shall develop and operate its own Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP), a departmental investor-support portal, run through the Investor Facilitation Desk, for registration, preliminary assessment of the investor's profile and project proposal, and tracking of the Department's own capital subsidy application. The SIPP shall, going forward, be integrated with the Industries Department's SWC Portal through integration, so that SIPB Stage-I status and related data flow seamlessly between the two systems.
 - A dedicated Investor Facilitation Desk shall function within the Sugarcane Industries Department to assist investors at every stage of their application i.e. from preliminary assessment on the SIPP, through SIPB Stage-I clearance on the SWC Portal, financial closure, and the Department's own capital subsidy approval process.
 - A Project Monitoring Committee (PMC), chaired by the *Ikhayukta* (Cane Commissioner), Sugarcane Industries Department, shall take all decisions regarding approval and disbursement of capital subsidy; matters of interpretation or dispute shall be decided by the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugar Industries Department, Government of Bihar whose decision shall be final.
 - The eligibility, quantum of assistance, release mechanism and other conditions shall be governed by the provisions of the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026, this Operational Guidelines and such instructions as may be issued by the Sugarcane Industries Department, Government of Bihar from time-to-time basis.

3. Coverage, Eligible Categories and Capacity Thresholds

The Policy applies across the state of Bihar and covers four categories of sugarcane-linked industrial activity.

Sl.	Category	Eligible activities
1	Sugar Mills	• New Sugar Mill / Revival of Closed Sugar Mills – Minimum capacity: 3,500 TCD • Expansion of Existing Operational Sugar Mills – Minimum incremental Capacity: 1000 TCD • Modernization/ upgradation of existing sugar mills / Conversion to special grade sugar production conforming to the standards of the International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA)
2	Distillery / Ethanol Units	• Establishment of New Ethanol Units (min. 45 KLPD) / Expansion of Existing Ethanol Units (min. 15 KLPD Additional Capacity) with sugar mill • Modernization, Upgradation, or Conversion of Existing Units for Ethanol Production • Units may be single-feed or multi-feed producing only 100% fuel-grade ethanol, with priority to molasses as feedstock

Sl.	Category	Eligible activities
3	Co-Generation Power Units	- New Co-generation Power Unit with Sugar Mill – Minimum Capacity: 10 MW - Expansion of Existing Co-generation Power Unit – Minimum Capacity Addition: 5 MW
4	Compressed Biogas (CBG) Plants	New CBG plants have been installed with sugar mill – Minimum: 5 TPD (5,000 kg/day)

Table 3.1 | Categories of units covered under the Policy

4. End-to-End Application Workflow

The end-to-end application workflow is structured as a five-stage investor journey. It is designed to ensure that investors receive early guidance, statutory approvals are routed through the SWC Portal, financial closure is completed before subsidy appraisal, and all subsidy decisions are based on verified documents, technical inspection, PMC evaluation and SIPB approval. The workflow integrates SIPP, SWC Portal, the Facilitation Desk, PMU, Technical Committee, PMC, Banks / FIs and partner departments.

4.1 Stage 1 — Investor registration and preliminary assessment on SIPP

- The investor may register on SIPP and submit basic information, entity details, promoter details, project category, proposed capacity, indicative investment, land status and proposed location for preliminary facilitation. The indicative list of documents is attached in Annexure I.
- Where the investor avails of this facility, the Facilitation Desk may conduct a preliminary completeness and eligibility check and guide the investor on applicable project category, capacity threshold, incentive provisions, documents, approvals and next steps.
- This is an optional facilitation stage and shall not be compulsory for applying on the SWC Portal or for claiming subsidy. It shall not be treated as approval of the project, eligibility confirmation or assurance of subsidy.

4.2 Stage 2 — SIPB Stage-I approval and statutory clearances through SWC Portal

- After preliminary assessment on SIPP, the investor shall apply on the SWC Portal for SIPB Stage-I clearance.
- An investor shall have to upload requisite documents along with the filled in application form. The indicative list of documents is attached in Annexure II.
- SIPB shall provide login credentials, wherever applicable, for accessing the relevant application for feasibility and issuance of necessary approvals to the investors. The PMU shall verify the documents required for SIPB Stage-I approval, which shall be counter-checked by the PMC Member Secretary or any officer / member nominated by the PMC. The PMU and the counter-checking authority shall follow the same due diligence standards as followed by SIPB while examining documents for Stage-I approval.
- The deficiencies, if any, shall be communicated to the applicant, and the applicant shall rectify the same within the prescribed timelines. The applicant (if required) may be called for any clarification in relation to query or any of its component.
- Where the deficiencies are not removed, or the applicant fails to submit the requisite additional information within the prescribed timelines, the application may be rejected/closed.
- The stage – I clearance shall be issued as follows:
 - Investment proposals up to Rs. 5 crores- Such proposals shall be placed before the PMC, which would be prescribed by the Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary of Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.
 - Investment proposals above Rs. 5 crores- Such proposals shall be placed before the State Investment Promotion Board (SIPB), for consideration and final approval.
- Based on the decision taken on the application, a communication shall be sent to the applicant and where approved, a Stage – I clearance letter will be issued to applicant.

- SIPB Stage-I approval shall be mandatory for consideration of subsidy / financial assistance under this Policy. After approval, the investor shall update the SWC reference number, approval date and clearance status on SIPP.

4.3 Stage 3 — Financial Clearance document readiness

- The investor shall prepare a technically sound DPR, obtain Bank / FI appraisal and secure term-loan sanction as required under the Policy.
- The investor shall complete financial clearance documents, including promoter contribution, sanctioned term loan, means of finance, Bank / FI records and other project funding documents. The indicative list of documents is attached in Annexure III.
- The Facilitation Desk shall coordinate with the investor for completion of Stage 3 documentation and shall update the financial-clearance document status on SIPP.
- Statutory NOCs and utility clearances shall be pursued in parallel through the SWC Portal or the concerned authority so that the subsidy application is not delayed at the evaluation stage.

4.4 Stage 4 — Financial Incentive Clearance

- Financial Incentive Clearance refers to the clearance accorded to an investor for availing of financial incentives upon obtaining "Stage – I Clearance". The quantum of incentives to be granted shall be decided at this stage as per the Policy.
- The investor shall obtain Financial Incentive Clearance within six months from the later of: (i) the date of SIPB Stage-I clearance; or (ii) where Departmental land is sought for the project, the date of approval of the land allotment by the competent authority, and in any event before the end date of the Policy. Where no Departmental land is sought, the six-month period shall run from the date of SIPB Stage-I clearance. The investor shall apply afresh through the SIPB Portal in the prescribed format, quote the SWC reference number and upload all required documents.

Processing shall follow the steps below:

Step	Action	Responsibility / timeline
1	Application is submitted on the SIPB Portal with SIPB Stage-I approval, and documents as prescribed in Annexure III	Investor through SIPB Portal.
2	Completeness check is carried out and deficiencies, if any, are communicated to the investor.	PMU / Department; within 15 days of receipt.
3	Investor submits rectified / missing documents; the application is treated as complete only upon receipt of all required documents.	Investor; preferably within 1 month of communication.
4	PMU supports appraisal, subsidy calculation, eligibility note, score matrix inputs and agenda preparation.	PMU / Member Secretary.
5	Technical Committee conducts site inspection / verification and submits report on project status, capacity, compliance and commercial production, wherever applicable.	Technical Committee; within 15 days from receipt of the complete application / inspection request from the Department / PMC.
6	The complete proposal is placed before PMC for final evaluation and determination of admissible subsidy / financial assistance. The decision shall be made on the basis of the score matrix mentioned in Clause 7.13. The score matrix shall not replace mandatory eligibility conditions, including SIPB Stage-I approval, Bank Appraisal Report, final term-loan sanction, minimum net worth, land title / registered lease and statutory clearances. The PMC shall record reasons for every recommendation.	PMC; normally within 45 days of final complete submission.

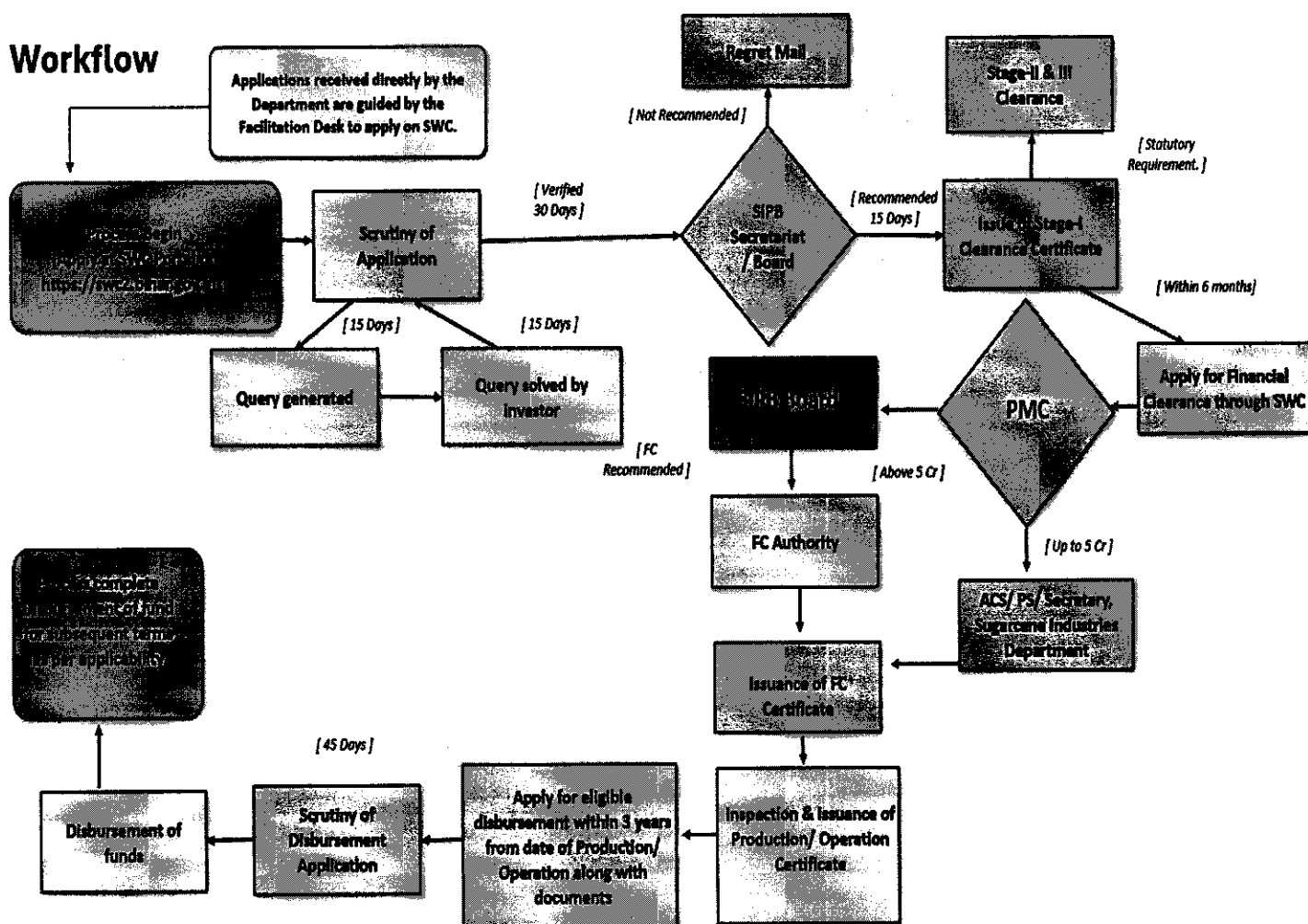
Step	Action	Responsibility / timeline								
7	Based on the evaluation done by PMC, the proposal shall be approved as follows: a. Financial Incentives clearance for approved project cost of Rs. 5 Crores or less shall be placed before Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar. b. Financial Incentives clearance for approved project cost of more than Rs. 5 Crores shall be placed before the "State Investment Promotion Board (SIPB)" for approval.	Department / SIPB								
8	The Project approved by SIPB shall be placed before the competent authority to accord final approval on incentives as follows: <table><tr><th>Eligible Incentives Size</th><th>Competent Authority</th></tr><tr><td>More than Rs. 5 cr. and up to a limit of Rs.15 crore</td><td>Minister, Sugarcane Industries Department</td></tr><tr><td>More than Rs. 15 cr. and up to a limit of Rs. 30 crores</td><td>Jointly by the Minister, Sugarcane Industries Department and Minister, Department of Finance</td></tr><tr><td>More than Rs. 30 Cr.</td><td>State Government (Cabinet)</td></tr></table>	Eligible Incentives Size	Competent Authority	More than Rs. 5 cr. and up to a limit of Rs.15 crore	Minister, Sugarcane Industries Department	More than Rs. 15 cr. and up to a limit of Rs. 30 crores	Jointly by the Minister, Sugarcane Industries Department and Minister, Department of Finance	More than Rs. 30 Cr.	State Government (Cabinet)	FC Authority
Eligible Incentives Size	Competent Authority									
More than Rs. 5 cr. and up to a limit of Rs.15 crore	Minister, Sugarcane Industries Department									
More than Rs. 15 cr. and up to a limit of Rs. 30 crores	Jointly by the Minister, Sugarcane Industries Department and Minister, Department of Finance									
More than Rs. 30 Cr.	State Government (Cabinet)									
9	An in- Principal Approval Letter / Eligibility Certificate is issued after approval, mentioning approved project cost, category, sanctioned assistance, conditions and release schedule.	Department; within 1 week of issue of proceedings of FC Authority.								

Table 4.1 | Subsidy application processing steps and timelines

4.5 Stage 5 — Eligibility Certificate, claims, milestone verification and subsidy release

- Upon issuance of the in-principal approval Letter / Eligibility Certificate, the investor shall submit instalment-wise documents as prescribed in Annexure IV.
- Capital subsidy shall be released in instalments linked to commencement of commercial production, capacity achievement and verified annual milestones, in accordance with the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 and the conditions of the In-principal Approval Letter / Eligibility Certificate.
- The Facilitation Desk shall track claim status, milestone updates and investor submissions on SIPP, while the PMU shall support claim evaluation, subsidy computation and preparation of claim notes for the Department / PMC.
- The Technical Committee shall verify physical progress, commercial production, capacity achievement, utilisation of earlier instalments and compliance with milestones prior to each eligible release.
- The PMC shall examine and recommend the eligible subsidy instalment / claim for release after due verification of document completeness, Technical Committee findings, PMU computation, applicable Policy ceilings and compliance with approval conditions. The final approval for release shall thereafter be accorded by the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, and subsequently placed for approval from the concerned Minister.
- Capital subsidy shall be released directly to the lending Bank / Financial Institution and shall be adjusted only against the principal component of the term loan, wherever applicable.

Workflow



Confirmation of such adjustment by the Bank / FI shall be kept in the official project file prior to processing for further instalments.

5. Single Window Clearance (SWC) and Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP)

The application process under this Policy shall be supported through linked digital systems. The Single Window Clearance (SWC) Portal of the Industries Department / SIPB shall be used for SIPB Stage-I approval, statutory NOCs and utility clearances. The SIPB Portal shall be used for submission and processing of Financial Clearance / Financial Incentive Clearance applications. The Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP) of the Sugarcane Industries Department shall be used for investor registration, preliminary assessment, financial-closure documentation support, milestone tracking, dashboard updates and instalment-wise claims. The application journey shall move from SIPP registration to SWC approval and clearances, thereafter to the SIPB Portal for Financial Clearance / Financial Incentive Clearance, and then to SIPP / Departmental systems for eligibility certificate issuance, claim tracking and subsidy release monitoring, as applicable.

Stage	Primary activity	Portal / support responsibility
Stage 1	Investor registration and preliminary project assessment	SIPP shall capture investor registration and basic project details.

Stage	Primary activity	Portal / support responsibility
		The Facilitation Desk will conduct preliminary assessment and guide the investor on eligibility, documents and next steps.
Stage 2	SIPB Stage-I approval and statutory / utility clearances	- SWC Portal shall process SIPB Stage-I approval and statutory / utility clearances. - SIPP shall record the SWC reference number, approval status and clearance status for departmental tracking. - SIPB shall provide login credentials, wherever applicable. PMU shall verify documents essential for SIPB Stage-I approval, which shall be counter-checked by the PMC Member Secretary or PMC-nominated officer / member using SIPB-level due diligence.
Stage 3	Financial closure and documentation completion	- Investor shall complete financial closure with the Bank / FI. - The Facilitation Desk shall coordinate with the investor, support completion of financial-closure documents and update the status on SIPP.
Stage 4	Financial Clearance / Financial Incentive Clearance application, evaluation, site verification, PMC evaluation and SIPB approval	- The SIPB Portal shall receive the Financial Clearance / Financial Incentive Clearance application along with supporting documents. - The Facilitation Desk / Department shall check completeness, the PMU shall support appraisal and calculation, the Technical Committee will verify the project, and PMC shall accord in-principal approval for the project.
Stage 5	Eligibility Certificate, instalment claims and subsidy release tracking	- The Department shall issue the In-Principal Approval Letter / Eligibility Certificate after SIPB approval. - SIPP shall track instalment claims, milestone updates, Technical Committee verification, PMC release decisions and Bank / FI subsidy adjustment status.

Table 5.1 | Stage wise Process and Timeline of application

5.1 Single Window Clearance (SWC) Portal — SIPB Primary System

In the application process flow, the SWC Portal shall be used at Stage 2 for obtaining SIPB Stage-I approval and statutory / utility clearances required for the project. The investor shall apply on the SWC Portal after completing preliminary registration and assessment on SIPP.

The Approval Wizard on the SWC Portal shall identify the applicable licences, NOCs and clearances based on the project category, investment size, land status, proposed capacity and utility requirements. The investor shall submit the SIPB Stage-I application and apply for relevant clearances through the same portal, wherever available.

Upon approval, the SWC Portal shall generate the SIPB Stage-I approval certificate / reference number and show the status of statutory / utility clearances. The investor shall update the SWC reference number, approval status and clearance details on SIPP for further processing of financial closure, subsidy application, PMC / Departmental evaluation and SIPB approval. SIPB Stage-I approval through the SWC Portal shall remain mandatory and shall be treated as the official approval record under this Policy.

5.2 Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP)

The Sugarcane Industries Department shall operate SIPP as the Department's investor-facing portal for the sugarcane sector. SIPP shall be used for Stage -I registration and preliminary assessment,

Stage 3 financial-closure and documentation support, Stage 4 subsidy application and evaluation tracking, and Stage 5 milestone, claim and subsidy-release tracking.

SIPP shall capture investor registration, project profile, land status, proposed capacity and indicative investment. It shall also display application status, deficiency status, financial-closure progress, Technical Committee verification status, PMC decision status, Approval Letter / Eligibility Certificate status, milestone progress and instalment-wise claim status.

SIPP shall be used only for investor support, status updates and tracking. It shall not process SIPB Stage-I approval, Financial Clearance / Financial Incentive Clearance applications, or statutory NOCs / utility clearances. All such applications and clearances shall be submitted and processed through the SWC / SIPB Portal, as applicable.

5.3 Deemed Approval and Timeline Compliance

- This provision shall apply only where a specific approval, licence, NOC or service is covered under the SWC Portal, the Bihar Right to Public Services Act, or any applicable Government-notified timeline.
- Where such approval or service is subject to a deemed-approval provision, the effect of non-disposal within the prescribed timeline shall be governed by the relevant law, rule, portal provision or Government instruction.
- The Facilitation Desk shall track the status of such approvals / services on SIPP based on information available from the SWC Portal, the investor or the concerned authority.
- Where the prescribed timeline is nearing expiry or has expired without decision, the Facilitation Desk shall follow up with the investor, and the concerned authority shall escalate the matter as per the escalation matrix.
- The Facilitation Desk will not declare any approval as deemed approved on its own. Any deemed approval, if applicable, shall be recognised only as per the relevant statutory / portal mechanism and by the competent authority.

6. Allocation of Land

This chapter applies where an investor requires land from the Sugarcane Industries Department. Prospective investors shall submit their land preference on SIPP simultaneously while applying for SIPB Stage-I approval, so that the applicable land terms may be incorporated in the Bank Appraisal Report.

6.1 Applicability and timing of land application

An investor may apply for land only if suitable land is not already available with them, or where the land already available is insufficient and additional land is required for implementing the approved project. Land recommendation / allotment shall remain subject to land availability, site suitability, applicable land policy and approval by the competent authority. The complete list of available Department land parcels shall be uploaded to SIPP, on a real-time basis, for investor information and application purposes.

6.2 Procedure for applying for land

- Land request pertains only for assessment and allotment / recommendation of land under the ownership / possession of Department; it does not constitute subsidy approval, financial closure or statutory clearance.
- **Step 1 – Apply:** The investor shall submit the land requirement request on the SIPP at the same time as applying for SIPB Stage-I approval on the Single Window Clearance Portal, along with project details, proposed land requirement and basic supporting documents. Only online applications with complete details as enumerated in this Operational Guidelines should be considered for the purpose of land allotment.
- **Step 2 – Check completeness:** The PMU shall assess the application to ensure that all required documents have been submitted in complete and proper form. In case of any

missing, incomplete or deficient document, the PMU through department shall notify the investor and seek rectification before further processing.

- **Step 3 – Check land:** The Department, either directly or through the concerned land authority, shall verify and confirm the availability of land, suitability of the site for the proposed project, permissibility of land use, access/connectivity to the site, and the applicable land allotment policy, conditions and procedures.
- **Step 4 – Appraise:** PMU prepares the appraisal note after examining the submitted documents in terms of the eligibility criteria and parameters laid down under the Policy / Operational Guidelines.
- **Step 5 – Clarification:** PMU, through the Department / PMC, may seek any additional documents, information or clarification from the applicant through SIPP / e-mail, if required, for proper examination of the application.
- **Step 6 – Decide:** The PMC shall examine the request and make its recommendation in accordance with the Departmental process / procedure as defined in Clauses 6.5 and 6.6. Where more than one applicant applies for a particular plot, the applications shall be examined in terms of the eligibility criteria and parameters laid down under these Operational Guidelines, and priority shall be determined accordingly. In case of a tie after such examination, allotment may be decided through transparent digital random selection process. The PMC shall evaluate the proposal and place its recommendation before the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar for final approval.
- **Step 7 – Security deposit:** The selected applicant shall deposit the applicable security deposit / advance lease amount, as specified in Clause 6.7, within the timeline and manner prescribed in the in-principal allotment communication. The deposit shall be treated in accordance with Clause 6.7, including its treatment as advance lease amount and security deposit, wherever applicable.
- **Step 8 – Issue letter:** Upon approval of the PMC proceedings and payment of security Deposit, the selected applicant shall receive an in-principal land allotment letter within 7 days. The final allotment shall be subject to financial clearance through SWC/ SIPB portal and fulfilment of the payment, lease, timeline and other conditions stated in the letter.
- **Step 9 – Deposition of Amount:** The annual lease amount calculated at 3% of the applicable Market Value Rate (MVR) shall be deposited by the allottee at the start of each year in the manner prescribed in Clause 6.7.2.
- Investor shall upload only essential documents required to verify identity, project eligibility, land requirement, financial readiness and compliance undertakings.
- The indicative list of documents is attached at Annexure VII.
- Additional documents may be sought only where necessary for legal, technical, financial or land-authority verification.

6.3 Criteria for allocation of land

Land shall be recommended / allotted only after verification of the following:

- Project eligibility and SIPB Stage-I application;
- Suitability of land for the proposed activity;
- Reasonable land requirement based on layout and capacity;
- Financial ability to pay land charges and implement the project;
- Credible 36-month implementation plan;
- Sector impact, farmer linkage and employment potential;
- Clean compliance record.

6.4 PMC approval process for land allocation

- PMC shall examine only complete land requests backed by SIPB Stage-I approval.

- The PMC shall examine the request and make its recommendation in accordance with the Departmental process / procedure. The Department / competent authority shall approve, defer or reject the request.
- **Decision flow:** evaluation → appraisal → approval / recommendation / deferment / rejection

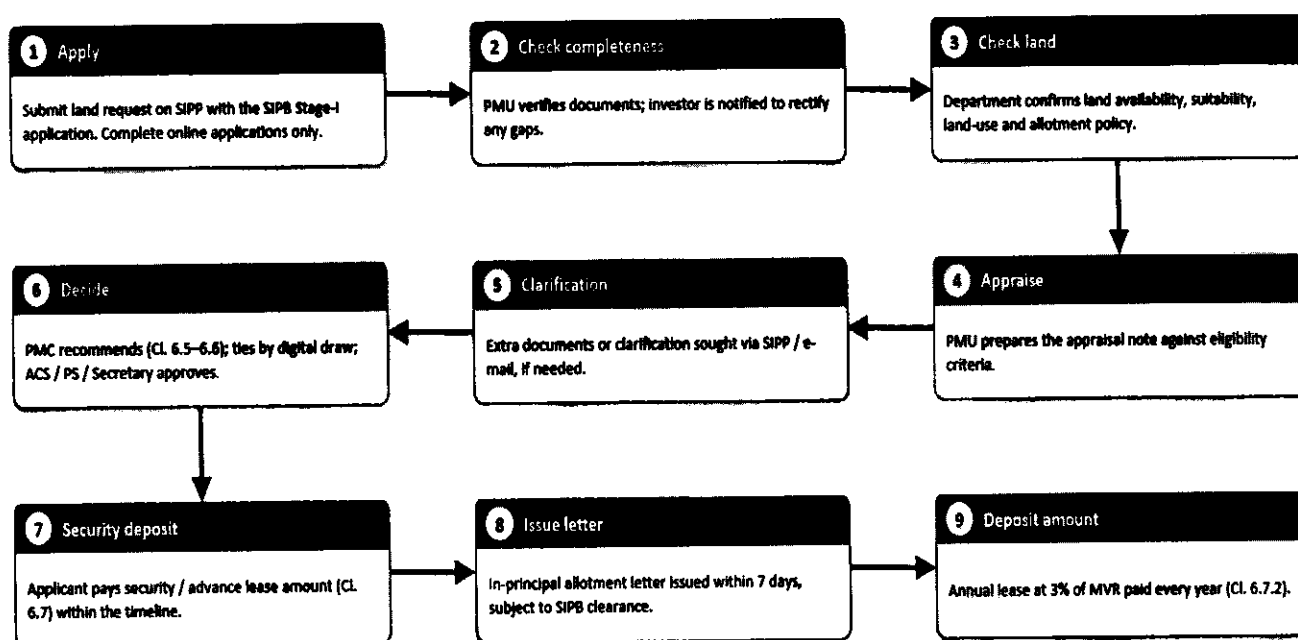
Workflow – Land Allocation

Investor land allotment process — Sugarcane Investment Promotion Portal (SIPP)

Application

Appraisal & Decision

Allotment & Payment



→ allotment by competent authority.

- Every decision shall record reasons and pending requirements, if any; land shall not be recommended solely on the basis of first application date.

6.5 Land allocation score matrix

The land allocation score matrix shall be applied to every land request to ensure uniform appraisal, transparent decision-making and objective comparison of investor readiness. Where more than one eligible investor seeks the same land parcel, the same matrix shall be used for comparative prioritisation. Total marks shall be 100, and at least 60 marks shall normally be required for recommendation, subject to mandatory eligibility, land availability, site suitability, lawful land use and approval by the competent land-owning / allotting authority.

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
1	Industry experience in sugar sector	• Certificate of incorporation / business registration • Audited financial statements / annual reports • Proof of operation of sugar mill / sugar complex such as Factory licence, cane	• 0 marks: No prior experience in sugar / sugar complex. • 8 marks: 3 years to less than 5 years of prior experience in sugar and sugar complex. • 15 marks: 5 years to less than 10 years of prior experience, including operation of a sugar mill and sugar complex.	20

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
		crushing permission / Sugar mill registration, distillery licence, Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) acknowledgement.	• 20 marks: 10 years or more of prior experience, including successful operation of a sugar mill and sugar complex.	
2	Net worth from business	• Net worth certificates from Chartered Accountant • Audited financial statements for last three financial years • Segment-wise certificate / statutory auditor certificate showing net worth attributable to sugar mill / sugar complex business, wherever applicable	• 0 marks: Positive net worth from business not established. • 8 marks: Net worth from business is at least 10% of proposed project cost. • 15 marks: Net worth from business is at least 20% of proposed project cost. • 20marks: Net worth from business is at least 30% of proposed project cost.	20
3	Type of proposed sugar complex	• DPR / project concept notes • Capacity details of sugar mill, ethanol, co-generation and / or CBG components • Bank Appraisal / financial plan	• 20 marks: Sugar mill only, meeting minimum Policy capacity. • 25 marks: Sugar mill with one allied component such as ethanol, co-generation or CBG. • 30 marks: Sugar mill with two allied component such as ethanol, co-generation or CBG. • 35 marks: Fully integrated sugar complex with sugar mill, ethanol, co-generation and CBG / equivalent value-addition components.	35
4	Investment size for New Sugar Mill with Integrated Sugar Complex	• DPR; • Bank Appraisal Report; • Component-wise approved project cost / FCI statement; • Capacity statement for sugar mill, distillery / ethanol, co-generation and / or CBG; • Means of finance	• 0 marks: Approved project cost / FCI is not provided in DPR or Bank Appraisal Report, or the proposal does not meet minimum policy capacity of 3,500 TCD for new sugar mill • 5 marks: Approved project cost / FCI supports only the minimum policy-compliant new sugar mill of 3,500 TCD, without any integrated component. • 10 marks: Approved project cost / FCI supports a new sugar mill of 3,500 TCD with at least one policy-eligible integrated component, i.e. ethanol/distillery of minimum 45	20

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
			KLPD, co-generation of minimum 10 MW, or CBG of minimum 5 TPD. 15 marks: Approved project cost / FCI supports a new sugar mill of 3,500 TCD or above with at least two policy-eligible integrated components, and total investment is higher than the minimum standalone sugar mill investment as certified in Bank Appraisal Report. 20 marks: Approved project cost / FCI supports a new sugar mill of 5,000 TCD or above with at least two or more policy-eligible integrated components, and the proposal demonstrates substantially higher investment than the minimum policy-compliant project, as certified in Bank Appraisal Report.	
5	Bihar-origin lead promoter	- Constitutional documents, promoter records, partnership deed / LLP agreement, company records, cooperative records, or a duly authorised resolution identifying the lead promoter. - Valid Bihar residence certificate issued by the competent authority in the name of the lead promoter.	0 marks: The lead promoter does not belong to Bihar, or the prescribed documentary evidence is not furnished. 5 marks: The sole proprietor is Bihar-origin; or the Bihar-origin lead promoter holds 51% or more ownership / profit share and voting rights, or otherwise exercises legally documented management control over the applicant entity; for a cooperative, the Bihar-origin lead promoter is the elected chairperson / chief promoter	5
Total Marks				100
6	Presentation before PMC (non-scoring)	- Proposal, application particulars and supporting documents already submitted by the applicant. - Clarifications or explanations furnished in response to queries raised by the PMC.	The applicant shall present the proposal and justify the particulars, claims, commitments and documents submitted with the application. The presentation shall be used only to enable the PMC to seek clarification and assess consistency with the submitted proposal; no new claim or material change shall be considered unless separately submitted and verified in accordance with these Operational Guidelines.	0
Total Marks				100

Table 6.1 | Score matrix for PMC appraisal and recommendation of land allotment

Scoring Interpretation	
75+ marks	High priority proposal
60–74 marks	Acceptable, subject to verification / conditions
50–59 marks	Requires strengthening or deferment
Below 50 marks	Not suitable at this stage

6.6 Land Allocation Safeguards

- **Mandatory eligibility:** Score matrix shall not override SIPB Stage-I approval, land availability, lawful land use, project eligibility, capacity threshold, financial capability, statutory compliance and competent authority approval.
- **No automatic allotment:** Highest score alone will not justify recommendation of land if mandatory conditions are not met.
- **Tie-breaker:** For equal / near-equal scores, PMC may consider policy impact, financial readiness, land-use efficiency, implementation feasibility, farmer linkage, compliance record and computerised randomization.
- **Conditional recommendation:** Pending documents, clearances, payment obligations, lease terms, milestones and compliance timelines shall be clearly recorded.
- **Final allotment:** Final land allocation shall be made only after the applicant submits the required financial-clearance documents within six months from the later of: (i) the date of SIPB Stage-I clearance; or (ii) the date of approval of the land allotment by the competent authority, and in any event within such further any other limit, if any, as may be prescribed by the Department. Final allotment shall remain subject to approval of the competent authority, issuance of the allotment letter, payment of applicable charges, execution of the lease deed, completion of possession formalities and continuing compliance with the allotment conditions.
- **Non-compliance:** Misrepresentation, non-payment, land misuse, delay or breach may lead to cancellation, recovery, forfeiture or other legal action.

6.7 Deposit of Amount

6.7.1 Security Deposit / annual lease

Lease term / situation	Applicable provision	Security Deposit
Land within concessional limit	Up to 40 acres for a 5,000 TCD sugar mill and up to 25 acres for a 3,500 TCD sugar mill may be leased at token lease amount of Re. 1.00, subject to Policy conditions.	An amount equal to 3 years of annual lease amount calculated at 3% of applicable MVR shall be deposited before execution of lease deed as security, refundable after approved commercial production starts, subject to compliance.
Land beyond concessional limit	Additional land beyond 40 acres / 25 acres shall be charged 3% of applicable MVR per acre per annum.	The 3-year deposit relating to additional land shall be adjusted against lease amount payable for such additional land.
Payment after initial 3 years	The annual lease amount, wherever payable, shall continue to be calculated at 3% of applicable MVR per acre per annum.	Annual lease amount shall be deposited by the allottee in the manner approved by the department.

Table 6.2 | Security deposit / annual lease payment

Illustration	Land and MVR assumed	Deposit calculation	Treatment
Example 1: 5,000 TCD mill within limit	40 acres; MVR assumed at ₹10 lakh per acre.	Annual amount = 3% of ₹10 lakh × 40 acres = ₹12 lakh. Three-year deposit = ₹12 lakh × 3 = ₹36 lakh.	Treated as refundable security after approved commercial production starts, subject to compliance.
Example 2: 5,000 TCD mill with additional land	50 acres; 40 acres within limit and 10 acres additional; MVR assumed at ₹10 lakh per acre.	For additional 10 acres: annual amount = 3% of ₹10 lakh × 10 acres = ₹3 lakh. Three-year deposit = ₹3 lakh × 3 = ₹9 lakh.	Deposit for additional land shall be adjusted against lease amount payable for such additional land; deposit for land within concessional limit shall be treated as security.
Example 3: 3,500 TCD mill within limit	25 acres; MVR assumed at ₹10 lakh per acre.	Annual amount = 3% of ₹10 lakh × 25 acres = ₹7.50 lakh. Three-year deposit = ₹7.50 lakh × 3 = ₹22.50 lakh.	Treated as refundable security after approved commercial production starts, subject to compliance.

Table 6.3 | Security deposit / annual lease payment illustrations

6.7.2 Method of Payment

The Security deposit / annual lease amount so calculated shall be deposited by the allottee into the Bihar Government Treasury. Payment shall be made through Challan in favour of the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.

6.8 Post-Allotment Obligations

- **Payment and agreement:** Investor shall pay all applicable charges and execute lease / land agreements within prescribed timelines.
- **Possession and use:** Land shall be taken over only after due formalities and shall be used only for the approved sugarcane-based project.
- **Construction and approvals:** Building plan, environmental, factory, labour, fire, power and other statutory approvals shall be obtained before or during implementation.
- **Project timelines:** Civil work and commercial production shall commence within the prescribed milestones and implementation timelines.
- **Reporting:** Investor shall submit progress reports, milestone updates, photographs, expenditure records and compliance documents on SIPP / relevant portal.
- **No unauthorised transfer:** Land, lease rights, project scope or ownership structure shall not be transferred, mortgaged or altered without required approval.
- **Continuing compliance:** Investor shall maintain operations, pay dues, avoid land hoarding and comply with all allotment / lease conditions.
- **Consequence of breach:** Non-compliance may lead to penalty, cancellation, forfeiture, recovery, resumption of land or other legal action.
- **Violation:** Any violation of terms and conditions of this allotment shall invite cancellation of the land allotment and the lease deed.
- **Cancellation:** Where the allottee does not submit the required financial-clearance documents within specified timeframe, the in-principle land allotment approval shall stand cancelled or be liable to cancellation by the Department, subject to any extension expressly granted by the competent authority under these Operational Guidelines. The land may thereafter be allotted to another eligible prospective investor in accordance with the applicable procedure.

7. Scheme of Incentives

7.1 Guiding principles

- **Applicability:** These provisions apply to all eligible projects and mills under the Policy (as set out in Table 7.1). SIPB Stage-I clearance is mandatory. Only projects that have obtained SIPB Stage-I approval on the SWC Portal shall be eligible for evaluation of capital subsidy under this Policy. Such investors shall apply to Sugarcane Industries Department along with the required documents.
- **How the subsidy is paid:** The capital subsidy shall be credit-linked and released in instalments based on the commencement of commercial production and achievement of annual milestones. The subsidy amount shall be released directly to the Bank / Financial Institution that has provided the term loan to the investor. The Bank / Financial Institution shall credit the subsidy amount to the investor's term loan account and adjust it only against the principal amount of the loan.
The Bank / Financial Institution shall submit a confirmation to the Department that the subsidy has been adjusted against the principal component of the term loan. This confirmation shall be submitted within the time specified in the sanction / release order. It shall be kept in the project file, and the next instalment shall be considered only after such confirmation is received.
- **Basis of calculation:** Fixed Capital Investment (FCI) means investment in new plant and machinery and associated fixed assets required for production, as defined in the DPR. Support shall be calculated on FCI / approved project cost per the Bank Appraisal Report.
- **Completion timeline:** Project completion and operationalisation must be achieved within a maximum of 36 months from the date of project approval by SIPB.
- **Change of ownership:** In the event of a change in ownership or management of a unit, the unit shall intimate the Sugarcane Industries Department; a revised Letter / Eligibility Certificate may be issued in the name of the new owner for the balance incentives. The eligibility period shall not be extended under any circumstances.
- Any change in ownership, shareholding control, constitution, management or transfer of the approved project during the incentive period shall be intimated to the Sugarcane Industries Department within 30 days of the event, along with an NOC from new owners and management together with supporting documents. The Department shall scrutinise continuity of eligibility, liabilities, project assets and compliance history, place the matter before the competent authority / PMC where required, and issue a revised Eligibility Certificate for the balance incentive period only after approval. No extension of the original eligibility period shall be permitted.
- **False Declaration:** Where a false declaration is made to avail incentives, or incentives are availed by a unit that was not eligible, or there is a breach of the Policy's conditions, the incentive amount shall be recovered from the date of availing the incentive, together with interest compounded annually at 18% per annum. The state government shall recover the outstanding amounts including interest as arrears of land revenue if payment is not made within the prescribed time.
- **Interpretation and Dispute Resolution:** All matters of interpretation and disputes shall be decided by the Additional Chief / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar, whose decision shall be final.
- **Eligibility and Technical Certification of Plant & Machinery:** The eligibility and admissibility of Plant & Machinery proposed under any project seeking benefits under this Policy shall be determined on a project-specific basis with reference to the approved Detailed Project Report (DPR), Bank Appraisal Report, approved project capacity and technical configuration.
- The Plant & Machinery proposed to be included in the eligible Fixed Capital Investment shall be certified by a duly qualified expert or recognized technical institution, including Vasantdada Sugar Institute (VSI), National Sugar Institute (NSI), or any other institution, organization or agency approved by the State Government, as being technically necessary and directly related to the approved project.
- Such certification shall, inter alia, verify:

- (a) That the Plant & Machinery is required for the approved project and is consistent with the approved capacity and product configuration;
 - (b) That the Plant & Machinery forms an integral part of the manufacturing, processing, utility, energy generation, pollution control, automation, quality control or other production-related systems of the approved project;
 - (c) That the Plant & Machinery is new and has been procured, installed and commissioned for the approved project;
 - (d) That the proposed configuration and cost of the Plant & Machinery are technically reasonable having regard to the approved project scope; and
 - (e) That the Plant & Machinery is not of a nature expressly excluded under the Policy or these Operational Guidelines.
- The PMC may seek such technical certification, clarification or opinion at any stage of appraisal, verification, inspection, milestone evaluation or subsidy release where the admissibility, necessity, configuration, capacity or cost of any Plant & Machinery requires technical validation.
 - The decision of the competent authority regarding admissibility of Plant & Machinery, based on the technical certification and recommendations received, shall be final.

7.2 Assistance for Sugar Mills

Assistance under this Policy shall be admissible to eligible sugar mill projects under the following categories:

1. New Sugar Mills / Revival of Closed Sugar Mills; and
2. Existing / Operating Sugar Mills, including capacity expansion, modernisation, upgradation and conversion to Special-Grade sugar production.

7.2.1 New Sugar Mills / Revival of Closed Sugar Mills

A new sugar mill or revival of a closed sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy, provided that the proposed unit has a minimum crushing capacity of 3,500 TCD.

The following incentives shall be admissible:

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	• For establishment of a new sugar mill or revival of a closed sugar mill with a minimum capacity of 3,500 TCD, capital subsidy of ₹70.00 crore will be payable in 5 equal instalments over 5 years. The subsidy shall be payable after one month of commencement of commercial production, subject to verification of prescribed milestones and compliance with this Policy. • Where the installed capacity exceeds 3,500 TCD, additional capital subsidy of ₹2.00 crore shall be admissible for every additional 100 TCD capacity, subject to verification and approval by the competent authority.
2.	Net SGST Reimbursement	• 100% reimbursement of Net SGST paid on sugar produced by the eligible unit for a period of five years from the date of commencement of commercial production, subject to verification by the competent authority and compliance with applicable tax laws.
3.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	• 100% reimbursement of stamp duty and registration fee paid on purchase of land required for establishment of the sugar mill, subject to submission of registered documents, proof of payment and verification by the concerned authority.
4.	Special Concession on Allotment of Departmental / BSSC Land	• Where land belonging to the Sugarcane Industries Department, Government of Bihar or Bihar State Sugar Corporation is available and allotted for establishment of a new sugar mill, such land may be allotted on lease for 30 years.

Sl.	Heading	Quantum of incentives
		- For a new sugar mill of 5,000 TCD capacity, up to 40.00 acres may be allotted at a token lease amount of Re. 1.00 (Re One). - For a new sugar mill of 3,500 TCD capacity, up to 25.00 acres may be allotted at a token lease amount of Re. 1.00 (Re One). - Land required beyond the above limits shall be allotted at 3% of MVR per acre per annum. The concessional land shall be used only for running the sugar mill and for the purpose for which it has been allotted. Renewal of lease, if any, shall be subject to the prevailing MVR and the applicable Government decision at the time of renewal. - The annual lease amount calculated at 3% of the applicable MVR, wherever payable, shall be deposited by the allottee at the start of each year into the Bihar Government Treasury. Payment may be made through Challan in favour of the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.

Table 7.1 | Incentives for New / Revival of Sugar Mills

Note:

- The concessional land shall be used only for running the sugar mill and for the purpose for which it has been allotted.
- Upon expiry of the lease period, the lease may be renewed for the same or a lesser area at the 3% of the prevailing MVR, applicable at that time, subject to applicable Government decision.
- Where more than one eligible investor applies for the same parcel of land, allotment shall not be decided merely on the basis of the date of application. The competent authority / PMC shall evaluate the competing applications on the basis of the prescribed score matrix as in Clause 6.5, document verification, financial and technical capability and feasibility of timely project execution. In case of equal scores or exceptional circumstances, the competent authority / PMC shall take the final decision. The decision of the competent authority / PMC shall be final and binding.

7.2.2 Existing / Operating Sugar Mills

An existing or operating sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy for capacity expansion, modernisation, upgradation or conversion to Special-Grade sugar production, subject to fulfilment of the prescribed eligibility conditions.

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	- For capacity expansion of an operating sugar mill by at least 1,000 TCD, capital subsidy of ₹15.00 crore shall be admissible. - The subsidy shall be released one month after successful demonstration and verification of the expanded capacity, subject to compliance with the conditions prescribed under this Policy. - Where the capacity expansion exceeds 1,000 TCD, additional capital subsidy of ₹1.50 crore shall be admissible for every additional 100 TCD capacity, subject to verification and approval by the competent authority.
2.	Net SGST Reimbursement	100% reimbursement of Net SGST paid on the additional sugar produced due to capacity expansion shall be admissible for a period of five years from the date of commencement of commercial production from the expanded capacity.
3.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of stamp duty and registration fee paid on purchase of land required for capacity expansion shall be

Sl.	Heading	Quantum of incentives
		admissible, subject to submission of registered documents, proof of payment and verification by the concerned authority.

Table 7.2 | Incentives for Existing of Sugar Mills

7.2.3 Modernisation / Upgradation / Conversion to Special-Grade Sugar

Where an operating mill modernises / upgrades or converts to a refinery producing Special-Grade sugar to International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) standards, the unit shall be eligible for capital subsidy.

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Modernisation / Upgradation / Conversion to Special-Grade Sugar	- The admissible subsidy shall be 20% of the eligible Fixed Capital Investment, subject to a maximum ceiling of ₹5.00 crore, whichever is lower. - Such subsidy shall be granted only after verification of eligible investment, completion of the approved modernisation / upgradation / conversion work and compliance with the provisions of this Policy.

Table 7.3 | Incentives for Modernisation / Upgradation for existing Sugar Mills

Note: The detailed milestone-linked disbursement procedure, eligibility conditions, verification mechanism, documentation requirements and timelines for capital subsidy in respect for Modernisation / Upgradation / Conversion to Special-Grade Sugar shall be issued separately in the second phase of the Operational Guidelines. Until such detailed guidelines are issued, release of capital subsidy under the above categories shall remain subject to the Policy provisions, technical verification, PMC approval and any further conditions prescribed by the Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.

7.2.4 Capital subsidy disbursement — milestone-linked**7.2.5 Sugar Mills**

For Sugar Mills, capital subsidy shall be released stage-wise as per the approved subsidy amount, project milestone, Technical Committee verification and SIPB approval. The table below explains when each instalment is given, the timeline and the key documents required.

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
A. New / Revived Sugar Mills				
1st instalment	- Commencement of commercial production shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; - Minimum 3,500 TCD capacity shall be demonstrated for at least 10% of the crushing days during the relevant crushing season and verified by the Technical Committee. For example, if the crushing period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the crushing period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14.5 days; - Promoter contribution/equity and term loan utilisation shall be at least in the same percentage as the capital subsidy instalment	After one month of commercial production.	20% of approved capital subsidy.	Annexure IV

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, respectively, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible. • Installation of plant and machinery shall be certified by the Technical Committee.			
2nd instalment	• Continuation of commercial production during the relevant crushing season shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; • Minimum approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the crushing days during the relevant crushing season and verified by the Technical Committee. For example, if the crushing period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the crushing period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14.5 days and verified by the Technical Committee; • Full utilisation of promoter contribution / equity and term loan, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report, shall be verified before release of the subsidy instalment. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, respectively. • Adjustment of the previous subsidy instalment against the principal component of the term loan shall be confirmed by the lending Bank / Financial Institution.	Around 12 months after 1st instalment.	Next 20% of approved capital subsidy.	• Annexure IV
3rd instalment	• Utilisation / adjustment of the 2nd instalment against the principal component of the term loan shall be confirmed by the lending Bank / Financial Institution; • Continued operation of the mill during the relevant crushing season shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; • Minimum approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the crushing days during the relevant crushing season and verified by the Technical Committee. For example, if the crushing period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the crushing period is 145 days, the minimum	Around 12 months after 2nd instalment.	Next 20% of approved capital subsidy.	• Annexure IV

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14.5 days and verified by the Technical Committee; Ongoing compliance with Policy conditions shall be verified by the Technical Committee and placed before the PMC.			
4th instalment	- Utilisation / adjustment of the 3rd instalment against the principal component of the term loan shall be confirmed by the lending Bank / Financial Institution; - Continued commercial operation during the relevant crushing season shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; - Plant and machinery shall remain installed, operational and used only for the approved project, as certified by the Technical Committee; - Compliance with applicable Policy conditions and asset-use restrictions shall be verified by the Technical Committee.	Around 12 months after 3rd instalment.	Next 20% of approved capital subsidy.	Annexure IV
5th / final instalment	- Utilisation / adjustment of the 4th instalment against the principal component of the term loan shall be confirmed by the lending Bank / Financial Institution; - Final year commercial operation and continued production shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; - Final milestone achievement, capacity demonstration and continued installation of plant and machinery shall be verified by the Technical Committee; - Full compliance with Policy conditions, subsidy release conditions and previous instalment requirements shall be verified by the Technical Committee and placed before the PMC for final approval.	Around 12 months after 4th instalment.	Final 20% of approved capital subsidy.	Annexure IV
B. Existing / Operating Sugar Mills — Capacity Expansion				
Capacity expansion of existing / operating sugar mill	Minimum additional crushing capacity of 1,000 TCD shall be achieved over the certified pre-expansion capacity and demonstrated for at least 10% of the crushing days during the relevant crushing season, as verified by the Technical Committee. For example, if the crushing period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the crushing period is 145 days, the minimum	After commissioning, Technical Committee verification, capacity demonstration and commencement of	₹15.00 crore for minimum 1,000 TCD expansion, with additional subsidy of ₹1.50 crore for	Annexure IV

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14 days; - New plant and machinery installed for the approved expansion shall be commissioned and certified by the Technical Committee; - Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved expansion shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible; - Commencement of commercial production from the expanded capacity shall be certified by the Cane Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification.	commercial production from the expanded capacity.	every additional 100 TCD, subject to Policy ceiling, verification and approval.	

Table 7.4 | Sugar Mills — capital subsidy release milestones, timeline and documents

7.3 Distillery / ethanol units

Assistance under this Policy shall be admissible to eligible distillery / ethanol projects attached to sugar mills under the following categories:

1. Establishment of a new distillery / ethanol unit attached to a sugar mill, with a minimum capacity of 45 KLPD; and
2. Expansion / modernisation / upgradation / conversion of an existing distillery / ethanol unit attached to a sugar mill, with a minimum additional capacity of 15 KLPD.

7.3.1 New Distillery / Ethanol Units

A new distillery / ethanol unit attached to a sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy, provided that the proposed unit has a minimum capacity of 45 KLPD. Such unit may be a single-feed or multi-feed unit producing only 100% fuel-grade ethanol, with priority to molasses as feedstock. The following incentives shall be admissible:

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	For establishment of a new distillery / ethanol unit attached to a sugar mill with a minimum capacity of 45 KLPD, capital subsidy of 15% of the Fixed Capital Investment shall be admissible, subject to a maximum limit of ₹5.00 crore, whichever is lower.
2.	Interest Financial Assistance	Interest financial assistance shall be admissible on the project term loan for five years from the date of commencement of commercial production at 10% or the actual bank interest rate, whichever is lower, subject to a maximum eligible loan amount of 50% of the project cost and a cap of ₹20.00 crore.
3.	Net SGST Reimbursement	100% reimbursement of Net SGST paid on ethanol produced by the eligible unit shall be admissible for a period of five years from the date of commencement of commercial production.

Sl.	Heading	Quantum of incentives
4.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of registration fee and stamp duty paid on land purchased for the new distillery / ethanol unit shall be admissible.

Table 7.5 | New distillery / ethanol units — capital subsidy and fiscal incentives

7.3.2 Existing Distillery / Ethanol Units — Expansion / Modernisation / Upgradation / Conversion

An existing distillery / ethanol unit attached to a sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy for expansion, modernisation, upgradation or conversion for ethanol production, provided that the proposed additional capacity is not less than 15 KLPD. Such unit may be a single-feed or multi-feed unit producing only 100% fuel-grade ethanol, with priority to molasses as feedstock. The following incentives shall be admissible:

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	For expansion of an existing distillery / ethanol unit attached to a sugar mill by at least 15 KLPD, capital subsidy of 15% of the Fixed Capital Investment shall be admissible, subject to a maximum limit of ₹5.00 crore, whichever is lower.
2.	Interest Financial Assistance	Interest financial assistance shall be admissible on the project term loan for period of five years from the date of commencement of commercial production at 10% or the actual bank interest rate, whichever is lower, subject to a maximum eligible loan amount of 50% of the project cost and a cap of ₹20.00 crore.
3.	Net SGST Reimbursement	100% reimbursement of Net SGST paid on additional ethanol produced due to capacity expansion shall be admissible for a period of five years from the date of commencement of commercial production from the expanded capacity.
4.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of registration fee and stamp duty paid on land purchased for the expansion / modernisation / upgradation / conversion of the existing distillery / ethanol unit shall be admissible.

Table 7.6 | Existing distillery / ethanol units — expansion, modernisation, upgradation or conversion incentives

Note: Eligible ethanol units must supply 100% of their production to Oil Marketing Companies (OMCs) under the Government of India's Ethanol Blending Programme (EBP). An applicant cannot claim a duplicate benefit for the same component under any other policy (for example, the Bihar Biofuels Production Promotion Policy-2023).

7.3.3 Distillery / Ethanol Units

For Distillery / Ethanol Units, capital subsidy shall be released after commissioning, capacity verification and start of eligible ethanol production. The table below explains the release stage and documents required.

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
New distillery / ethanol unit	Minimum 45 KLPD distillery / ethanol unit attached to a sugar mill shall be installed and commissioned, and the minimum approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the relevant production days, as certified /	After commissioning, production start and	15% of eligible FCI, subject to maximum ₹5 crore.	Annexure V

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	verified by the Technical Committee. For example, if the production period is 30 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 30 days, i.e., 3 days; and if the production period is 45 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 45 days, i.e., 5 days and not 4 days; • Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved unit shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible; • Commercial production of 100% fuel-grade ethanol shall commence and be certified by the Excise Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification; • Production shall comply with the requirement of 100% fuel-grade ethanol and applicable feedstock / supply conditions under the Policy.	capacity verification.		
Existing ethanol unit — expansion / modernisation / conversion	• Minimum 15 KLPD additional capacity shall be achieved over the certified pre-expansion capacity, or the approved modernisation / upgradation / conversion work shall be completed as per the approved DPR / project scope, and the additional / approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the relevant production days, as verified by the Technical Committee. For example, if the production period is 30 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the production period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for	After completion, production start and capacity verification.	15% of eligible FCI, subject to maximum ₹5 crore.	• Annexure V

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14 days; - Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved expansion / modernisation / conversion shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible; - New plant, machinery and equipment installed for the approved expansion / modernisation / conversion shall be certified by the Technical Committee; - Commercial production from the expanded / modernised / converted ethanol unit shall be certified by the Excise Officer / authorised Departmental officer, based on production records and site verification.			

Table 7.7 | Distillery / Ethanol Units — capital subsidy release milestones, timeline and documents

7.4 Co-generation Power Units

7.4.1 New Co-generation Power Units

A new co-generation power unit attached to a sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy, provided that the proposed unit has a minimum capacity of 10 MW. The following incentives shall be admissible:

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	For establishment of a new co-generation power unit attached to a sugar mill with a minimum capacity of 10 MW, capital subsidy equal to 20% of the Fixed Capital Investment shall be admissible, subject to a maximum limit of ₹15.00 crore.
2.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of registration fee and stamp duty paid on land purchased for the new co-generation power unit shall be admissible.

Table 7.8 | New co-generation power units — capital subsidy and fiscal incentives

7.4.2 Existing Co-generation Power Units — Capacity Expansion

An existing co-generation power unit attached to a sugar mill shall be eligible for assistance under this Policy for capacity expansion, provided that the proposed additional capacity is not less than 5 MW. The following incentives shall be admissible:

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	For expansion of an existing co-generation power unit attached to a sugar mill by at least 5 MW, capital subsidy equal to 20% of the Fixed Capital Investment shall be admissible, subject to a maximum limit of ₹15.00 crore.
2.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of registration fee and stamp duty paid on land purchased for expansion of the existing co-generation power unit shall be admissible.

Table 7.9 | Existing co-generation power units — capital subsidy and fiscal incentives

Additional provisions for co-generation units:

- A Power Purchase Agreement (PPA) shall be executed with the Bihar Distribution Company (DISCOM) for surplus power produced; the cost of transmission line construction up to 10 km from the co-generation plant shall be borne by the concerned DISCOM.
- Surplus electricity shall be purchased by the DISCOM in accordance with the Tariff Policy-2016 issued by the Ministry of Power / Ministry of Energy, Government of India.
- New PPA, their renewal, extension and tariff determination shall be carried out by the Energy Department, Government of Bihar, in accordance with the directions and norms framed by the Energy Department, Patna.

7.4.3 Co-generation Power Units

For Co-generation Power Units, capital subsidy is released after installation, commissioning, capacity verification and power-related approvals / arrangements.

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
New co-generation power unit	- Minimum 10 MW co-generation power unit attached to a sugar mill shall be installed and commissioned, and the minimum approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the relevant operational days, as verified by the Technical Committee. For example, if the operational period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the operational period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14 days; - Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved co-generation power unit shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be	After commissioning, capacity verification and power approvals.	20% of eligible FCI, subject to maximum ₹15 crore.	Annexure V

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	at least equal to the subsidy claimed / admissible; - New plant, machinery and equipment installed for the approved co-generation power unit shall be certified by the Technical Committee; - Surplus power arrangement, including PPA / DISCOM linkage / power evacuation approval, as applicable, shall be verified by the authorised Departmental officer / concerned authority based on records and site verification.			
Existing co-generation unit — expansion	- Minimum 5 MW additional capacity shall be installed and commissioned over the certified pre-expansion capacity, and the additional approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the relevant operational days, as verified by the Technical Committee. For example, if the operational period is 130 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the operational period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14 days; - Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved co-generation power unit expansion shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible; - New plant, machinery and equipment installed for the approved co-generation power unit expansion shall be certified by the Technical Committee; - Surplus power arrangement, including PPA / DISCOM linkage / power evacuation approval, as applicable, shall be verified by the	After expansion commissioning and capacity verification.	20% of eligible FCI, subject to maximum ₹15 crore.	Annexure V

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	authorised Departmental officer / concerned authority based on records and site verification.			

Table 7.10 | Co-generation Power Units — capital subsidy release milestones, timeline and documents

7.5 Compressed Biogas (CBG) Plants

Assistance under this Policy shall be admissible to eligible new Compressed Biogas (CBG) plants attached to sugar mills, with a minimum capacity of 5 TPD or 5,000 kg per day.

Sl.	Heading	Quantum of incentives
1.	Capital Subsidy on Fixed Capital Investment	For establishment of a new CBG plant attached to a sugar mill with a minimum capacity of 5 TPD or 5,000 kg per day, capital subsidy of 15% of the Fixed Capital Investment shall be admissible, subject to a maximum limit of ₹5.00 crore, whichever is lower.
2.	Interest Financial Assistance	Interest financial assistance shall be admissible on the term loan for period of five years from the date of commencement of commercial production at 10% or the actual bank interest rate, whichever is lower. This benefit shall be available on a loan amount up to 30% of the project cost, subject to a maximum limit of ₹10.00 crore.
3.	Net SGST Reimbursement	100% reimbursement of Net SGST paid on CBG produced by the eligible plant shall be admissible for five years from the date of commencement of commercial production.
4.	Reimbursement of Stamp Duty and Registration Fee	100% reimbursement of registration fee and stamp duty paid on land purchased for the new CBG plant shall be admissible.

Table 7.11 | New Compressed Biogas (CBG) plants — capital subsidy and fiscal incentives

7.5.1 Compressed Biogas (CBG) Plants

For CBG Plants, capital subsidy shall be released after commissioning, capacity verification and commencement of commercial production / sale or offtake.

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
New CBG plant	Minimum 5 TPD / 5,000 kg per day CBG plant attached to a sugar mill shall be installed and commissioned, and the minimum approved capacity shall be demonstrated for at least 10% of the relevant production days, as verified by the Technical Committee. For example, if the production period is 30 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 130 days, i.e., 13 days; and if the production period is 145 days, the minimum capacity shall be demonstrated for 10% of 145 days, i.e., 15 days and not 14 days;	After commissioning, production start and capacity verification.	15% of eligible FCI, subject to maximum ₹5 crore.	Annexure V

Project / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	- Promoter contribution/equity and/or term loan utilisation for the approved CBG plant shall be at least in the same percentage as the capital subsidy claimed / admissible, as per the sanctioned means of finance in the Bank Appraisal Report. Such utilisation shall be certified by the Chartered Accountant and the lending Bank / Financial Institution, as applicable, and the total funds utilised shall be at least equal to the subsidy claimed / admissible; - New plant, machinery and equipment installed for the approved CBG plant shall be certified by the Technical Committee; - Commercial production from the CBG plant shall be certified by the authorised Departmental officer, based on production records and site verification.			

Table 7.12 | CBG Plants — capital subsidy release milestones, timeline and documents

7.6 Capping of total incentive

The total of Interest Financial Assistance and Capital Subsidy under this Policy shall be **capped at 33% of the approved project cost**, as per the Bank Appraisal Report / project cost approved by the lending Bank. Where the bank-approved project cost is lower than the cost claimed by the investor, the lower figure is used to calculate the incentive.

7.7 Dovetailing with Central and State Government Policies and Schemes

Central Government Schemes. Dovetailing of incentives with Central Government schemes shall be permitted under this Policy. However, an investor shall not be allowed to receive duplicate financial assistance for the same project cost, component, activity or objective. Where an investor has received, or is eligible to receive, any grant, subsidy, reimbursement or financial assistance under a Central Government scheme, the corresponding amount shall be adjusted while calculating the admissible benefit under this Policy. If such Central Government benefit includes a State Government share or is linked with a State Government scheme, the approved project cost for calculation of incentives under this Policy shall be reduced to that extent.

For example, if an investor receives 6% interest subsidy under a Central Government scheme and the applicable interest rate on the term loan is 10%, only the balance 4% interest assistance shall be admissible under this Policy, subject to the prescribed limits.

State Government Schemes. Dovetailing of incentives with other State Government policies and schemes shall be permitted under this Policy. However, the investor shall not claim subsidy, grant, reimbursement or financial assistance for the same component, purpose, activity or objective from more than one State Government scheme. Where any grant or incentive has been received, or is to be received, under any Bihar Government scheme, the approved project cost for calculating incentives under this Policy shall be reduced proportionately by the corresponding amount. The investor shall submit a declaration that they have not claimed, and shall not claim, subsidy / financial assistance / grant / reimbursement for the same component, objective or activity from any other

Ministry, Department, Government scheme or agency, except as permitted under this dovetailing provision.

7.8 SGST reimbursement claims

Claim / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
Annual SGST reimbursement claim	- Eligible unit has commenced commercial production. - Net SGST has been paid on eligible sugar / ethanol / CBG sales. - The SGST reimbursement shall be applicable only to the net tax payable, after adjustment of IGST and SGST credit available in the Electronic Ledger, from the date of implementation of this policy. - Tax amount paid by the eligible unit from Electronic Cash Ledger shall be certified by Commercial Taxes Department on the basis of the statements filed and the payment receipts. - The final decision on the claim shall be taken by the PMC. - If eligible goods are sold or transferred outside Bihar, the amount of SGST used for payment of IGST on such inter-State supply shall be recovered from the unit. Such recovery shall be adjusted from the next reimbursement instalment, if admissible. Where no further instalment is admissible, the promoter shall deposit the amount in the Government Treasury; failing which, it shall be recovered as arrears of land revenue.	Filed on quarterly basis by the end of the month immediately succeeding the quarter.	100% reimbursement of eligible Net SGST for five years, subject to Policy conditions and verification.	Annexure VI

Table 7.13 | SGST reimbursement — claim stage, timeline and documents

7.9 Interest financial assistance claims (distillery / CBG)

Claim / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
Distillery / Ethanol unit — interest assistance claim	- Interest Financial Assistance shall be admissible only in the term loan sanctioned and disbursed by the Bank / Financial Institution for eligible approved project components of the distillery / ethanol project. - The assistance shall be considered only for interest actually paid by the unit to the Bank / FI, supported by a bank certificate / statement.	Filed on quarterly basis by the end of the month immediately succeeding the quarter.	10% or actual bank interest rate, whichever is lower, on eligible term loan up to 50% of project cost, subject to maximum ₹20 crore.	Annexure VI

Claim / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	- The claim shall be restricted to the eligible period, prescribed loan limit, applicable rate of assistance, and the overall ceiling of 33% of the approved project cost, after adjusting any Central / State assistance availed for the same component. - The above particulars shall be verified and certified by the lending Bank / Financial Institution. - The PMC shall take the decision on the basis of the documents submitted, and its decision shall be final.			
CBG plant — interest assistance claim	- Interest Financial Assistance shall be admissible only on the term loan sanctioned and disbursed by the Bank / Financial Institution for eligible approved project components of the CBG project. - The assistance shall be considered only for interest actually paid by the unit to the Bank / FI, supported by a bank certificate / statement. - The claim shall be restricted to the eligible period, prescribed loan limit, applicable rate of assistance, and the overall ceiling of 33% of the approved project cost, after adjusting any Central / State assistance availed for the same component. - The above particulars shall be verified and certified by the lending Bank / Financial Institution. - The PMC shall decide on the basis of the documents submitted, and its decision shall be final.	Quarterly or annually, as prescribed by the Department, for up to five eligible years.	10% or actual bank interest rate, whichever is lower, on eligible term loan up to 30% of project cost, subject to maximum ₹10 crore.	• Annexure VI

Table 7.14 | Interest financial assistance — claim stage, timeline and documents

7.10 Stamp duty and registration reimbursement

Claim / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
Stamp duty and registration reimbursement claim	- Land has been purchased / registered for the eligible project. - Stamp duty and registration fee have been paid.	After land registration and payment of stamp duty / registration fee, within the claim	100% reimbursement of eligible stamp duty and registration fee paid on land	• Annexure VI

Claim / payment stage	Milestone / when incentive is given	Timeline	Incentive release	Key documents required
	Registration records are verified by the Registration Department / IGR.	timeline prescribed by the Department.	purchased for the eligible unit.	

Table 7.15 | Stamp duty and registration reimbursement — claim stage, timeline and documents

7.11 Screening of documents and release of subsidy

All documents submitted for release of subsidy shall be checked and scrutinised by the PMC. Payment shall be processed only after the PMC is satisfied that the claim is complete, eligible and supported by the required documents and verification reports. Release of subsidy shall be made upon approval of the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary and the Hon'ble Minister, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.

Capital subsidy shall be released directly to the lending Bank / Financial Institution and adjusted only against the principal component of the term loan. Other admissible incentives, including reimbursement of Net SGST, interest financial assistance, stamp duty and registration fee reimbursement, shall be released to the bank account of the eligible mill / unit, subject to verification, SIPB approval and compliance with the Policy and this Operational Guidelines.

7.12 Calculation of expansion for incentive claims

For expansion projects under the *Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026*, the admissible incentive shall be calculated only on the incremental capacity, incremental production or additional eligible Fixed Capital Investment created due to the approved expansion. The existing capacity, old plant and machinery, normal pre-expansion production and better utilisation of old capacity shall not be counted again. The calculation shall follow the formulas and Policy limits given below.

Expansion case	Formula / method of calculation	2026 Policy incentive limit	Required documents
Sugar mill capacity expansion	- Pre-expansion TCD = installed crushing capacity before taking up the approved expansion, based on existing plant and machinery, specifications and certified capacity records. - Post-expansion TCD = capacity achieved after installation, erection, commissioning and demonstration of newly added plant and machinery. - Incremental TCD = certified post-expansion TCD – certified pre-expansion TCD. - Admissible subsidy = ₹15.00 crore for first	- Minimum eligible expansion: 1,000 TCD. ₹15.00 crore for 1,000 TCD expansion. ₹1.50 crore for every additional 100 TCD beyond 1,000 TCD.	- Installed capacity before expansion certificate - List of existing plant and machinery with specifications - List of newly added plant and machinery with specifications - Invoices / cash memos and installation proof - CA certificate / audited report for newly added assets - Chartered Engineer / Technical Committee capacity verification report - Certificate from NSI or any other competent authority / recognised

Expansion case	Formula / method of calculation	2026 Policy incentive limit	Required documents
	eligible 1,000 TCD + ₹1.50 crore for each additional block of 100 TCD beyond 1,000 TCD, subject to certification and approval.		technical institution, as applicable
Illustration — sugar mill expansion	- If certified capacity increases from 3,500 TCD to 5,000 TCD, incremental capacity = 5,000 – 3,500 = 1,500 TCD. - Subsidy = ₹15.00 crore for first 1,000 TCD + ₹1.50 crore × 5 additional 100 TCD blocks = ₹22.50 crore.	Subject to Technical Committee certification, PMC approval and applicable overall cap.	- Capacity certificate before and after expansion - Technical Committee report confirming 1,500 TCD incremental capacity - Subsidy calculation sheet approved by PMC
Sugar mill modernisation / upgradation / conversion	- Incremental eligible FCI = cost of new plant, machinery, equipment and eligible fixed assets added specifically for approved modernisation / upgradation / conversion. - Ineligible cost such as repair, routine maintenance, second-hand machinery, working capital, old machinery and unrelated civil works shall be excluded. - Admissible subsidy = incremental eligible FCI × 20%, subject to Policy ceiling.	20% of eligible FCI, subject to maximum ₹5.00 crore.	- Approved DPR / project scope - List of machinery and equipment added - Invoices and payment proof - Installation and commissioning certificate - CA certificate / audited expenditure report - Chartered Engineer and Technical Committee verification report - Certificate from NSI or any other competent authority / recognised technical institution, as applicable
Distillery / ethanol expansion, modernisation, upgradation or conversion	- Pre-expansion KLPD = installed ethanol / distillery capacity before the approved project, supported by existing machinery, statutory approvals and capacity records. - Post-expansion KLPD = capacity achieved after	- Minimum additional capacity: 15 KLPD. - Capital subsidy: 15% of eligible FCI, maximum ₹5.00 crore. - Interest assistance: 10% or actual bank interest rate, whichever is lower, for five years, on eligible	- Existing capacity certificate and statutory approvals - List of existing and newly added machinery - Invoices / payment proof / installation proof

Expansion case	Formula / method of calculation	2026 Policy incentive limit	Required documents
	installation, erection, commissioning and commercial production from the expanded / converted unit. - Additional KLPD = certified post-expansion KLPD – certified pre-expansion KLPD. - Admissible capital subsidy = eligible FCI for additional / converted ethanol capacity × 15%, subject to Policy ceiling.	term loan up to 50% of project cost, maximum ₹20.00 crore.	- OMC agreement / purchase order - Production records and capacity demonstration records - CA certificate, Bank certificate and Technical Committee report - report - Certificate from NSI or any other competent authority / recognised technical institution, as applicable
Co-generation power unit expansion	- Pre-expansion MW = installed co-generation capacity before expansion, based on turbine / boiler / generator records, power approval and PPA / DISCOM records. - Post-expansion MW = capacity achieved after installation, commissioning and power evacuation arrangement for additional co-generation equipment. - Additional MW = certified post-expansion MW – certified pre-expansion MW. - Admissible subsidy = eligible FCI for additional co-generation capacity × 20%, subject to Policy ceiling.	- Minimum additional capacity: 5 MW. - Capital subsidy: 20% of eligible FCI, maximum ₹15.00 crore.	- Existing MW capacity certificate - Turbine / boiler / generator records - Invoices, payment proof and installation proof - Power evacuation approval - PPA / DISCOM records and commissioning certificate - CA certificate and Technical Committee report - Certificate from NSI or any other competent authority / recognised technical institution, as applicable
SGST reimbursement on additional production	Pre-expansion average production = average certified actual production for the relevant previous years	100% reimbursement of eligible Net SGST for five years, subject to State Tax verification and Policy conditions.	- Certified production records before expansion - Certified production, sale and dispatch

Expansion case	Formula / method of calculation	2026 Policy incentive limit	Required documents
	/ seasons before expansion. • Post-expansion production = certified actual production and sale / dispatch after commercial production from the expanded capacity starts. • Additional production = certified post-expansion production – certified pre-expansion average production. • Reimbursement = eligible Net SGST actually paid on additional production attributable to expansion.		- records after expansion • GST returns and SGST payment challans • Sales invoices / e-way bills • CA certificate for Net SGST calculation • State Tax verification report

Table 7.16 | Method for calculating expansion-based incentive claims

7.13 Score matrix for PMC evaluation of investment plans

The PMC shall use the following score matrix for appraisal and recommendation of eligible investment proposals. The proposal shall be evaluated out of 100 marks, consisting of 80 marks for objective technical, financial and implementation criteria and 20 marks for presentation before the PMC. A proposal must secure at least 60 marks to qualify for PMC recommendation, subject to fulfilment of all mandatory eligibility conditions.

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
1	Project eligibility, SIPB approval and capacity threshold	• SIPB Stage-I approval / SWC status • DPR and Bank Appraisal Report • Capacity threshold proof as per Policy category	• 0 marks: SIPB Stage-I approval not obtained. • 3 marks: SIPB Stage-I approval obtained but DPR / Bank Appraisal does not clearly confirm minimum eligible capacity threshold. • 5 marks: SIPB approval, eligible category, minimum capacity threshold and project scope are fully supported by DPR and Bank Appraisal Report.	5
2	Land availability and site readiness	• Title deed / registered lease / allotment letter • Possession / mutation / revenue record	• 0 marks: No land document or lawful possession proof submitted. • 10 marks: At least 50% but less than 100% of required land is supported by title / lease / allotment documents.	15

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
		Access road, water, power and land-use proof	15 marks: 100% required land is supported by lawful title / registered lease / valid allotment, possession, land-use permissibility, access road, water and power readiness.	
3	Financial closure, term loan and debt-equity ratio	- Final term loan sanction letter - Bank Appraisal Report and means of finance - Debt-equity ratio certified by Bank / FI	0 marks: Final term loan sanction not submitted. 10 marks: Final term loan sanctioned but term loan is up to 20% of approved project cost or debt-equity ratio is not certified. 15 marks: Final term loan is sanctioned for eligible components, term loan is at above 20% of approved project cost, 100% means of finance is tied up and as certified as viable by the FI / Lending Institution through Bank Appraisal report.	15
4	Promoter net worth and equity infusion	- CA-certified net worth certificate - Bank statement and CA certificate for equity infusion - MCA filings / forms, where applicable	0 marks: Net worth certificate or equity infusion proof not submitted. 10 marks: Net worth is at least equal to admissible subsidy sought, but less than 75% of required promoter contribution is infused. 15 marks: Net worth is more than admissible subsidy sought and 100% required promoter contribution is infused as per sanctioned means of finance, verified through CA certificate, bank statement and MCA filings / forms, where applicable.	15
5	Financial viability — IRR and DSCR	- Bank Appraisal Report - IRR with and without subsidy / grant - Average DSCR certified by Bank / FI	0 marks: IRR / DSCR not certified in Bank Appraisal Report or DSCR is below 1.10. 10 marks: IRR is below 17% or average DSCR is at least 1.10 but below 1.25. 15 marks: IRR is 17% or above and average DSCR is at least 1.25 as per Bank Appraisal Report.	15
6	Financial viability — BEP and repayment capacity	Bank Appraisal Report	0 marks: BEP / cash flow / repayment schedule not certified in Bank Appraisal Report.	5

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
		• Break Even Point percentage • Projected cash flow and repayment schedule	• 3 marks: BEP is above 80% of capacity utilization / projected sales level or projected cash flow does not fully cover annual debt servicing in any repayment year. • 5 marks: BEP is 80% or below of capacity utilization / projected sales level and projected cash flow covers annual debt servicing in all repayment years as per Bank Appraisal Report.	
7	Cane / feedstock availability and linkage	• Cane availability / feedstock assessment • Catchment area and crushing / production days plan • Farmer / cane grower / feedstock linkage documents	• 0 marks: No cane / feedstock availability data, catchment map or linkage document is submitted. • 5 marks: Documents support less than 75% of annual cane / feedstock requirement for the proposed capacity or expected crushing / production days are below 120 days for sugar mills / below 240 days for ethanol, co-generation or CBG units. • 10 marks: Documents support at least 75% of annual cane / feedstock requirement for the proposed capacity, catchment area is mapped, farmer / supplier linkage documents are submitted, and expected crushing / production days are at least 120 days for sugar mills / 240 days for ethanol, co-generation or CBG units.	10
8	Implementation timeline and execution readiness	• Implementation schedule and commissioning plan • EPC / vendor orders / work orders • CTE / CTO / factory / fire / labour / power approvals, as applicable	• 0 marks: Implementation schedule not submitted or proposed completion exceeds 36 months from approval. • 5 marks: Completion is proposed within 25–36 months and at least 50% applicable approvals / EPC / vendor readiness documents are submitted. • 10 marks: Completion is proposed within 24 months and at least 75% applicable approvals / EPC / vendor readiness documents are submitted.	10

Sl.	Evaluation criterion	Documents / evidence	How marks are awarded	Max marks
9	Technology efficiency and environmental safeguards	- Technology notes in DPR / Bank Appraisal Report - Energy / steam / water efficiency details - ETP / ZLD / emission-control / automation plan - Certification of either ISO 14001:2015, ISO 50001, ISCC PLUS, Bonsucro Certification	0 marks: Technology efficiency / environmental safeguard documents not submitted. 4 marks: Energy / water / emission-control measures are proposed but efficiency parameters or approval status are not documented. 8 marks: DPR / Bank Appraisal confirms modern technology, automation or process control, energy / steam / water efficiency measures and ETP / ZLD / emission-control compliance plan. - For the additional 2 marks, the applicant must submit a valid certification under any one of the following: ISO 14001:2015, ISO 50001, ISCC PLUS or Bonsucro Certification.	10
Total Marks				100
10	Presentation before PMC (non-scoring)	- Proposal, application particulars and supporting documents already submitted by the applicant. - Clarifications or explanations furnished in response to queries raised by the PMC.	The applicant shall present the proposal and justify the particulars, claims, commitments and documents submitted with the application. The presentation shall be used only to enable the PMC to seek clarification and assess consistency with the submitted proposal; no new claim or material change shall be considered unless separately submitted and verified in accordance with these Operational Guidelines.	0

Table 7.17 | Score matrix for PMC appraisal and recommendation of investment plans

Scoring Interpretation	
75+ marks	High priority proposal
60–74 marks	Acceptable, subject to verification / conditions
50–59 marks	Requires strengthening or deferment
Below 50 marks	Not suitable at this stage

Applicability of land-related scoring: Where the applicant does not require Department / BSSC land and proposes to implement the project on private land, leased land or already available lawful land, the land-related criteria in this score matrix shall be evaluated on the basis of land title, registered lease deed, lawful possession, land-use permissibility, site suitability, access, layout

readiness and project implementation feasibility. Such applicant shall not be required to undergo the land allocation score matrix under Chapter 6, unless land is sought from the Department / BSSC.

Scoring interpretation: 75 marks and above shall be treated as a strong proposal; 60–74 marks shall be treated as acceptable, subject to verification or additional conditions; 50–59 marks shall require strengthening or deferment; and below 50 marks shall be treated as not suitable at the current stage.

The score matrix shall not replace mandatory eligibility requirements, including SIPB Stage-I approval, Bank Appraisal Report, final term-loan sanction, minimum net worth, land title / registered lease, statutory clearances and compliance with the Policy. The PMC shall record reasons for every recommendation, deferment or rejection.

8. Institutional Architecture and Stakeholders

Effective delivery of the Policy depends on close coordination among a defined set of institutional stakeholders spanning the Sugarcane Industries Department and its Sugarcane Investment Promotion Portal (SIPP), the Industries Department / SIPB and its Single Window Clearance (SWC) Portal, lending Banks and Financial Institutions, statutory / regulatory bodies, and allied State agencies. The roles and responsibilities of each stakeholder are set out below:

8.1 Sugarcane Industries Department (*Ganna Udyog Vibhag*) — nodal agency

- Sugarcane Industries Department shall be the Nodal Department for implementation and monitoring of the Policy in the State. As the nodal agency, it may revise operational provisions and issue guidelines through executive orders, within the framework of the Policy.
- The Department shall operate the Investor Facilitation Desk and its own Sugarcane Industries Promotion Portal (SIPP), and interface with the SWC Portal of the Industries Department, so that the investor experiences a single, seamless journey from enquiry to final disbursement (see Chapter 8).
- The Department through Project Monitoring Committee, shall periodically review project-wise progress, undertake pre- and post-sanction inspection (through Technical Committee), and maintain a real-time pipeline of investment proposals across the four eligible categories.

8.2 Project Monitoring Committee (PMC)

The composition of the PMC is given below:

S.N.	Designation	Status
1	Cane Commissioner, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Chairperson
2	Joint Secretary / Deputy Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Member
3	Internal Financial Advisor / Representative of the Finance Department, Government of Bihar	Member
4	Joint Cane Commissioner / Assistant Cane Commissioner, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Member Secretary
5	Director (MSME Directorate), Industries Department, Government of Bihar	Member
6	Joint Director (Sugarcane Development), Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Member

Table 8.1 | Composition of the Project Monitoring Committee (PMC)

8.3 Role and responsibilities of the PMC

- The PMC shall be chaired by the Cane Commissioner, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.
- The PMC shall assess, approve, monitor and recommend subsidy / financial assistance under this Policy.

- The PMC shall consider only proposals having SIPB Stage-I approval and financial closure, wherever required.
- The PMC with support of PMU shall review applications, eligibility, DPR, Bank Appraisal Report, statutory clearances and supporting documents.
- The PMC shall review Technical Committee reports before approving any project or subsidy instalment.
- The PMC with support of PMU shall use the prescribed score matrix for comparative selection, including Departmental / BSSC land cases.
- The PMC shall approve eligible projects and determine admissible subsidy / financial assistance as per Policy limits.
- The PMC with support of PMU shall monitor approved projects through SIPP, MIS, progress reports, inspections and milestone records.
- The PMC shall approve instalment-wise subsidy release only after verification of progress, production, capacity, milestones and documents.
- The PMC shall recommend release of SGST, interest, stamp duty and other claims after proper verification.
- The PMC shall review delay, deficiency, non-compliance, ownership change, withdrawal or non-implementation cases and recommend action.
- The PMC shall review Policy implementation and suggest process improvements for faster investor facilitation.
- The PMC shall meet monthly, or as required, for evaluation, approval, monitoring and subsidy release decisions.
- The Member Secretary shall place agenda notes, applications, reports and subsidy calculations before the PMC and shall circulate the proceedings of each meeting to all members thereafter.
- The PMC Member Secretary or any officer / member nominated by the PMC shall counter-check PMU verification of documents essential for SIPB Stage-I approval applying SIPB-level I due diligence.

8.4 Technical Committee

The Technical Committee shall carry out pre-sanction and milestone inspections and recommends admissible instalments to the PMC. It comprises:

Sl.	Member / Designation	Status
1	Joint Director / Deputy Director, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Chairperson
2	Assistant Director / Assistant Cane Commissioner Sugarcane Industries Department, Government of Bihar	Member
3	Project Monitoring Unit (PMU) Lead	Member
4	Representative / expert nominated by the PMC from time to time, as required, from any technical institute, industry association or professional body, including a retired professional having relevant experience in, or having retired from, an institution, organisation or body connected with sugarcane, sugar, ethanol, co-generation, CBG, industrial, technical, financial or allied sector.	Member

Table 8.2 | Composition of the Technical Committee

Role and responsibilities of the Technical Committee:

- The Technical Committee shall conduct pre-sanction inspection, milestone verification, commercial production verification and capacity demonstration of the project.
- It shall verify physical progress, financial progress, installation of plant and machinery, civil works, statutory compliance, operational readiness and capacity achieved by the unit.
- It shall examine and verify the supporting documents prescribed in the relevant annexures.
- It shall use the prescribed inspection and verification formats provided in Annexure IX.

- It shall prepare a site inspection / verification report with clear findings on project progress, capacity, compliance, milestone achievement and commencement of commercial production, wherever applicable.
- It shall recommend to the PMC whether the project approval or the relevant instalment of subsidy may be considered for release, based on verified milestone achievement.

8.5 Project Monitoring Unit (PMU)

PMU is a support unit that may be engaged by the Sugarcane Industries Department to provide technical, financial and appraisal support for implementation of the Policy. The PMU will act as the Technical Support Group for the Department, PMC and Technical Committee.

Role and responsibilities of the PMU:

- The PMU shall assist the Department, PMC, Technical Committee and Investor Facilitation Desk by providing technical, financial, appraisal, documentation and monitoring support.
- The PMU shall help in preliminary assessment of investor profile, project category, capacity, investment, land status and basic eligibility, and support preparation of guidance notes, document checklists and stage-wise requirements for SIPP and SWC applications.
- The PMU shall verify documents essential for SIPB Stage-I approval through the login credentials / access provided by SIPB, wherever applicable, and follow SIPB-level due diligence while examining such records.
- The PMU shall help examine the DPR, Bank Appraisal Report, term loan sanction, means of finance, project cost, eligible components, fixed capital investment and applicable capacity thresholds.
- The PMU shall assist in desk evaluation of subsidy / financial assistance applications, identification of additional required information, evaluation of proposal as per prescribed score matrix, calculation of admissible incentives as per Policy ceilings, and preparation of evaluation synopsis, subsidy sheets and points for consideration for the Department / PMC.
- The PMU shall support the Technical Committee and PMC by providing application records, DPR extracts, inspection formats, milestone details, comparative appraisal sheets, score matrix inputs, claim summaries and other documents required for decision-making.
- After SIPB approval, the PMU shall assist in preparation of the Approval Letter / Eligibility Certificate, review of instalment-wise claim documents and subsidy disbursement processing to the lending Bank / FI, including tracking adjustment against term-loan principal wherever applicable.
- The PMU shall help maintain project-wise MIS on SIPP, generate progress, delay, deficiency, claim-status and milestone reports, and flag non-compliance, ownership change, withdrawal, non-implementation or subsidy eligibility risks to the Department / PMC.
- The PMU shall assist in coordination with the Facilitation Desk, Technical Committee, Banks/ FIs, SIPB, Commercial Tax Department, Prohibition Excise & Registration Department Bihar State Pollution Control Board (BSPCB), Distribution Company (DISCOM) and other line departments / authorities for verification and timely processing. The PMU shall not approve or reject proposals, sanction subsidy or release payment.

8.6 Investor Facilitation Desk

A dedicated Investor Facilitation Desk shall function within the Sugarcane Industries Department to assist investors at every stage of their application process — from preliminary assessment on the SIPP, through SIPB Stage-I clearance on the SWC Portal, financial closure, and the Department's capital subsidy approval process.

Role and responsibilities of the Investor Facilitation Desk:

- The Facilitation Desk shall act as the single point of contact for investors and operate as the support arm of SIPP for investor identification, registration, preliminary assessment and application tracking.

- It shall guide investors from initial enquiry to SIPP registration, SIPB Stage-I approval on the SWC Portal, Stage 3 financial closure and documentation, statutory clearances, subsidy application and instalment-wise claims.
- It shall help investors understand eligibility conditions, project categories, capacity thresholds, incentive provisions, timelines, required documents and application process.
- It shall assist investors in SIPP registration, submission of basic information, project profile, land status, indicative investment and proposed capacity, and will conduct preliminary completeness checks.
- It shall guide investors to apply for SIPB Stage-I approval and statutory NOCs / utility clearances through the SWC Portal and help record the SIPB reference number and clearance status on SIPP.
- It shall coordinate with investors during Stage 3 to support completion of financial closure, term-loan documentation, Bank / FI records and submission of required documents on SIPP.
- It shall track applications, communicate deficiencies, updates and next steps, follow up with investors for timely replies, and update application status / milestone progress on the SIPP dashboard between Stage 4 evaluation and Stage 5 approval / eligibility certificate.
- It shall help investors in coordinating with the Department, PMU, Technical Committee, SIPB, Banks / FIs and concerned departments for proposal processing, inspections, clearances, subsidy claims and timely follow-up.
- It shall help coordinate Technical Committee site visits with investors and provide contact details with concerned officials.
- It shall inform investors about PMC decisions, Approval Letter / Eligibility Certificate status, claim requirements and instalment-wise subsidy release process.
- It shall maintain records of investor queries, service requests, deficiencies, replies, escalations and application status for monitoring by the Department / PMC.
- The Desk will be led by a Nodal Facilitation Officer as may be decided from time to time and may maintain a helpline, e-mail facility and digital query-tracking register for investor support.
- The Facilitation Desk shall assist only in preliminary checking, investor guidance, coordination, communication, tracking and follow-up; it shall not undertake final appraisal, approve or reject proposals, determine subsidy, decide deficiencies, recommend release of subsidy, issue statutory clearances or overrule SIPB, the Technical Committee, PMC or any competent authority.

Service standards

Facilitation Desk service	Indicative turnaround
Response to investor enquiry / service request	Within 3 working days
Preliminary assessment of investor profile and project on SIPP	Within 7 working days of SIPP registration
Stage 3 financial closure and documentation support, including follow-up for term-loan sanction, Bank / FI records and required documents	Ongoing till investor achieves financial closure and submits complete documents on SIPP
Follow-up for rectification of deficiencies by investor	Within 1 month from deficiency communication
Facilitation of Technical Committee site visit and forwarding of complete records	As part of processing within 45 days of final complete submission
Update to investor on PMC decision / outcome	Within 2 days of issuance of in-principal approval / sanction letter
Escalation of unresolved procedural issues / delay	If not resolved within applicable turnaround time

Table 8.3 | Indicative service standards of the Investor Facilitation Desk

Escalation matrix

Where an investor's grievance or query is not resolved by the Facilitation Desk within the indicative turnaround time, the matter may be escalated in the following sequence:

Level 1 — Nodal Facilitation Officer;

Level 2 — Member Secretary, PMC;

Level 3 — Cane Commissioner cum Chairperson, PMC;

Level 4 — Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.

8.7 Partner departments and agencies

Stakeholder	Brief role under the Policy
Industries Department / SIPB	Processes SIPB Stage-I approval and statutory NOCs through the SWC Portal.
Finance Department	Supports budget provision, financial concurrence and release of approved assistance.
Revenue & Land Reforms Department	Issues / verifies CLU and supports land-related approvals, wherever applicable.
Prohibition, Excise, and Registration Department	Verifies stamp duty and registration fee records for reimbursement claims.
Commercial Tax Department	Verifies SGST returns, payments and eligible Net SGST reimbursement claims.
Bihar State Pollution Control Board	Issues Consent to Establish / Operate and pollution / groundwater-related approvals.
Power Holding Company / DISCOM	Provides power connection, load sanction, PPA support and evacuation infrastructure as applicable.
Energy Department	Frames norms for PPAs, tariff matters and related power-sector approvals.
Labour Resources Department	Verifies labour-law compliance, factory licence and employment-related records.
Bihar State Sugar Corporation	Provides / supports allotment of BSSC land for eligible sugar projects, as per Policy.
Banks / Financial Institutions	Appraise DPR, sanction term loan, certify disbursement / utilisation and adjust subsidy against loan principal.
Oil Marketing Companies	Issue purchase orders / agreements for ethanol offtake under the EBP, wherever applicable.
District Administration / DIC	Supports local verification, district-level records, inspections and coordination with field offices.
Home / Fire Services Department	Issues fire safety NOC wherever required for project establishment and operation.
GAIL	Facilitates natural gas and CBG market linkage by providing pipeline connectivity, gas transportation, and offtake support for eligible projects.

Table 8.4 | Partner departments and agencies, and their roles

8.8 Commencement of Commercial Production

Clarification on commencement of commercial production:

- Commencement of commercial production means the first date on which the approved unit starts regular saleable production from the sanctioned plant and machinery. This date shall be considered only after completion of installation, successful trial run, statutory approvals, operational readiness and capacity demonstration.
- Trial production, test run, machinery installation, power connection, partial commissioning or production without the required permissions shall not be treated as commencement of commercial production.

- The applicant Unit shall notify Sugarcane Industries Department about their commercial operation within 15 days of commencing production / operation.
- The date of commercial production shall be determined on the basis of a certificate issued after physical inspection by a committee constituted under the chairmanship of the Joint Director, Sugarcane Industries Department, with the General Manager of the concerned district, District Industries Centre and Labour Superintendent as members.
- The said Committee may rely on production records, sale invoices / dispatch records, electricity consumption records, labour / factory compliance records, statutory licences, Bank / CA certificates and other relevant evidence.
- For a new unit, the certified date shall be treated as the start date of commercial production.
- For expansion, modernisation, upgradation or conversion projects, the certified date shall be the date from which commercial production starts from the additional / upgraded capacity.
- The certificate / verification report issued by the Technical Committee shall form the basis for determining the production date.
- The five-year incentive period shall be counted from the certified date of commencement of commercial production, subject to the Policy and applicable Government instructions.
- For a project to be considered as a **New Sugar Mill** under this Policy, the date of commencement of commercial production shall be **on or after the date of notification / issuance of this Policy**. Where an applicant had initiated processing before this Policy came into force and had applied under the *Ganna Protsahan Package-2014*, such project shall be considered under this Policy only if the certified date of commencement of commercial production is on or after the date of issuance of this Policy. Any sugar mill project that commenced commercial production before the Policy notification date shall not be treated as a New Sugar Mill for the purpose of incentives under this Policy.

9. Investor Eligibility and Responsibilities

9.1 Eligible investors

Eligible investors may include proprietorships, partnership firms, LLPs, companies, public sector entities and cooperative societies proposing eligible sugarcane-based projects in Bihar, subject to compliance with the Policy, these Operational Guidelines and applicable approvals.

9.2 Core eligibility conditions

- The project shall fall under an eligible Policy category: sugar mill, ethanol / distillery unit, co-generation power unit or CBG plant attached to a sugar mill.
- The project shall meet the prescribed minimum capacity threshold for the relevant category, as mentioned in Chapter 3.
- The project shall be located in Bihar and implemented as per the approved DPR, Bank Appraisal Report, SIPB Stage-I approval and statutory permissions.
- SIPB Stage-I approval through the SWC Portal shall be mandatory before consideration of subsidy / financial assistance.
- The project shall be appraised by a Bank / FI registered with RBI / SEBI, and the sanctioned term loan shall not be less than 20% of the project cost, wherever credit-linked subsidy is claimed.
- The investor shall have lawful land availability, adequate financial capacity, promoter contribution and means of finance to complete the project.
- The project shall not be created by splitting, reconstruction, relocation, change of name or transfer of old plant and machinery in a manner that defeats the objective of the Policy.
- The investor shall not claim duplicate subsidy / assistance for the same project component from any other Central or State Government scheme, except as permitted under dovetailing provisions.
- The project shall comply with all statutory, environmental, tax, labour, safety, electricity, land-use and sector-specific requirements.

9.3 Responsibilities of the investor

- The investor shall read the Policy, Operational Guidelines, checklists, formats and approval conditions before applying.
- The investor shall register on SIPP and apply separately on the SWC Portal for SIPB Stage-I approval and applicable clearances.
- The investor shall submit complete, true and verifiable details of promoters, land, project cost, capacity, technology, finance, clearances and timelines.
- The investor shall prepare a viable DPR, obtain Bank / FI appraisal, secure term-loan sanction and achieve financial closure before applying for subsidy.
- The investor shall arrange land, equity, debt, approvals, machinery / EPC contracts and other inputs required for timely project execution.
- The investor shall complete the project and commence commercial production within the approved timeline and report any delay, change or implementation risk to the Department.
- The investor shall upload progress updates, milestone details, certificates, utilisation records and claim documents on SIPP as required.
- The investor shall facilitate inspection, site verification, capacity demonstration and commercial production verification by the Technical Committee / Department.
- The investor shall maintain proper accounts, production records, sale / dispatch records, tax records, electricity records, labour / factory records, Bank statements and utilisation certificates.
- The investor shall ensure that subsidy released to the Bank / FI is adjusted only against the principal component of the term loan.
- The investor shall not divert, sell, transfer, encumber or misuse subsidy-supported assets without prior approval.
- The investor shall inform the Department of any change in ownership, management, project scope, capacity, location, financing pattern or implementation schedule.
- The investor shall comply with all conditions of the In-principal Approval Letter / Eligibility Certificate, the undertaking and the surety bond, failing which subsidy may be recovered with applicable interest.

10. Timelines, Monitoring and Grievance Redressal

10.1 Project and Claim Timelines

- **Project completion:** Investor shall complete and operationalise the project within 36 months from approval from SIPB, unless extended by the competent authority for justified reasons.
- **Milestone-linked release:** Subsidy / reimbursement shall be released only after document evaluation, milestone verification, Technical Committee report and PMC approval.
- **Delay:** Delay without force majeure or approved justification may lead to deferment, cancellation or recovery action.
- **Withdrawal / non-completion:** If the investor withdraws or fails to complete the project, subsidy already released shall be refunded with 18% annual compound interest within 30 days of the refund order.
- **Compliance:** Further claims shall be processed only after earlier utilisation, Bank / FI adjustment confirmation and continuing compliance are verified.

10.2 Monitoring, inspection and MIS

- Sugarcane Industries Department, Government of Bihar shall review the progress of every sanctioned project through the PMC and the Technical Committee.
- Pre- and post-sanction inspection verifies physical, financial and operational progress and milestone achievement before each instalment.
- Investors submit periodic progress reports with photographs (and site videos where required) and shall facilitate inspection.
- Sugarcane Industries Department shall maintain a centralised, project-wise MIS on the SIPP — SIPB Stage-I status, financial closure, disbursement and physical progress — for real-time monitoring by the PMC and senior officers.

10.3 Grievance redressal and disputes

- An investor aggrieved by any delay — at the Facilitation Desk / SIPP, the SWC Portal stage, or Sugarcane Industries Department's evaluation / PMC stage — may use the escalation matrix in Clause 8.6.
- Grievances specific to SWC Portal processing (Stage-I or NOCs) may also be raised through the Industries Department / SIPB grievance mechanism, copied to the Facilitation Desk.
- All matters of interpretation and all disputes are decided by the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Sugarcane Industries Department, Government of Bihar whose decision shall be final and binding.
- Sugarcane Industries Department keeps a grievance register and shall review pendency monthly, as part of the PMC agenda.

11. General Terms, Penalties and Recovery

- **False declaration / breach.** A false declaration, availing of incentives by an ineligible unit, or breach of Policy conditions leads to recovery of the incentive from the date it was availed, with interest compounded annually at 18% per annum; unpaid amounts are recovered as arrears of land revenue.
- **Non-implementation.** In the event of non-implementation or undue delay beyond the permissible timelines, the Government may cancel the approval and recall any subsidy released, with interest at 18% per annum compounded annually.
- **Three-year operation.** Where the project is not operated for at least three years after commencement of commercial operation, the entire subsidy availed shall be returned with interest at 18% per annum, compounded annually.
- **No diversion of assets.** Assets created wholly or substantially out of Government subsidy are not diverted, encumbered or disposed of for any other purpose without the sanctioning authority's prior approval.
- **Surety Bond.** The investor shall execute a Surety Bond (Annexure X) in favour of the Government of Bihar before the first instalment is released.
- **Production date.** The production date shall be the date on which the factory commences the commercial production for which it was sanctioned, determined by the Production-Date Committee (Clause 8.8) on physical verification.
- **Eligibility window.** Units that begin commercial production within three years of DPR approval (five years for a Sugar Complex — mill, distillery and co-generation together) shall be eligible; new units shall receive assistance for five years from the commencement of production / capacity expansion.
- **By-product industries.** Incentives admissible to sugarcane industries and their by-product industries shall be equally payable to other sugarcane-based industries that meet the eligibility conditions.

Handwritten signatures and initials, including a large circular mark and several smaller marks, likely representing official approvals or signatures.

12. Abbreviations

Abbreviation	Full form / meaning
ACS	Additional Chief Secretary
BSSC	Bihar State Sugar Corporation
BSIPP-2026	Bihar Sugarcane Industries Investment Promotion Policy-2026
CA	Chartered Accountant
CBG	Compressed Biogas
DISCOM	Distribution Company
DPR	Detailed Project Report
EBP	Ethanol Blending Programme
EC	Eligibility Certificate
EPC	Engineering, Procurement and Construction
FCI	Fixed Capital Investment
FI	Financial Institution
FY	Financial Year
GST	Goods and Services Tax
GSTIN	Goods and Services Tax Identification Number
ICUMSA	International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
IFD	Investor Facilitation Desk
IGST	Integrated Goods and Services Tax
ITC	Input Tax Credit
kg/day	Kilogram per day
km	Kilometer
KLPD	Kilo Liters Per Day
LLP	Limited Liability Partnership
LOI	Letter of Intent
MIS	Management Information System
MW	Megawatt
MVR	Market Value Rate
NOC	No Objection Certificate
OMC	Oil Marketing Company
PMC	Project Monitoring Committee
PMU	Project Monitoring Unit
PPA	Power Purchase Agreement
RBI	Reserve Bank of India
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SGST	State Goods and Services Tax
SIPB	State Investment Promotion Board
SIPP	Sugarcane Industries Promotion Portal
SOP	Standard Operating Procedure
SWC	Single Window Clearance
TCD	Tonnes of Cane crushed per Day
TPD	Tonnes Per Day
UTR	Unique Transaction Reference
VAT	Value Added Tax

13. Definitions

Term	Definition
Approved Project Cost	Project cost accepted by Bank / FI and considered by the competent authority for incentive calculation.
Arm's-Length Pricing	Price applied or proposed to be applied in a transaction between people other than associated enterprises, in uncontrolled conditions, as determined in accordance with the Income Tax Act, 1961 and the rules made thereunder.
Bank / FI	Bank or Financial Institution appraising, financing or certifying the project.
Capacity demonstrated	The unit has shown its ability to operate at or around the prescribed / approved capacity during trial run, commercial production or inspection, based on available operational records, production data, equipment capacity, technical certificates or verification by the Technical Committee. Minor operational variation due to cane availability, seasonality, stabilisation of plant, power supply, labour or other practical reasons shall not, by itself, disqualify the unit if the installed capacity and operational readiness are otherwise verified.
Claim	Application for release of capital subsidy, reimbursement, interest assistance or other eligible support.
Commercial Production	Certified start of regular saleable production after installation, approvals, trial run and Technical Committee verification.
Competent Authority	Authority empowered under the Policy, OPERATIONAL GUIDELINES or Government orders to approve, sanction, allot, recover or decide any matter.
Conversion	Approved modification of an existing unit by installing new components for eligible production.
Crushing Year	Period from 1 July to 30 June of the following year.
Department	Sugarcane Industries Department, Government of Bihar.
DPR	Detailed Project Report covering technical, financial, land, capacity, implementation and viability details.
Effective Date	25 June 2026, from which the Policy becomes effective.
Eligible Unit	Sugar mill, distillery / ethanol unit, co-generation unit or CBG plant satisfying Policy conditions and capacity thresholds.
Expansion	Approved project that increases installed production capacity.
Factory	Premises where sugar is manufactured through the vacuum-pan process.
FCI	Investment in the purchase, installation and commissioning of new plant & machinery and associated fixed assets required to make the finished product. Excludes non-production civil works (roads, boundary walls, quarters), working capital, land beyond the eligible limit, pre-operative expenses and second-hand machinery. All machinery is bought at arm's-length pricing. The admissibility of Plant & Machinery under FCI shall be subject to technical certification in accordance with Clause 7.1(x) of these Operational Guidelines.
Financial Closure	Completion of funding arrangements including promoter contribution, sanctioned term loan and approved sources of finance.
Investor / Applicant	Eligible individual, firm, LLP, company, cooperative society, public sector entity or other permitted entity applying under the Policy.

Term	Definition
Land Allocation	Recommendation, allotment or lease of Department / BSSC / BIADA / Government land for an eligible project, subject to approval.
Milestone	Verifiable project stage linked to implementation, capacity, production, compliance or subsidy release.
Modernisation / upgradation	Modernization / Upgradation means investment by an existing operating sugar mill in new plant, machinery, equipment, technology, automation, process-improvement systems, quality-control systems, energy-efficiency systems, pollution-control systems or other eligible fixed assets for improving operational efficiency, sugar recovery, product quality, energy efficiency, environmental compliance whether or not such investment results in an increase in installed crushing capacity. Routine repair, maintenance, replacement of worn-out parts, second-hand machinery, working capital, renovation not directly linked to production improvement and expenditure on existing assets shall not be treated as modernization / upgradation.
New Factory / New Unit	Unit commencing commercial production after Policy notification and not formed by splitting, reconstruction, relocation or transfer of old plant and machinery.
Non-compliance	Breach of Policy, OPERATIONAL GUIDELINES, approval, claim, lease, reporting, statutory or subsidy conditions.
Operating Factory	Factory already in commercial production on or before the Policy notification date.
Operational Guidelines	This Operational Guidelines for implementation of the Policy.
PMC	Project Monitoring Committee responsible for evaluation, approval, monitoring and recommendation of subsidy / claims.
PMU	Project Monitoring Unit providing technical, financial, appraisal, documentation and monitoring support.
Policy	Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 notified by the Government of Bihar.
Project	Approved investment proposal for new unit, revival, expansion, modernisation, upgradation or conversion under the Policy.
Recovery	Recovery of subsidy / assistance with applicable interest, including as arrears of land revenue wherever applicable.
SGST	State Goods and Services Tax payable under the Bihar GST Act.
SIPB Stage-I Approval	Approval obtained through the SWC Portal before consideration of subsidy / financial assistance.
SIPP	Sugarcane Industries Promotion Portal used for registration, tracking, subsidy applications, claims and monitoring.
Statutory Clearance / NOC	Approval, licence, consent, permission or certificate required from a competent authority for establishment or operation.
Surety Bond	Bond executed by the investor before release of assistance, undertaking compliance and refund obligations.
SWC Portal	Single Window Clearance Portal used for SIPB Stage-I approval and statutory / utility clearances.
Technical Committee	Committee responsible for inspection, capacity verification, milestone verification and certification of commercial production.

Term	Definition
With sugar mill	The eligible unit shall utilise molasses generated by a sugar mill as feedstock. Such molasses may be sourced either from another sugar mill or from the applicant's own sugar mill / unit, wherever applicable.
Year / Quarter	Financial year from 1 April to 31 March; quarter means three months ending 30 June, 30 September, 31 December or 31 March.

14. Annexures

- Annexure I — Documents required for registration and pre-liminary project assessment on SIPP.
- Annexure II — Documents required for SIPB Stage -1 Clearance and Statutory Compliances.
- Annexure III — Documents required for Financial Closure
- Annexure IV — Document required for Capital Subsidy disbursement and milestone verification – Sugar mill
- Annexure V — Documents required for Capital Subsidy disbursement and milestone verification - Distillery / Ethanol units, Co-generation Power and CBG Plants
- Annexure VI — Documents Required for Other Financial Assistance
- Annexure VII — Documentary requirements and mandatory declaration for Land allocation
- Annexure VIII — Undertaking by the applicant
- Annexure IX — Technical Committee Project Verification Report
- Annexure X — Surety Bond
- Annexure XI — Bank Appraisal Report format
- Annexure XII — Chartered Accountant Certificate
- Annexure XIII — Bank Interest / Interest Financial assistance certificate format
- Annexure XIV — Chartered Engineer Certificate (Civil / Technical civil work certificate format)
- Annexure XV — Chartered Engineer Certificate (Plant & Machinery certificate format)
- Annexure XVI — Net worth Certificate Format



Annexure: I – Documents Required for Registration and Preliminary Project Assessment on SIPP

1. Investor / Entity KYC

- PAN Card of Business Entity/Promoter
- Entity Registration Documents- Certificate of Incorporation / Partnership Deed / LLP Registration / Co-operative Society Registration Certificate or Constituent Documents, as applicable
- GST Registration (if available)
- Aadhaar & Address Proof of Authorized Signatory
- Board Resolution / Authorization Letter

2. Project Details

- Project Concept Note / DPR (Brief)
- Project Type (Sugar Mill / Ethanol / Co-generation / CBG)
- Proposed Capacity
- Estimated Project Cost
- Employment Generation Details (Tentative)
- Implementation Timeline (Tentative)

3. Land Documents

A. If Investor Owns / Has Identified Land

- Land Ownership / Lease Documents
- Land Map & Location Details
- Encumbrance-free Declaration (if applicable)

B. If Land is Requested from Government / Department

- Land Requirement Application (Area Required)
- Preferred Location (District/Block)
- Land Utilization Plan/Layout
- Land Requirement Justification Note
- Undertaking Project Implementation & Approved Land Use

Annexure: II – Documents Required for SIPB Stage-I Approval and Statutory Clearances

1. Enterprise Profile

- PAN of Entity
- Entity Registration Certificate (Company/LLP/Partnership/Cooperative Society/Proprietorship)
- GST Registration (if available)

2. Proprietor / Stakeholders

- Aadhaar/ID Proof of Promoter(s) & Authorized Signatory
- Board Resolution / Authorization Letter

3. Unit Details

- Project Profile / Concept Note (Max. 10 Pages)
- Proposed Unit Location Details

4. Product & Raw Materials

- Product Details (Sugar / Ethanol / Co-generation)
- Raw Material Sourcing Plan

5. Investment

- Project Cost Estimate
- Fixed Capital Investment Break-up

6. Employment

- Proposed Employment Generation Plan

7. Finance & Timeline

- Means of Finance (Equity / Debt / Internal Accruals)
- Implementation Schedule / Project Timeline

8. Land Documents

If Land Available

- Ownership / Lease Documents
- Land Map / Site Details

If Government Land Requested

- Land Requirement Application
- Preferred Location Details
- Land Utilization Plan / Site Layout
- Land Requirement Justification

Annexure: III – Documents Required for Financial Closure

- 1. Land & Infrastructure Documents**
 - Land Ownership / Lease Documents or Government Land Allotment Letter
 - Land Possession Certificate (if available)
 - Site Layout / Land Utilization Plan
 - Building Layout & Factory Plan (if available)
- 2. Construction Phase**
 - Consent to Establish (BSPCB)
 - Groundwater Extraction NOC
 - Change of land use (CLU) (if applicable)
 - Power Connection Approval
 - Water Supply Approval
 - Other Project specific Statutory Approval
- 3. Pre-operation Phase**
 - Factory License
 - Fire NOC
 - Electricity Duty Registration
 - Professional Tax Registration
 - Consent to operate (if applicable)
 - Technical Certification of Plant & Machinery
 - Other Licenses such as factory licenses, Labor Registration (if required)
- 4. Financial Closure**
 - SIPB Stage –I approval certificate / Reference number
 - Bank Appraisal Report (**Annexure: XI**)
 - Term Loan Sanction letter from Bank / FI
 - Means of Finance Statement (Equity, Debt, Government Grants / Subsidy & Promoter Contribution)
 - Detailed Project Report (DPR)
 - Project Cost & FCI Break-up
 - Promoters Net Worth / Funding commitment documents
- 5. Undertaking (**Annexure: VIII**)**

Annexure: IV – Documents Required for Capital Subsidy Disbursement and Milestone Verification (Sugar Mills)**A. For New / Revived Sugar Mills****Capital Grant Disbursement — Instalment-wise Milestones**

Instalment	Milestone	Key Documents Required
1st Instalment	1 month after commencement of commercial production	• Request letter / claim application for release of 1st instalment. • Approval Letter / Eligibility Certificate • Surety Bond / Undertaking, (Annexure: X) • Commercial Production Certificate • Technical Committee verification report ➤ Minimum 3,500 TCD capacity demonstrated. ➤ Plant and machinery installed and operational. • Chartered Engineer Certificate ➤ Installation and commissioning of plant and machinery • CA Certificate (Annexure XII) ➤ Confirmation that required equity and term loan have been utilized as per milestone condition • Bank / FI Certificate ➤ Confirmation of term loan disbursement as per milestone condition ➤ Active term-loan account details for subsidy adjustment • Consent to Operate / operational statutory approval, if not already submitted or if required for release verification • Factory license / labour registration, if not already submitted or if required for release verification • Technical Certification of Plant & Machinery issued by VSI, NSI or any other institution/agency approved by the State Government, wherever required by the Department/PMC.
2nd Instalment	After 12 months of production	• Request letter / claim application for 2nd instalment • Utilization certificate of 1st instalment

Instalment	Milestone	Key Documents Required
		- Bank / FI certificate. - Confirmation that 1st instalment was adjusted against principal component of term loan. - Confirmation of term loan disbursement and utilization as required for the relevant milestone, as per sanctioned means of finance. - CA utilization certificate - Confirmation of utilization of required equity and loan funds - Production and capacity records - Proof that mill continues production and maintains approved capacity. - Technical Committee verification report - Chartered Engineer Certificate, if required for continuing capacity / machinery verification - Updated statutory compliance documents, only if there is change, expiry or specific release requirement
3 rd Instalment	After 24 months of production	- Request Letter - Request letter / claim application. - CA-certified utilization certificate of 2nd instalment - Bank / FI certificate confirming adjustment of 2nd instalment against principal component of term loan. - Production and capacity records for the relevant crushing season - Proof of capacity demonstration for at least 10% of crushing days during the relevant crushing season - Chartered Engineer Certificate, wherever required by Technical Committee / PMC - Technical Committee verification report - Updated statutory compliance documents, only if changed, expired or specifically required.
4 th Instalment	After 36 months of production	- Request letter / claim application. - CA-certified utilization certificate of 3rd instalment - Bank / FI certificate confirming adjustment of 3rd instalment against principal component of term loan. - Production and capacity records for the relevant crushing season - Proof of capacity demonstration for at least 10% of crushing days during the relevant crushing season - Chartered Engineer Certificate, wherever required by Technical Committee / PMC - Technical Committee verification report - Updated statutory compliance documents, only if changed, expired or specifically required
5 th Instalment	After 48 months of production	- Request letter / claim application. - CA-certified utilization certificate of 4th instalment - Bank / FI certificate confirming adjustment of 4th instalment against principal component of term loan. - Production and capacity records for the relevant crushing season - Proof of capacity demonstration for at least 10% of crushing days during the relevant crushing season - Chartered Engineer Certificate, wherever required by Technical Committee / PMC - Technical Committee verification report - Final undertaking confirming continued operation, non-transfer / non-diversion of subsidy-supported assets, no duplicate subsidy claim, no breach of Policy / Operational Guidelines conditions and no outstanding recovery / default.

B. For Existing / Operating Sugar Mills – Capacity Expansion

S.N.	Document / Requirement	Purpose / Verification Basis
1	Claim application for capital subsidy	Prescribed claim form on SIPP with reference to Approval Letter / Eligibility Certificate and approved expansion category.
2	Approval Letter / Eligibility Certificate	To verify sanctioned assistance, approved expansion capacity, approved category, release conditions and applicable Policy clause.
3	Pre-expansion capacity certificate	To establish certified existing crushing capacity before expansion, supported by existing plant and machinery specifications and prior production / crushing records.
4	Technical Committee verification report	To confirm completion of approved expansion work, installation / commissioning of additional capacity and operational readiness / commercial production from expanded capacity.
5	Additional capacity demonstration certificate	To confirm minimum additional 1,000 TCD over certified pre-expansion capacity and demonstration for at least 10% of crushing days during the relevant crushing season.
6	Commercial production certificate	To verify date of commencement of commercial production from expanded capacity, certified by Cane Officer / authorised Departmental officer based on records and site verification.
7	CA certificate on eligible Fixed Capital Investment	To verify actual eligible expenditure, component-wise cost, exclusion of ineligible items and source-wise utilisation of promoter contribution / equity and term loan.
8	Chartered Engineer certificate	To certify newly added plant and machinery, item-wise specifications, supplier, invoice, cost, quantity, installation, commissioning and functionality for approved expansion.
9	Bank / FI certificate	To verify term loan sanction / disbursement, active term loan account, outstanding principal, proportionate utilisation and confirmation that subsidy shall be adjusted only against loan principal.
10	Promoter contribution / equity proof	CA certificate, bank statement, Board resolution / partner capital proof and relevant MCA filings / forms, where applicable, to verify capital introduced for approved expansion.
11	Undertaking by the unit	No duplicate claim, no sale / transfer / diversion / misuse of assets and compliance with Policy, Operational Guidelines and Eligibility Certificate conditions.

Annexure V: Documents required for - Distillery / Ethanol Units, Co-generation Power Units and CBG Plants

Unit/ project category	Key documents required
Distillery / Ethanol Units	1. Claim application for release of capital subsidy. 2. Approval Letter / Eligibility Certificate. 3. Technical Committee verification report. 4. Commissioning / commercial production certificate. 5. Capacity verification certificate — minimum 45 KLPD for new unit or 15 KLPD additional capacity for expansion / conversion. 6. CA certificate on eligible Fixed Capital Investment. 7. Chartered Engineer certificate for installation and commissioning. 8. Bank / FI certificate for adjustment of capital subsidy against term-loan principal. 9. Production and dispatch records for ethanol. 10. Technical Certification of Plant & Machinery issued by VSI, NSI or any other institution/agency approved by the State Government, wherever required by the Department/PMC. 11. For ethanol units: copy of tripartite agreement with the Oil Marketing Company concerned / financing Bank, or Purchase Order from OMC under the Ethanol Blending Programme.
Co-generation Power Units	1. Claim application for release of capital subsidy. 2. Approval Letter / Eligibility Certificate. 3. Technical Committee verification report. 4. Commissioning certificate. 5. Capacity verification certificate — minimum 10 MW for new unit or 5 MW additional capacity for expansion. 6. CA certificate on eligible Fixed Capital Investment. 7. Chartered Engineer certificate for installation and commissioning. 8. Bank / FI certificate for adjustment of capital subsidy against term-loan principal. 9. PPA / DISCOM arrangement / grid synchronization or power evacuation approval, wherever applicable. 10. Power generation, export / captive use records and meter readings.

Unit/ project category	Key documents required
CBG Plants	1. Claim application for release of capital subsidy. 2. Approval Letter / Eligibility Certificate. 3. Technical Committee verification report. 4. Commissioning / commercial production certificate. 5. Capacity verification certificate — minimum 5 TPD / 5,000 kg per day. 6. CA certificate on eligible Fixed Capital Investment. 7. Chartered Engineer certificate for installation and commissioning. 8. Bank / FI certificate for adjustment of capital subsidy against term-loan principal. 9. Offtake agreement / sale arrangement, wherever applicable. 10. CBG production, sales / dispatch and offtake records.

Annexure VI: Document List for Other Financial Assistance

Financial Assistance	Documents Required	Time Period for documents
Net SGST Reimbursement	• SGST / GST returns ➤ To verify taxable sales, output tax liability, input tax credit adjustment and Net SGST payable for the claim period. • SGST payment challans ➤ To confirm actual payment of SGST to the Government treasury. • Day-wise production records ➤ To verify eligible production during the claim period and link production with sales. • Sales / dispatch records ➤ To verify eligible sales, taxable value, quantity sold, dispatch details and SGST charged. • Applicable GST rate notification ➤ To confirm that GST / SGST has been calculated at the correct applicable rate. • Chartered Accountant certificate ➤ To certify eligible turnover, Net SGST paid, input tax credit adjustment and admissible reimbursement amount. • State Tax Department verification report. ➤ To confirm filing of returns, payment of SGST, correctness of claim and tax compliance before reimbursement approval.	• For first SGST reimbursement claim ➤ Documents shall be required from the certified date of commencement of commercial production up to the end of the relevant financial year / claim period. ➤ Example: If commercial production starts on 10 August 2027, documents will be required from 10 August 2027 to 31 March 2028 for the first claim. • For subsequent annual claims ➤ Documents shall be required for the full financial year, i.e., 1 April to 31 March of the relevant claim year. • For final year claim ➤ Documents shall be required from 1 April of the final eligible year up to the last date of the five-year incentive period, if the five-year period ends before 31 March.
Interest in Financial Assistance (Distillery / Ethanol / CBG Projects)	• Bank Certificate ➤ To certify the term loan details, applicable interest rate, interest charged, interest paid by the unit, outstanding loan amount and eligible interest for the claim period. • Term Loan Account Statement ➤ To verify loan disbursement, repayment, interest debit, interest payment and outstanding principle for the relevant claim period. • Interest Payment Proof ➤ To confirm that the interest claimed for reimbursement / assistance has actually been paid to the Bank / FI by the unit. • Chartered Accountant Certificate ➤ To certify eligible interest paid, project-wise term loan utilization, exclusion of penal interest / overdue charges and correctness of the claim amount. • Interest Computation Statement ➤ To show calculation of admissible interest assistance based on actual interest paid,	• For first interest assistance claim ➤ Documents shall be required from the date of first term loan disbursement or commencement of commercial production, as applicable under the Policy / Eligibility Certificate, up to the end of the relevant financial year / claim period. • For subsequent annual claims ➤ Documents shall be required for the full financial year, i.e., 1 April to 31 March of the relevant claim year. • For final year claim ➤ Documents shall be required from 1 April of the final eligible year up to the last date of the eligible five-year incentive period, if the eligible period ends before 31 March.

Financial Assistance	Documents Required	Time Period for documents
	eligible term loan amount, applicable rate and approved claim period. • Confirmation of compliance with policy caps and limits ➤ To confirm that the claim is within the approved period, eligible loan percentage, maximum assistance ceiling and overall cap on capital subsidy plus interest assistance.	
Stamp Duty & Registration Fee Reimbursement	• Claim application for stamp duty and registration fee reimbursement. ➤ To formally claim reimbursement for eligible stamp duty and registration fee paid on land purchased / registered for the approved project. • Registered sale deed / lease deed / conveyance deed ➤ To verify that the land has been legally purchased / registered in favor of the eligible unit for the approved project. • Proof of stamp duty and registration fee payment ➤ To confirm the actual amount paid towards stamp duty and registration fee. • Land ownership / possession documents. ➤ To verify lawful ownership / possession and use of land for the eligible project. • Land-use / project-use declaration. ➤ To confirm that the land is being used only for the approved project for which reimbursement is claimed. • Registration Department / IGR verification report ➤ To verify the registered deed, payment of stamp duty and registration fee, and correctness of the reimbursement claim. • Chartered Accountant certificate ➤ To certify the amount paid, amount claimed and that the same has not been claimed earlier. • No duplicate claim undertaking ➤ To confirm that reimbursement for the same land transaction has not been claimed earlier or under any other scheme.	• Stamp Duty and Registration Fee reimbursement shall be admissible only once for eligible land purchased / registered for the approved project. • The claim shall be submitted after execution and registration of the land document and payment of stamp duty / registration fee. • The claim should cover only the specific eligible land transaction linked to the approved project. • No repeat claim shall be allowed for the same land parcel / transaction.

Annexure VII– Document Requirements and Mandatory Declarations for Land Allocation Evaluation

Sl.	Document Required	Period / Validity Requirement
1.	Application submitted on SIPP for land requirement	At application stage
2.	Project Profile / Concept Note covering project category, proposed capacity, products and land requirement	Latest proposal submitted with application
3.	Detailed Project Report / Pre-feasibility Report including Land Requirement Statement with justification of area proposed to be allotted	Latest version
4.	Proposed Capacity Statement for sugar mill, distillery / ethanol, co-generation and / or CBG plant, as applicable, Preliminary Site Layout / Master Plan showing proposed land utilization, Site Feasibility Note for the proposed / identified land parcel, Water and power requirement statement, Cane availability / catchment assessment for sugar mill projects, Project Implementation Schedule with milestone-wise timeline	Proposed capacity at application stage
5.	Declaration that suitable land is not already available or additional land is required for the approved project	At application stage

Sl.	Document Required	Period / Validity Requirement
6.	Undertaking that allotted land shall be used only for the approved sugarcane-based project	At application stage
7.	Net Worth Certificate of investor entity / promoters issued by Chartered Accountant	Not older than 6 months
8.	Audited Financial Statements of investor entity	Last 3 completed financial years
9.	Board Resolution / Promoter Commitment Letter for project investment	Current financial year
10.	Declaration to obtain SIPB financial clearance within the prescribed timeline, wherever not already obtained	At application stage
11.	Declaration of project completion capability within prescribed timeline	At application stage
12.	Industrial Background and Experience- Factory license, Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) acknowledgement, Sugar mill registration / cane crushing permission, Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO), Boiler registration / boiler operation certificate, GST registration, Labor law registrations.	At application stage
13.	Self-declaration if the Investor is Proprietor	At application stage
14.	Partnership Deed with Registration proof or Notarized Affidavit, if the applicant is a Partnership firm.	At application stage
15.	Certificate of Incorporation from the Registrar of Companies, MoA and AoA with current shareholding pattern, if the applicant is a Private Limited / Public Limited / LLP company or any other legal entity, under the Companies Act.	At application stage
16.	Registration Certificate from the Registrar of Co-Operatives Societies, if the applicant is Co-operative Society.	At application stage
17.	Authorization letter in the name of applicant in case of Company / Partnership Firm.	At application stage
18.	Aadhar Card, PAN Card, Photograph of Directors / Proprietors / Partners as applicable.	At application stage

Declaration-cum-Undertaking for Land Allocation Application
(To be submitted on the Letterhead of the Applicant Entity)

I, _____, son/daughter of _____, residing at _____, in my capacity as Director / Partner / Proprietor / Authorized Signatory of M/s _____, having CIN / LLPIN / Registration No. / GSTIN _____, and registered office at _____, do hereby solemnly affirm, declare and undertake as follows:

1. Truthfulness of Information

- All information, data, statements, declarations, documents, certificates and records submitted along with this application for land allocation under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief.
- No material fact, information or document relevant to evaluation of the application has been concealed, suppressed or misrepresented.

2. Use of Land

- Any land allotted, leased, recommended or otherwise provided by the Government / Department / Bihar State Sugar Corporation shall be used solely for establishment, operation and expansion of the approved sugarcane-based industrial project.
- The allotted land shall not be utilized for any unauthorized, speculative, commercial, residential or non-approved purpose.
- The allotted land shall be developed as per the environmental guidelines, building byelaws and other prevailing norms.

3. Financial and Legal Disclosures

- I have fully disclosed all material financial information, liabilities, borrowings, encumbrances and legal proceedings relevant to this application.
- I shall promptly inform the Department of any material change in financial position, ownership, control, management structure or project implementation capability.

4. Litigation, Insolvency and Credit Status

- I hereby declares that the details of all pending litigation, arbitration, insolvency proceedings, recovery proceedings, loan defaults, NPA classifications, regulatory actions or similar matters, if any, have been fully disclosed in the application.
- I further declares that neither the applicant entity nor its promoters have been classified as a Willful Defaulter or Fraud Borrower by any Bank, Financial Institution or Regulatory Authority, except as specifically disclosed in writing.

5. Commitment to Obtain SIPB Approval

- I shall actively pursue and obtain SIPB Stage-I Approval and other applicable statutory approvals in accordance with the timelines prescribed under the Policy, Operational Guidelines and applicable Government instructions.

- I understand that recommendation or allotment of land does not constitute SIPB approval, subsidy approval, financial assistance approval or statutory clearance.
 - Commitment to Achieve Financial Closure
 - I shall make all reasonable efforts to achieve financial closure through promoter contribution, equity infusion, bank finance and other approved sources of finance within the timelines prescribed by the Department.
 - I understand that failure to achieve financial closure or demonstrate implementation capability may result in withdrawal, cancellation or modification of land recommendation/allotment.
6. Implementation Commitment
- I shall implement the project in accordance with the submitted project proposal, implementation schedule and approved land utilization plan.
 - I shall commence project implementation and achieve commercial production within the timelines prescribed under the Policy, Operational Guidelines and allotment conditions.
7. Inspection and Verification
- I shall permit inspection, verification and examination of records, financial statements, project documents, site plans and other information by the Department, PMC, PMU, Technical Committee or any authority authorized by the Government.
8. Consequences of False Declaration
- In the event of any false statement, misrepresentation, concealment of facts, submission of forged documents, land misuse, speculative holding of land or violation of any applicable condition, the Department shall be entitled to cancel the land allotment/recommendation and take such action as may be permissible under the Policy and applicable laws.
9. Binding Effect
- This declaration and undertaking shall remain binding upon the applicant, its promoters, directors, partners, successors, assigns and authorized representatives.

Verification

I hereby verify that the contents of this Declaration-cum-Undertaking are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing material has been concealed therefrom.

Place: _____

Date: _____

For and on behalf of M/s _____

Name: _____

Designation: _____

Signature: _____

Company Seal _____

Disclosure of Litigation / NPA / Insolvency Status (Tick One):

☐ No litigation, insolvency proceeding, NPA status, willful default or regulatory action is pending against the applicant/promoters.

☐ Details of litigation, insolvency proceeding, NPA status, willful default or regulatory action are enclosed in Annexure _____.

Annexure VIII — Undertaking by the Applicant (on Non-Judicial Stamp Paper)

I, _____, son / daughter of Shri _____, resident of _____, in my capacity as Director / Partner / Proprietor / Authorised Signatory of M/s _____, having Registration No. / CIN / LLPIN / GSTIN _____ and registered office at _____, do hereby solemnly affirm, declare and undertake as follows:

1. That I am the Director / Partner / Proprietor / Authorised Signatory of M/s _____, having Registration No. / CIN / LLPIN / GSTIN _____ and registered office at _____.
2. That I am duly authorised, in my own right / by the management vide Resolution No. _____ dated _____, to sign and submit the application, this undertaking and all related documents on behalf of the applicant for the project proposed at Survey / Plot No. _____, Village _____, Block _____, District _____, PIN _____, for _____ under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026.
3. That I have read and understood the provisions of the Policy, this OPERATIONAL GUIDELINES, applicable annexures, eligibility conditions, approval requirements, subsidy conditions, claim procedures and recovery provisions, and the applicant shall comply with the same.

4. That the project details, land particulars, promoter details, proposed capacity, project cost, means of finance, Bank / FI appraisal, statutory approvals and all supporting documents submitted with the application are true, complete and verifiable to the best of my knowledge and belief.
5. That the proposed project falls within the eligible category stated in the application and shall be implemented only for the approved activity and approved purpose.
6. That I have not claimed, obtained or applied for any similar benefit, subsidy, grant, reimbursement or financial assistance for the same project component, cost, activity or objective under any Central Government, State Government, Ministry, Department, agency, policy or scheme, except as permitted under the dovetailing provisions of the Policy and this OPERATIONAL GUIDELINES.
7. That I shall obtain and maintain SIPB Stage-I approval, statutory clearances, Bank / FI appraisal, term-loan sanction, financial closure and all other approvals required under the Policy, this OPERATIONAL GUIDELINES and applicable laws.
8. That I have not claimed, obtained or applied for duplicate subsidy, grant, reimbursement or financial assistance for the same project component, cost, activity or objective from any Central Government, State Government, Ministry, Department, agency or scheme, except as permitted under the dovetailing provisions of the Policy and this OPERATIONAL GUIDELINES.
9. That where any benefit has been availed or is proposed to be availed under any other scheme, the same has been fully disclosed and shall be adjusted while calculating admissible assistance under this Policy.
10. That the proposed project is not a mere splitting, reconstruction, relocation, change of name, transfer of old plant and machinery or continuation of any ineligible existing activity in a manner that defeats the objective of the Policy.
11. That I shall arrange the required promoter contribution, equity, term loan and other sources of finance, and shall meet any shortfall arising from reduced admissibility of subsidy, escalation in project cost or change in financing pattern.
12. That I shall complete and operationalise the project within the approved timeline and shall inform the Sugarcane Industries Department of any delay, change in project scope, ownership, management, location, capacity, financing pattern, implementation schedule or any other material fact.
13. That I shall not sell, transfer, lease, encumber, divert or misuse any asset created wholly or substantially with Government assistance without prior approval of the competent authority.
14. That I shall facilitate inspection, site verification, capacity demonstration, commercial production verification, milestone verification and record examination by the Sugarcane Industries Department, Technical Committee, PMC, PMU or any authorised agency.
15. That I shall maintain proper books of accounts, production records, sale / dispatch records, tax records, electricity records, labour / factory compliance records, Bank statements, utilisation records and other documents required for verification of claims.
16. That I shall ensure that capital subsidy released to the lending Bank / Financial Institution is credited only to the principal component of the project term-loan account and shall submit or facilitate submission of confirmation of such adjustment by the Bank / FI.
17. That in case of concealment of facts, false declaration, misrepresentation, non-implementation, delayed implementation, misuse of assistance, breach of Policy / OPERATIONAL GUIDELINES conditions or failure to operate the project for the prescribed period, the Sugarcane Industries Department / Government of Bihar may reject, defer or cancel the application, approval or claim and recover the assistance released, along with interest at 18% per annum compounded annually, recoverable as arrears of land revenue.
18. That all declarations made in this undertaking shall remain binding on the applicant, its promoters, successors, assignees and authorised representatives.

I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief, and that nothing material has been concealed.

Date: _____
Place: _____

Signature of the Applicant / Authorised Signatory

Name: _____
Designation: _____
Seal of Applicant Entity

Annexure IX: Technical Committee Project Verification Report

Purpose of inspection: Pre-sanction inspection / milestone verification / commercial-production verification / capacity demonstration

1. Project Identification

Particulars	Details
Name of applicant / unit	
Project category (New sugar mill / revival / expansion / modernization / distillery / ethanol / co-generation / CBG)	
Project location	Village- Block-

Particulars	Details
	District- PIN-
SIPP application number	
SIPB Stage-I approval number and date	
Sanctioned / proposed capacity	
Approved project cost	₹
Bank / FI name and term-loan sanction details	
Date of inspection	

2. Physical Progress and Machinery Installation

Verification item	Observation / status
Land possession / site readiness	
Civil works completed / in progress	
Plant and machinery ordered / received / installed	
Utility arrangements including power, water and effluent systems	
Operational readiness / trial-run status	
Photographs / geo-tagged evidence reviewed	Yes / No

3. Financial Progress

Verification item	Amount / status
Promoter contribution / equity brought in	
Term loan sanctioned	
Term loan disbursed and utilized	
Expenditure incurred on eligible fixed capital investment	
Bank / FI utilization certificate / statement verified	

4. Statutory and Regulatory Compliance

Compliance item	Status / remarks
Bihar State Pollution Control Board approval / CTE / CTO	
Factory / labor compliance and licenses	
Power connection / load sanction / PPA, wherever applicable	
Fire safety / building / land-related approvals, wherever applicable	
Other statutory approvals relevant to the project category	

5. Capacity Achieved and Evidence Reviewed

Verification item	Details
Capacity sanctioned / approved	
Capacity installed	
Capacity demonstrated	
Commercial production date, if applicable	
Production records / sale invoices / dispatch records reviewed	Yes / No
Electricity consumption / operational records reviewed	Yes / No
Photographs / video / other evidence reviewed	Yes / No

6. Committee Findings

Based on site inspection, documents examined, records reviewed and evidence placed before the Technical Committee, the Committee records the following findings:

- _____
- _____
- _____

7. Recommendation of the Technical Committee

The project / claim is recommended for consideration by the PMC for:

- Approval / deferment / rejection / release of relevant subsidy instalment.
- Recommended instalment / approval stage: _____
- Amount recommended, if applicable: ₹ _____
- Conditions / deficiencies, if any: _____
- Reasons for recommendation: _____

Declaration

The Technical Committee confirms that the inspection / verification has been carried out in accordance with the OPERATIONAL GUIDELINES, Policy provisions and applicable annexures, and that the findings above are based on records verified and site observations made during inspection.

Name and designation	Status	Signature	Date
	Chairperson		
	Member		
	Member		
	Member / Expert, if any		

Annexure X: Surety Bond (On the Stamp Paper)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s _____, a _____ incorporated / registered under _____, having its registered office at _____ and project site at _____, hereinafter referred to as the "Obligor", are held and firmly bound to the Governor of Bihar, hereinafter referred to as the "Government", for the sum of ₹ _____, being the capital subsidy / financial assistance sanctioned under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026, together with _____ and other recoverable dues, if any.

The Obligor hereby undertakes that the sanctioned assistance shall be utilized only for the approved project, approved component and approved purpose, and shall not be diverted, misused, transferred or applied towards any ineligible activity, asset or cost. The Obligor shall complete, commission, operate and maintain the project in accordance with the Policy, this OPERATIONAL GUIDELINES, the approval / eligibility certificate, sanction order, milestone conditions, statutory approvals and all directions issued by the Sugarcane Industries Department / competent authority from time to time.

The Obligor shall obtain and maintain SIPB Stage-I approval, statutory clearances, Bank / FI appraisal, term-loan sanction, financial closure and all other approvals required under the Policy and this OPERATIONAL GUIDELINES. The Obligor shall submit utilization certificates, Bank / FI confirmations, Chartered Accountant certificates, production records, capacity demonstration records and such other documents as may be required for verification of subsidy release and continued eligibility.

The Obligor further undertakes that the project shall be completed within the approved timeline and shall remain operational for the minimum period prescribed under the Policy / OPERATIONAL GUIDELINES after commencement of commercial production. The Obligor shall not sell, transfer, lease, encumber, dismantle, relocate or otherwise dispose of the assets created wholly or substantially with Government assistance without prior written approval of the competent authority.

In the event of false declaration, concealment of facts, misrepresentation, non-implementation, delayed implementation beyond the approved period without approval, misuse or diversion of assistance, breach of Policy / OPERATIONAL GUIDELINES conditions, duplicate claim for the same component, failure to submit required records, or failure to operate the project for the prescribed period after commencement of commercial production, the Obligor shall refund the entire assistance released, or such portion as may be determined by the competent authority, along with interest at **18% per annum compounded annually** from the date of release till the date of repayment.

The amount recoverable under this Bond shall be recoverable as arrears of land revenue, without prejudice to any other action available to the Government under the Policy, these Operational Guidelines, applicable laws, the sanction order or any other binding undertaking furnished by the Obligor.

Signed and delivered by the Obligor on this _____ day of _____, 20____ at _____.

For and on behalf of M/s _____

Name of Authorized Signatory: _____

Designation: _____

Signature: _____

Seal of the Obligor _____

Witnesses:

Name:

Signature:

Address:

Name:

Signature:

Address:

Annexure XI — Bank Appraisal Report Format

[To be issued on the letterhead of the Bank / Financial Institution]

Appraisal/ reference letter no: _____ Appraisal Date: _____
(Original Appraisal reference letter no. in case of Loan sanctioned before current Appraisal Format)

Particulars	Details
Bank / FI appraisal reference number and date	
Name of applicant / unit	
Type of organisation (Proprietorship / Partnership / LLP / Company / Cooperative / Others)	
Registration No. / CIN / LLPIN / GSTIN	

Registered office address	
Project site address	Village _____ Block _____ District _____ PIN _____
Project category (New / Revival / Expansion / Modernisation / Distillery / Ethanol / Co-generation / CBG)	
SIPB Stage-I approval number and date	
Expected / actual date of commercial production	

Project cost and means of finance

S.N.	Cost component	Appraised cost (₹ crore)	Eligible / ineligible remarks
1	Land		
2	Site development		
3	Factory building and civil construction		
4	Plant and machinery		
5	Miscellaneous fixed assets		
6	Preliminary and pre-operative expenses including IDC		
7	Contingency		
8	Margin money for working capital		
9	Others, if any		
	Total project cost appraised by Bank / FI		
S.N.	Means of finance	Amount (₹ crore)	
1	Promoter contribution / equity		
2	Fresh term loan sanctioned by Bank / FI		
3	Other sources, if any		
4	Working capital loan, if any		
	Total means of finance		

Term loan particulars:

- Sanction letter no. and date: _____;
- Term loan account no.: _____;
- sanctioned amount: ₹ _____ crore; tenure: _____ months;
- Moratorium: _____ months;
- Repayment schedule: monthly / quarterly / half-yearly / yearly; first
- Disbursement date: _____;
- Last disbursement date: _____.

Certification by Bank / FI: It is certified that the above project has been appraised by the Bank / Financial Institution for the approved project category under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 and the appraised project cost, eligible fixed capital investment, means of finance, term loan sanction and disbursement details stated above are true as per Bank / FI records. The term loan considered is a fresh project term loan in the name of the applicant unit and is not a renewal, restructuring, enhancement, revival of an existing loan or overdraft facility.

Name and designation of appraising authority / branch head: _____

Signature: _____

Bank / FI seal: _____

Date: _____

Annexure XII — Chartered Accountant Certificate**[To be issued on the Letterhead of the Chartered Accountant / CA Firm]**

For Certification of Project Cost, Eligible Expenditure and Means of Finance under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026

1. Basic Details

Particulars	Details
Name of Applicant / Unit	
Project Category (New / Revival / Expansion / Modernization / Upgradation / Conversion / Distillery / Ethanol / Co-generation / CBG)	
Project Location	
SIPB Stage-I Approval No. and Date	
Bank / FI Name	
Bank Appraisal Reference No. and Date	
Term Loan Sanction Letter No. and Date	
Date / Period of Expenditure Certified	From _____ to _____

2. Project Cost and Eligible Expenditure (Amount in ₹ crore)

S. No.	Cost Component	Cost approved by Bank / FI as per Appraisal Report	Actual expenditure incurred as on _____	Eligible expenditure considered for incentive	Remarks
1	Land				
2	Site Development				
3	Factory Building / Technical Civil Works				
4	Non-technical Civil Works, if any				
5	Plant and Machinery				
6	Miscellaneous Fixed Assets				
7	Utilities / Electrical / Power / Water Systems				
8	Installation, Erection and Commissioning				
9	Preliminary and Pre-operative Expenses including IDC				
10	Contingency				
11	Margin Money for Working Capital				
12	Others, if any				
	Total Project Cost				
	Eligible Fixed Capital Investment / Eligible Incremental FCI				

Note: Eligible expenditure should be considered in accordance with the OPERATIONAL GUIDELINES definition of FCI, which covers investment in new plant and machinery and associated fixed assets required for production, while excluding non-production civil works, working capital, land beyond eligible limit, pre-operative expenses and second-hand machinery.

3. Means of Finance

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Source of Finance	Amount approved by Bank / FI	Actual amount brought in / utilized as on _____	Remarks
1	Promoter Contribution / Equity			
2	Fresh Term Loan from Bank / FI			
3	Internal Accruals			
4	Government Grant / Subsidy, if any			
5	Unsecured Loan, if any			
6	Other Sources, if any			

	Total Means of Finance		
--	-------------------------------	--	--

Note: Details of unsecured loans, if any, including PAN of lenders, shall be separately certified by the CA.

4. Details of Payments Made for Plant & Machinery / Technical Civil Works

S. No.	Name of Party / Vendor	Invoice / Bill No.	Date of Invoice / Bill	Basic Cost	Taxes, Installation, Insurance and Other Charges	Freight, and	Total Cost	Date of Payment as per Bank Statement	Mode of Payment
1									
2									
3									
4									
5									
	Total								

5. CA Certification

This is to certify that:

1. We have verified the books of accounts, invoices, vouchers, Bank statements, payment records and other relevant documents of the applicant / unit.
2. The expenditure shown above has been incurred for the approved project and is supported by documentary evidence.
3. The eligible expenditure / eligible Fixed Capital Investment has been calculated in accordance with the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026, the OPERATIONAL GUIDELINES and the Bank Appraisal Report.
4. Ineligible items, including working capital, second-hand machinery, non-production civil works, unrelated expenses, duplicate claims and expenses not supported by proper documents, have not been included in eligible expenditure.
5. For expansion / modernization / upgradation / conversion projects, only the incremental eligible expenditure related to the approved project has been considered, and existing assets / old plant and machinery have not been counted again, consistent with the OPERATIONAL GUIDELINES's treatment of expansion-based claims.
6. The means of finance shown above have been verified from Bank records, books of accounts and supporting documents.
7. The applicant has not claimed, obtained or applied for duplicate subsidy / financial assistance for the same component, cost, activity or objective from any other Central or State Government scheme, except as permitted under the dovetailing provisions of the Policy and OPERATIONAL GUIDELINES.
8. The information certified above is true and correct to the best of our knowledge and based on records produced before us.

Signature and Seal of Chartered Accountant

Name of CA: _____

Membership No.: _____

Firm Registration No.: _____

UDIN: _____

Date: _____

Place: _____

Annexure XIII — Bank Interest / Interest Financial Assistance Certificate Format

[To be issued on the letterhead of the Bank / Financial Institution]

Particulars						Details	
Name of unit							
Unit address							
Term loan sanction letter no. and date							
Term loan account number							
Total sanctioned term loan						₹	
Total disbursement amount						₹	
First disbursement date							
Last disbursement date							
Interest certificate period						From _____ to _____	
S.N.	Month / period	Rate of Interest	Principal outstanding / considered (₹)	Interest charged (₹)	Principal paid (₹)	Interest paid (₹)	Penal interest / other charges, if any (₹)

1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Total						

Certification by Bank / FI: It is certified that the interest shown above relates only to the project term loan account mentioned in this certificate and has been charged and recovered from the applicant unit during the stated period. The amount does not include penal interest, processing charges, documentation charges, inspection charges, bank charges, overdue charges, restructuring charges, working capital interest or any other non-eligible charges. Interest financial assistance, if admissible, shall be calculated strictly as per the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026, this OPERATIONAL GUIDELINES and the applicable ceiling on eligible loan amount and interest rate.

Name and designation of Branch Head / authorised Bank official:

Signature: _____

Bank / FI seal: _____

Date: _____

Annexure XIV — Chartered Engineer Certificate

Civil / Technical Civil Work Certificate Format

[To be issued on the Letterhead of the Chartered Engineer]

For Certification of Technical Civil Work / Civil Works related to the Approved Project under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026

1. Basic Details

Particulars	Details
Name of Applicant / Unit	
Name of Project (New / Revival / Expansion / Modernization / Upgradation / Conversion / Distillery / Ethanol / Co-generation / CBG)	
Project Category	
Project Location with Address	
SIPB Stage-I Approval No. and Date	
Bank / FI Appraisal Reference No. and Date	
Date of Site Visit by Chartered Engineer	
Name of Chartered Engineer	
Membership / Registration No. of Chartered Engineer	

2. Project Progress / Technical Civil Work Details

Note: If the project has multiple locations, separate location-wise details shall be submitted.

S. No.	Name of Component / Civil Work	Proposed / Appraised Area as per Bank Appraisal / DPR (sq. m.)	Proposed / Appraised Cost (₹ lakh)	Actual Area Completed / Executed (sq. m.)	Actual Cost Incurred (₹ lakh)	Rate / Unit (₹ / sq. m.)	Status of Implementation	Comments on Quality, Construction Standards and Market Rates
1	Factory Building / Technical Civil Structure							
2	Foundation for Plant & Machinery							
3	Boiler / Turbine /							

	Processing Area Civil Work							
4	Storage / Production-linked Civil Structure							
5	Utility / Power / Water / Effluent-related Civil Work							
6	Other Technical Civil Work, if any							
	Total							

3. Verification by Chartered Engineer

The Chartered Engineer shall certify the following:

1. The civil / technical civil works mentioned above have been physically verified at the project site.
2. The works certified are linked to the approved project and are required for establishment, operation, production, processing, utilities or approved project implementation.
3. The quantity, area, rate and cost certified above are based on site verification, measurement records, drawings, bills, invoices, work orders, payment records and other relevant documents produced before the Chartered Engineer.
4. The materials / components used in the certified technical civil work are new and suitable for the approved project purpose.
5. The works certified are consistent with the Bank Appraisal Report / DPR / approved project scope and are not unrelated or non-production civil works.
6. Non-production civil works, general office buildings, guest houses, staff quarters, boundary walls, roads or any other ineligible civil works shall not be included in eligible Fixed Capital Investment unless specifically approved as part of eligible project infrastructure under the OPERATIONAL GUIDELINES / Policy.
7. For expansion / modernization / upgradation / conversion projects, only the incremental civil / technical civil work related to the approved project has been certified, and existing civil works have not been counted again. This is consistent with the OPERATIONAL GUIDELINES treatment that expansion incentives are calculated only on incremental capacity, incremental production or additional eligible FCI created due to the approved expansion.

4. Certification

This is to certify that the civil / technical civil works mentioned above have been verified by me / us and, to the best of my / our knowledge and verification, the details of area, cost, rate, quality, construction standard and implementation status are true and correct.

It is further certified that the works certified above are related to the sanctioned project and have been considered only to the extent admissible under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026, the OPERATIONAL GUIDELINES, the Bank Appraisal Report and applicable approval conditions.

Signature and Seal of Chartered Engineer

Name of Chartered Engineer: _____

Membership / Registration No.: _____

Address / Contact Details: _____

Date: _____

Place: _____

Annexure XV — Chartered Engineer Certificate**Plant & Machinery Certificate Format**

[To be issued on the Letterhead of the Chartered Engineer]

For Certification of Plant & Machinery installed under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026

1. Basic Details

Particulars	Details
Name of Applicant / Unit	
Project Category	

Particulars	Details
(New / Revival / Expansion / Modernization / Upgradation / Conversion / Distillery / Ethanol / Co-generation / CBG)	
Project Location	
SIPB Stage-I Approval No. & Date	
Bank / FI Appraisal Reference No. & Date	
Name of Chartered Engineer	
Membership / Registration No.	
Date of Site Visit	
Commercial Production Date (if applicable)	

2. Plant & Machinery Verification

Note: If the project has multiple locations, separate location-wise details shall be submitted.

Sl.	Name of Plant / Machinery / Equipment	Qty. Appraised in DPR / Bank Appraisal	Quantity Installed	Appraised Cost (₹ lakh)	Actual Cost (₹ lakh)	Basic Cost (₹ lakh)	Taxes / Freight / Insurance / Installation (₹ lakh)	Supplier / Manufacturer	Status (Ordered / Received / Installed / Trial Run / Commissioned)	Remarks
1										
2										
3										
4										
5										
	Total									

3. Capacity Verification

Particulars	Details
Capacity Approved under DPR / Bank Appraisal	
Capacity Installed	
Capacity Demonstrated	
Unit of Measurement	TCD / KLPD / MW / TPD
Date of Demonstration / Verification	
Basis of Verification	Production Records / Trial Run / Operational Records / Technical Evaluation

4. Verification by Chartered Engineer

The Chartered Engineer certifies that:

1. The plant and machinery listed above have been physically verified at the project site.
2. The machinery and equipment certified under this report are directly related to the approved project and are required for production, processing, utility operations or project implementation.
3. The quantities, specifications and costs certified above are based on invoices, purchase orders, payment records, installation records, equipment specifications and site verification.
4. The machinery/equipment installed is new and has not been transferred from an existing unit, unless specifically permitted under the Policy.
5. The installed machinery corresponds substantially to the machinery proposed in the DPR and Bank Appraisal Report.
6. The capacity demonstrated by the unit is based on available operational records, production data, trial-run records, installed equipment specifications and physical verification.
7. For expansion / modernization / upgradation / conversion projects, only the newly added machinery and incremental investment related to the approved project have been certified, and existing machinery has not been counted again for incentive purposes.
8. The machinery certified above forms part of the eligible Fixed Capital Investment (FCI) to the extent admissible under the Policy and Operational Guidelines.

5. Chartered Engineer Certification

I/We hereby certify that the plant and machinery detailed above have been physically verified and, to the best of my/our knowledge and verification, the information furnished in this certificate is true and correct.

Further certified that:

- All plants and machinery certified above are installed at the approved project site.
- The machinery is operational / ready for operation as indicated in this certificate.
- The machinery has been verified against the DPR, Bank Appraisal Report and supporting records.
- The certified quantities and costs are based on actual installation and supporting documents made available for verification.

Signature & Seal of Chartered Engineer

Name of Chartered Engineer: _____

Membership / Registration No.: _____

Address: _____

Contact No.: _____

Signature: _____

Date: _____

Place: _____

Counter Signature by Applicant

I/We confirm that the above information is true and that the plant & machinery certified above relates to the approved project under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026.

Name of Applicant / Authorized Signatory: _____

Designation: _____

Signature & Seal: _____

Annexure XVI — Net Worth Certificate

This is to certify that the net worth of Mr./Mrs./Ms./M/s _____, S/o / D/o / W/o _____, resident / registered office at _____, having PAN No. _____ and Aadhaar / CIN / Registration No. _____, is ₹ _____ lakh (Rupees _____ lakh only) as on _____, as per the computation given below.

The net worth has been computed for the purpose of assessing the applicant's financial capacity under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026 and its Operational Guidelines.

Computation of Net Worth as on _____

S.N.	Particulars	Amount (₹ lakh)
I	Total eligible assets as per List A to List F	
II	Less: Total liabilities as per List G	
III	Net Worth (I – II)	
IV	Less: Personal guarantees / corporate guarantees issued, if any	
V	Adjusted Tangible Net Worth [III – IV]	

List A — Landed Properties / Immovable Assets

S.N.	Nature of property	Location / address	Area	Value as per circle rate / registered value (₹ lakh)	Liability, if any (₹ lakh)	Supporting document
1						
2						

List B — Investments in Shares / Securities / Business Entities

S.N.	Name of company / firm	Type of investment	No. of shares / units	% holding, if above 10%	Value considered (₹ lakh)	Supporting document
1						
2						

Note: Shares of listed companies shall be considered at the average market price for six months prior to the date of certificate. Shares of unlisted companies shall be considered at face value / book value as certified by CA, subject to verification.

List C — Bank Deposits, Savings and Financial Investments

S.N.	Nature of deposit / investment	Bank / institution	Account / folio no.	Present value (₹ lakh)	Supporting document
1	Savings / current account balance				
2	Fixed deposit				
3	Mutual fund / bonds / securities				

List D — Insurance, PPF, NPS and Other Long-Term Savings

S.N.	Nature of asset	Institution / policy no.	Present surrender / realizable value (₹ lakh)	Supporting document
1	Life insurance surrender value			
2	PPF / NPS / other savings			

List E — Personal Assets Not to be Considered.

S.N.	Asset type	Details	Value disclosed (₹ lakh)	Treatment
1	Jewellery / gold / antiques			Not considered for net worth
2	Personal vehicle			Not considered for net worth

List F — Other Eligible Assets, if any

S.N.	Nature of asset	Details	Value considered (₹ lakh)	Supporting document
1				
2				

List G — Liabilities

S.N.	Lender / bank / institution	Nature of liability	Sanctioned amount (₹ lakh)	Outstanding amount as on certificate date (₹ lakh)	Security / guarantee
1		Term loan / housing loan / vehicle loan / business loan			
2		Unsecured loan / related party loan			

Guarantees Issued

S.N.	Guarantee issued to	Guarantee issued in favor of	Purpose of loan	Amount guaranteed (₹ lakh)	Date of guarantee
1					
2					

Certification by Chartered Accountant

I / We certify that the above computation of net worth is based on verification of books of account, audited financial statements, bank statements, title documents, valuation records, investment statements, loan statements and other supporting records produced before us.

It is further certified that:

1. Agricultural land, jewellery, personal vehicles, antiques and personal-use movable assets have not been considered for calculation of adjusted tangible net worth, unless specifically permitted under the Guidelines.
2. Loans and advances given to group concerns, related parties or individuals have not been considered as eligible assets unless supported by recoverability evidence and accepted by the Department / PMC.
3. Assets shown above are free from encumbrance, except liabilities specifically disclosed in this certificate.
4. The net worth has been computed for assessing the financial capacity of the applicant / promoter for implementation of the approved project under the Bihar Ganna Udyog Nivesh Protsahan Niti-2026.

5. For the purpose of land allocation at concessional / token lease rate, net worth shall be assessed with reference to project implementation capacity, promoter contribution and means of finance, and not with reference to token land value.

For _____ & Co. Chartered Accountants

Firm Registration No.: _____

Membership No.: _____

Signature: _____

Name of CA: _____

Seal: _____

Place: _____

Date: _____

